COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968

(अधिसूचना संख्या 9907–सी / 12–सी0ए0–25(12)–68, दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 द्वारा उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक 31, दिसम्बर, 1968 को प्रकाशित।)

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली. 1968 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं– जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11,1966) से है,

2((ख) "शीर्ष समिति "शीर्षस्तर समिति" या "राज्य स्तर सहकारी समिति का तात्पर्य–

(1)उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ;

(2) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ;

(3) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ;

(4)प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशान लिमिटेड लखनऊ;

(5)यू०पी० कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड लखनऊ;

(6)उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ;

(7)यू0पी0 कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ;

(8) उत्तर प्रदेश केन यूनियन फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ;

(9)उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड कानपुर; या

(10)कोई अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति, जो निम्नलिखित शर्तो को पूरा करती हो–

(एक) उसकी सदस्यता में कम से कम ऐसी अन्य केन्द्रीय सहकारी समिति हो जिसका कारोबार या व्यवसाय उसी प्रकार को हो; तथा

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

दो) उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हो; और

(तीन) उसका मुख्य उद्देश्य साधारण सदस्यों के रूप में जो उससे सम्बद्ध सहकारी समितियों का कार्य करने में सुविधा देना हो;

(ग) "कृषि समिति'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति से है जिसके अधिकांश साधारण सदस्य कृषि कार्य करते हों; तथा "कृषि ऋण समिति'' का तात्पर्य किसी ऋण समिति से है जिसके अधिकांश साधारण सदस्य कृषि कार्य करते हों,

स्पष्टीकरण– कृषि कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे–

(1) कृषि फसलों का उत्पादन, प्रक्रिया तथा क्रय विक्रय;

(2) औद्योगिक, रेशम उत्पादन या पशु पालन जिसमें दुग्ध व्यवसाय के साथ–साथ सुअर पालन, मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है।

(ग–1) **''दुग्ध उत्पादन समिति''** का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से हे जिसके साधारण सदस्य एक या अधिक ऐसे क्रिया कलापों में लगे हो जो दुग्ध उत्पादन, उसकी प्राप्ति और प्रक्रिया या दुग्ध उत्पाद के निर्माण दूध या दुग्ध उत्पाद के विक्रय या दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित हों;

(घ) "अपर निबन्धक'' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समितियों के अपर निबन्धक के रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

(ङ) 'सहायक निबन्धक' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सहायक निबन्धक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है, तथा जिला सहायक निबन्धक का तात्पर्य किसी जिले में सहकारी कार्यो का प्रभार देने के लिये नियुक्त किसी सहायक निबन्धक से है;

(च) "संयुक्त निबन्धक'' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समितियों के संयुक्त निबन्धक के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से हो;

1{(चचच) ''सहकारी बैंक'' का तात्पर्य प्राइमरी अर्बन कोआपरेटिव बैंक, सेन्ट्रल अर्बन बैंक, केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक एवं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक से है;}

(छ) "केन्द्रीय समिति" या "केन्द्रीय सहकारी समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसकी अपनी (सदस्यता में) साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति हो और जो किसी प्रारम्भिक सहकारी समिति की श्रेणी में न आती हो;

(छछ) "ब्लाक यूनियन" का तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है जिसका कार्यक्षेत्र जिले का केवल एक भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल के संग्रह और वितरण का प्रबन्ध करना है और जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई अन्य सहकारी समिति भी सम्मिलित है;

(ज) "ऋण समिति" का तात्पर्य ऐसी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए निधियों उगाना हो;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(जज) "उम्मीदवार'' का तात्पर्य अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता सेहे जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है–

(1) प्रतिनिधि के रूप में; या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में, या

(3) सहकारी समिति के सभापति और उपसभापति के रूप में।

(झ) "सहकारी ऋण एवं अल्पव्यय समिति" का तात्पर्य वेतन अर्जित करने वालों तथा मजदूरी अर्जित करने वालों की किसी ऐसी ऋण समिति से है जिसकी उपविधियों में अन्य बातो के साथ साथ अपने सदस्यों से अनिवार्य रूप से धनराशि जमा करने की व्यवस्था हो;

(झझ) ''प्रतिनिधि" का तात्पर्य यथास्थिति सदस्यों के प्रतिनिधि या समिति के प्रतिनिधि;

(ञ) "केन्द्रीय सहकारी बैंक'' का तात्पर्य धारा 2 के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित किसीकेन्द्रीय बैंक से है,

(ञञ) "सदस्यों का प्रतिनिधि" का तात्पर्य अलग अलग सदस्यों के समूह द्वारा या किसी क्षेत्र के अलग अलग सदस्यों द्वारा सहकारी समिति के सामान्य निकाय में उनका प्रतिनिधि करने के लिए निर्वाचित किसी सदस्य एक एक सदस्य से है, सामान्य निकाय में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किसी एक सदस्य से है;

(ट) "उपभोक्ता स्टोर" या उपभोक्ता समिति का तात्पर्य किसी प्रारम्भिक समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य रूप से अपेक्षित माल प्राप्त करना और अपने सदस्यों को फुटकर में बेचना है,

(टट) ''समिति का प्रतिनिधि'' का तात्पर्य किसी सहकारी समिति की प्रबन्धक कमेटी द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति के किसी सदस्य ऐसी समिति हो, सामान्य निकाय में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इस नियमावली के अनुसार नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ठ) "डिक्रीधारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पक्ष में धारा 92 में अभिदिष्ट कोई अभिनिर्णय या आदेश दिया गया हो,

(ठठ) निर्वाचन का तात्पर्य–

(1) प्रतिनिधियो; या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्योः या

(3) किसी सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति के निर्वाचन से है।

(ड) "उप निबन्धक" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सहकारी समितियों के उप निबन्धक के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है,

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(डड) "निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे जिला मजिस्टेट किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गो या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्ति निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करें,,

(ढ) "जिला सहकारी बैंक'' का तात्पर्य ऐसे केन्द्रीय सहकारी बैंक से है जिसका मुख्य कार्यालय जिले के मुख्यालय पर हो,

(ढढ) "मतदान अधिकारी'' का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी मतदान केन्द्र पर निर्वाचन कराने में अपनी सहायता के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति से है..

(ण) "जिला सहकारी फेडरेशन'' का तात्पर्य ऐसी केन्द्रीय समिति से है–

(1) जो त्राण समिति नहो;

(2) जिसका मुख्य कार्यालय किसी जिले के मुख्यालय पर हो,

(3) जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी सदस्य समितियों या ऐसी सदस्य समितियों के सदस्यों अथवा ऐसी सदस्य सगितियों से सम्बद्ध समिति के सदस्यों द्वारा अपेक्षित माल की प्राप्ति, उनका उत्पादन, प्रक्रिया या वितरण करना हो, और

(4) ऐसी समिति की अधिकांश सदस्य समितियों के अधिकांश सदस्य कृषक हों;

(णण) "मतदाता" का तात्पर्य किसी ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि से है जो अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन मतदान करने के लिए हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा 34 या नियम 393 के उपनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति और नियम 421 (ख) या नियम 450 के अधीन आमेलित या नियम 450 के अधीन नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और जिसके नाम निर्वाचन के प्रयोग के लिए तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हो,

(त) "आवास रामिति" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था करना हो –

(1) भूमि,भवन,सामग्रियों तथा/या अन्य सेवायें जो निवास गृहों के निर्माण के लिए आवश्यक हो;या

(2) सीधी खरीद, किराया खरीद या किराये के आधार पर निवास गृह;

(तत) "मतदाता सूची'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(1) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में सामान्य निकाय के, यथास्थिति, प्रतिनिधियों/सदस्यों की सूची;

(2) समिति के सभापति, उपराभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित, आमेलित और नाम–निर्दिष्ट सदस्यों की सूची;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) सदस्यों के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में उस क्षेत्र के या जहाँ से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाना हो, सदस्यों की सूची।

(थ) "औद्योगिक समिति" का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका उद्देश्य अपने आप माल निर्मित करना या अपने सदस्यों द्वारा माल निर्मित करने की सुविधा देना हो;

(थथ) ''प्रारम्भिक नगर सहकारी बैंक'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसके अधिकांश सदस्य अकृशक हों और जिसका प्राथमिक उद्देश्य निक्षेप के लिए धन स्वीकार करना और निधि इकट्ठा करना हो जिसे वह विनियोजित कर सकती हो और अपने सदस्यों को उधार दे सकती हो;

(द) "निर्णीत ऋणी'' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरूद्ध धारा 92 में अभिदिष्ट कोई अभिनिर्णय या आदेश दिया गया हो,

(ध) "श्रम संविदा रामिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम ठेके पर निर्माण कार्य करना या अपने सदस्यों के लिए यथा कर्मवृत्ति के आधार पर या समयावृत्ति के आधार पर सेवायोजन या अंशतः यथा कर्मवृत्ति के आधार पर तथा अंशतः समयावृत्ति के आधार पर सेवायोजन की व्यवस्था करना हो,

(न) ''क्रय विक्रय समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी प्रारम्भिक समिति से है जिसका कार्य क्षेत्र किसी एक जिले का केवल एक भाग या एक से अधिक जिलों का कोई भाग हो और जिसका मुख्य उद्देश्य अपने साधारण सदस्यों की कृषि उपज के क्रय विक्रय की व्यवस्था करना हो,

(प) "किसी व्यक्ति का निकट सम्बन्धी'' का अभिदेश उसके निम्नलिखित सम्बन्धियों से है :

(1) पत्नी,

(2) पति,

(3) पुत्र,

(4) पुत्री,

(5) ससुर,

(6) सास,

(7) साली,

(8) साला,

(9) पति की बहिन,

(10) पति का भाई,

(11) पिता,

(12) माता,

(13) पौत्र या पौत्री,

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(14) बुआ,

(15) भाई,

(16) भतीजा,

(17) बहिन,

(18) भॉजा

(19) पिता के भाई,

(20) मामा,

(21) दामाद,

(22) पुत्रवधु,

(23) जीजा(बहनोई),

(पप) "नागरिको के अन्य पिछड़े वर्गों" का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में उसके लिए दिया गया है;

(फ) किसी सहकारी समिति की "स्वाधिकृत पूंजी'' का तात्पर्य समिति की संचित हानियों को, यदि कोई हों, निकाल देने के पश्चात निम्नलिखित मदों के योग से है–

(1) दत्त अंश पूंजी;

(2) संचित रक्षित निधि;

(3) धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित सहकारी शिक्षा निधि को छोड़कर समिति की कोई अन्य निधि जो उसके लाभ से सृजित हो; और

(4) सरकार अनुदानों से सृजित निधियॉ जिनकी व्यवस्था समिति के लिए निधियों सृजित करने के प्रयोजनो या विशेष संचिति सृजित करने के प्रयोजनार्थ की जाये;

(ब) "उत्पादन तथा विक्रय समिति" का तात्पर्य किसी ऐसी सरकारी समिति से है–

(1) जो ऋण समिति न हो, और

(2) जिसका मुख्य उद्देश्य माल पैदा करना, उसका उत्पादन या प्रक्रिया करना और उन्हें बेचना अथवा अपने सदस्यों के माल पैदा करने, उसका उत्पादन या प्रक्रिया करने में सहायता देना अथवा अपने सदस्यों द्वारा पैदा किये गये, उत्पादित या प्रक्रिया किये गये माल को बेचना हो;

(भ) "प्रारम्भिक समिति'' का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से है जिसकी साधरण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिये न हो;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसी सहकारी क्रय विक्रय समिति जिसका कार्य क्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग या एक से अधिक जिलों का भाग हो, प्रारम्भिक समिति होगी चाहे कोई अन्य सहकारी समिति उसकी साधारण सदस्य हो या न हो प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई अंश किसी केन्द्रीय या शीर्ष समिति ने अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन खरीद लिया हो, प्रारम्भिक समिति बनी रहेगी भले ही ऐसे अंश खरीद लिए गये हों;

1{(म) "उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक अधिनियम,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन 1964) की धारा 2 के उपखण्ड (ञ) में यथा परिभाषित किसी सहकारी समिति से है;}

(य) "विक्रय अधिकारी'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन विक्रय अधिकारी के कृत्यों को करने के लिए निबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति से है;

(कक) ''प्रत्यादान अधिकारी'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन प्रत्यादान अधिकारी के कृत्यों को करने के लिये निबन्धक का अधीनस्थ तथा निबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति से है;

(खख) "धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(गग) "नागर केन्द्रीय बैंक'' का तात्पर्य किसी ऐसे केन्द्रीय बैंक से है जिसका मुख्य उद्देश्य नागर सहकारी समितियों को वित्त पोषण करना हो;

(घघ) "नागर सहकारी समिति" का तात्पर्य किसी ऐसी सहकारी समिति से हे जिसके अधिकाश सदस्य कृषक न हों,

2{(घघघ) "निर्बल वर्ग" का तात्पर्य समाज के ऐसे वर्ग से है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों के व्यक्ति समाविष्ट हैं;}

(ङङ) ''सहकारी समिति की कार्यरत पूंजी'' का तात्पर्य उसकी स्वाधिकृत पूंजी और ऐसी निधियों से हे जो वह निक्षेपों द्वारा उधार ले कर या किसी अन्य प्रकार से उगाहे;

(चच) "थोक उपभोक्ता स्टोर'' का तात्पर्य किसी ऐसी केन्द्रीय समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसा माल प्राप्त करना अथवा बेचना हो जो उसके सदस्यों द्वारा अथवा ऐसी समिति से सम्बद्ध समितियों के सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए सामान्यतया अपेक्षित हो।

---

1. अधिसूचना संख्या 3849/49–1–98–7(11)–97, लखनऊ, दिनांक 31 अक्टूबर,1998 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 719 एम/49–1–95–7(10)/95, दिनांक 16.11.1995(उ0प्र0 सहकारी समिति तीसवां संशोधन नियमावली 1995) द्वारा बढ़ाया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय.2

निबन्धन

1{ 3. किसी समिति के निबन्धन के लिए आवेदन उक्त प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा। ऐसा प्रपत्र, ई–पेमेंट के माध्यम से दो हजार रुपये का संदाय करके ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा।

4. (1) नियम 3 में अभिदिष्ट निबन्धन के लिए प्रार्थना पत्र के साथ ऐसी प्रतिमान उपविधियों की चार प्रतियॉ जो प्रस्तावित समिति के लिए उपयुक्त हो, जिला सहायक निबन्धक से बीस रूपये प्रति उपविधि की दर से भुगतान करके प्राप्त की जा सकेगी। यदि ऐसी प्रतिमान उपविधियाँ उपलब्ध न हों तो प्राथी अपनी प्रस्तावित उपविधियाँ बना सकता है।

(2) यदि प्रतिमान उपविधियाँ ग्रहण की जानी हो तो उन्हें उचित रीति से भरकर उनकी तीन प्रतियॉ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। यदि प्रतिमान उपविधियों में संशोधन करना अपेक्षित हो तो ऐसे संशोधन उनमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किये जाने चाहिये और तब संशोधित उपविधियों की तीन प्रतियाँ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेंगी। यदि कोई भी प्रतिमान उपविधियाँ उपलब्ध न हों और प्रार्थी उपनियम (1) में उल्लिखित अपनी प्रस्तावित उपविधियाँ बनायें तो उस दिशा में इस प्रकार प्रस्तावित उपविधियों की बनाई गईं प्रतियों की मुद्रित या स्वच्छ रूप से टंकित अथवा साइक्लोस्टाइल्ड तीन प्रतियॉ तैयार की जायेंगी और वे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेंगी।

---

1. अधिसूचना संख्या–1427/49–1–2021–8(56)–13टी0सी0–बी दिनांक 03 दिसम्बर 2021{उ0प्र0 सहकारी समिति (अठावनवां संशोधन) नियमावली 2021} द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

5. निबन्धन के लिए प्रत्येक प्रार्थना पत्र में धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जायेगी। प्रार्थना पत्र का प्रथम हस्ताक्षरी वह व्यक्ति होगा जिसने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के अनुमोदन से धारा 31 की उपधारा (4) के अनुसरण में अन्तरिम अवधि के लिए समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने का वचन दिया हो और उनमें से एक हस्ताक्षरी मुख्य प्रवर्तक के रूप में भी हस्ताक्षर करेगा जिसको निबन्धक, निबन्धन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना दे सकेंगे।

1{ 6. नियम 3 के अनुसार निबन्धन के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी रसीदी/पावती ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।}

2{ 7. निबन्धन हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये आवेदन पर क्रमांक और आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक का उल्लेख ऑनलाइन किया जाएगा तत्पश्चात निबन्धक प्रपत्र ''ग'' में रजिस्टर में ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये ऐसे आवेदन का विवरण प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करायेगा।}

8. यदि निबन्धक का निबन्धन के प्रस्ताव की परिनिरीक्षा करने पर, और यदि आवश्यक हो तो जॉच करने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि–

(क) निबन्धन का प्रस्ताव धारा 6 की उपधारा (2) और धारा 7 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है;

(ख) व्यक्तियों के सम्बन्ध में समिति की साधारण सदस्यता जिन्हें समिति के उद्देश्यों का ध्यान है उन व्यक्तियों तक संसीमित है जो उनकी राय में, या तो–

(1) समिति द्वारा प्रस्तावित सेवाओं या उधार के उपयोगकर्ता हों; या

(2) समिति द्वारा उत्पादित या व्यवस्थित माल के उपभोक्ता हों; या

---

1. अधिसूचना संख्या–1427/49–1–2021–8(56)–13टी0सी0–बी दिनांक 03 दिसम्बर 2021{उ0प्र0 सहकारी समिति (अठावनवां संशोधन)नियमावली 2021} द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या–1427/49–1–2021–8(56)–13टी0सी0–बी दिनांक 03 दिसम्बर 2021{उ0प्र0 सहकारी समिति (अठावनवां संशोधन)नियमावली 2021} द्वारा प्रतिस्थापित।

या

(3) समिति द्वारा उपयुक्त या बेचे जाने वाले माल के उत्पादक हों,

या

(4) समिति द्वारा उपयुक्त या बेचे जाने वाले माल के नियमित सम्भरणकर्ता हो,

या

(5) समिति में कार्य करने वाले हों,

या

(6) समिति के कारोबार के प्रकार पर निर्भर करते हुये ऐसे व्यक्तियों की एक से अधिक श्रेणी का हो।

(ग) प्रस्तावित समिति से राज्य में सहकारिता आन्दोलन की सामान्य कार्यप्रणाली और उसके स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने में सम्भावना नही है,

(घ) प्रस्तावित समिति के नाम के साथ किसी व्यक्ति विशेष सम्प्रदाय, जाति या पन्थ का नाम नही है।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था, अधिष्ठान या व्यापारिक संस्था में कोई समिति बनाई जाये तो वह अपने नाम के साथ, यथास्थिति ऐसी संस्था, अधिष्ठान या व्यापारिक संस्था का नाम सम्मिलित कर सकती है,

(ङ) प्रस्तावित समिति उन अपेक्षाओं तथा शर्तो की पूर्ति करती है जैसा कि परिशिष्ट 1 में सामान्य रूप से समितियों के लिए और उस विशेष वर्ग की प्रस्तावित समिति हो, निर्धारित है।

9. निबन्धक, किसी समिति को निबद्ध करने के पूर्व, निबन्धन के लिए प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित उपविधियों में ऐसे छोटे–मोटे परिवर्तन कर सकता है जो उसकी राय में वांछनीय होः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परिवर्तन के लिए मुख्य प्रवर्तक या किसी अन्य प्रार्थी की, जो प्रार्थियों द्वारा प्राधिकृत हो, इस प्रयोजन के लिए लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाये।

10. यदि कोई सहकारी समिति धारा 7 के अधीन निबद्ध की जाये, तो निबन्धक, प्रपत्र "घ" में निबन्धन रजिस्टर में, समिति का पता जैसा कि प्रार्थना पत्र के प्रपत्र में दिया गया हो दर्ज करेगा या करायेगा।

11. नियम 10 के अधीन व्यवस्थित कार्यवाही करने के पश्चात निबन्धक समिति को निम्नलिखित भेजेगा–

1–प्रपत्र "ङ" में निबन्धन की सूचना,

2–प्रपत्र "च" में निबन्धन का प्रमाण पत्र,

3—निबद्ध उपविधियों की प्रमाणित प्रति।

12. यदि किसी सहकारी समिति को धारा 7 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निबद्ध समझा जाये तो निबन्धक नियम 10 और 11 में व्यवस्थित कार्यवाही करेगा।

———————————————————————

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 3

उपविधियाँ

13. निबन्धक समिति या समितियों के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रतिमान उपविधियाँ बना सकता है और समय समय पर उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

14. प्रतिमान उपविधियॉ जो निबन्धक की ओर से किसी समिति के लिए समुपयुक्त हों, ऐसे संशोधन के साथ, यदि कोई हो, समिति द्वारा अंगीकार की जा सकती हैं, जिन्हें समिति अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये आवश्यक समझे।

15. सहकारी समिति की उपविधियों में अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित बातें होंगी अर्थात–

(1) समिति का नाम और मुख्यालय,

(2) उसका कार्य–क्षेत्र,

(3) समिति के मुख्य उद्देश्य,

(4) समिति के गौण उद्देश्य

(5) निधि लेने की सीमा, रीति और शर्ते तथा अंशपूजी की न्यूनतम और अधिकतम धनराशि जिसे कोई सदस्य रख सकता है,

(6) प्रयोजन जिसके लिये उसकी निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा,

(7) सदस्यता की अनुमति, उनकी शर्ते और अर्हतायें,

(8) सदस्य के लिए अनर्हतायें,

(9) सदस्यता के अधिकार के प्रयोग करने के पूर्व शर्त के रूप में किया जाने वाला भुगतान और अर्जित होने वाला हित और तत्पश्चात किया जाने वाला भुगतान, यदि कोई हो,

(10) नाम मात्र, सम्बद्ध और सहानुभूतिकर सदस्यों सहित सदस्यों के विशेषाधिकार, अधिकार,कर्तव्य और दायित्व,

(11) किसी सदस्य द्वारा किसी देय धनराशि का भुगतान न करने के परिणाम,

(12) सदस्यों द्वारा उपविधियों का उल्लंघन करने के परिणाम,

(13) समिति की सामान्य निकायका संघटन,

(14) सदस्यता वापस लेना, उससे हटाया जाना और निष्कासन,

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(15) प्रबन्ध कमेटी और उप कमेटियों का भी, यदि कोई हों, संघटन,

(16) सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी और अन्य उप कमेटियों की, यदि कोई हो, बैठक बुलाना ऐसी बैठकों के लिए नोटिस, कार्य और गणपूर्ति, ऐसी बैठकों को आस्थगित तथा स्थगित करने की शर्तें और रीति,

(17) समिति की प्रबन्ध कमेटी, उप कमेटियों, सभापति, उप सभापति, सचिव, और अन्य अवैतनिक या वैतनिक अधिकारियों के कृत्य अधिकार तथा कर्तव्य,

(18) धारा 121 और 122 के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये

समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति,उनका निलम्बन, हटाया जाना और शास्ति,

(19) दूसरी समिति की सदस्यता के लिए अनुमति और सम्बद्ध विषय,

(20) लेखा बहियाँ और रजिस्टर रखना, विवरणियाँ तथा अपेक्षित विवरण पत्र तैयार करना और प्रस्तुत करना,

(21) नकद धनराशि और महत्वपूर्ण लेख्यों की अभिरक्षा, अनुरक्षण और उन्हे रखना;

(22) लाभ से अन्य निधियों का सृजन,अनुरक्षण और प्रयोग;

(23) निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया और अन्य विषय;

(24) विषय जो समिति के संघटन और कार्य प्रणाली से तथा उसके कार्य के प्रबन्ध से आनुषंगिक हों;

(25) कोई अन्य विषय जिसके लिये समिति को अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अधीन उपविधियाँ बनाना अपेक्षित हो।

16.(क) सहकारी ऋाण समिति की दशा में अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपविधियों के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय भी होंगे–

(1) ऋण स्वीकार करने के लिए प्रयोजन, प्रक्रिया, शर्ते और प्रतिभूति और वसूली की अवधि को बढ़ाना, उसे स्थगित करना और उसके वसूली की रीति तथा परिस्थितियाँ जिसमें ऋण वापस कराया जाये;

(2) सदस्यों के ऋण की सीमा निश्चित करना;

(3) किसी सदस्य को अनुज्ञेय अधिकतम ऋण;

(4) ऋण पर लिये जाने वाले व्याज की अधिकतम दर;

(5) प्रतिभू उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व;

(6) ऋण बकाया रह जाने अथवा उसका दुरूपयोग करने के परिणाम;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(7) यदि समिति अपने सदस्यों को कृषि कार्यो की सुविधायें दे और उसे राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिली हो तो एक निधि बनाना जो कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि कहलायेगी;

(ख) ऋण न देने वाली सहकारी समिति की दशा में, अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उपविधियों में समिति के कार्य करने की रीति, जिसके अन्तर्गत उत्पादन क्रय–विक्रय, स्टाक रखना और ऐसे कार्य कलापो का संचालन यदि कोई हो, जो वाणिज्यिक न हो, भी हैं।

17. जब किसी सहकारी समिति द्वारा उसके दायित्वों के स्वरूप या आयति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो तो संगत उपविधियों में संशोधन करने के लिए एक संकल्प नियम 24 से 27 तक में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जायेगा। सामान्य निकाय से ऐसे सदस्यों के नाम जो संकल्प के पक्ष में या उसके विपक्ष में मत दें, बैठक की कार्यवाहियों में अलग अलगअभिलिखित किये जायेंगे और लेने वाला प्रत्येक सदस्य अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा।

18. नियम 17 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति और धारा 11 की उपधारा (2) मे व्यवस्थित नोटिस समिति के सभी सदस्यों और ऋणदाताओं को भेजी जायेगी और संकल्प की एक प्रति तथा नोटिस समिति के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायेगी और उसकी दूसरी प्रति निबन्धक को भेजी जायेगी।

19. कोई सदस्य या ऋणदाता जो धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करना चाहे तदनुसार समिति को लिखित रूप में रजिस्ट्री डाक भेजकर या अभिस्वीकृति के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से देकर सूचित करेगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य जो नियम 17 में अभिदिष्ट बैठक में उपस्थित रहा हो और जिसने संकल्प के पक्ष में मत दिया हो, अपने अंशों या जमा की गयी धनराशियों को वापस करने की मांग के कारण देगा।

20. धारा 11 की उपधारा (2) में उल्लिखित अवधि के भीतर समिति द्वारा विकल्प प्राप्त हो जाने के पश्चात समिति वापस लेने के विकल्पों के आधार पर दावों का क्रमबद्ध भुगतान करने के लिए प्रपत्र "छ" में एक योजना तैयार करेगी। समिति दायित्व से सम्बन्धित उपविधियों में प्रस्तावित परिवर्तन के साथ योजना निबन्धक को प्रस्तुत करेगी। निबन्धक योजना और उपविधियों संशोधन के प्रस्ताव पर जॉच करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखेगाः

(क) विकल्प सद्भावना से किये गये हैं;

(ख) योजना से समिति के अस्तित्व या उचित रूप से कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडता हैः

(ग) समिति के पास योजना के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधि है;

(घ) समिति के हित में कोई अन्य संगत तथ्य।

21. जब निबन्धक योजना का अनुमोदन कर दे तब समिति इस प्रकार अनुमोदित योजना के अनुसार ऋणदाताओं तथा सदस्यों को भुगतान करेगी और इस आशय की सूची निबन्धक को देगी।

22. अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपविधियों में संशोधन का प्रस्ताव तब तक स्वीकर नहीं किया जायेगा जब तक कि निबन्धक को यह समाधान न हो जाये कि

धारा 11 और 12 और नियम 17 से 21 तक की अपेक्षाओं का पालन कर दिया गया है और समिति ने योजना के अनुसार भुगतान कर दिया है।

23. उपविधियों में संशोधन करने पर निबन्धक तदनुसार निबन्धन रजिस्टर के दायित्व स्तम्भ मे दर्ज करेगा और नियम 29 में की गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही भी करेगा।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 4

उपविधियों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रक्रिया

24. किसी सहकारी समिति को उपविधियों में संशोधन करने के प्रयोजन के लिए बुलायो गयो किसी सामान्य बैठक में उपस्थित कम से कम दो–तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा सहकारी समिति की उपविधियों में संशोधन किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण उपविधियों को नवीन उपविधियों सेप्रतिस्थापित करना भी है।

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन की दशा में अथवा ऐसे संशोधन जिन्हें करने के लिए निबन्धक धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा करे, संकल्प केवल साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।

1{25. उपविधियों के संशोधन पर विचार करने के निमित सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को तीस दिन को नोटिस, जिसके साथ प्रस्तावित संशोधन को एक प्रति भी होगी, दी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नयी उपविधियों द्वारा सम्पूर्ण उपविधियों को प्रतिस्थापित करके संशोधन करना हो या धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में संशोधन करना हो तो समिति के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह सदस्यों को बैठक की नोटिस के साथ प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति भेजे। किन्तु प्रस्तावित वित्त संशोधन नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से समिति और उसके शाखा कार्यालयों में, यदि कोई हो, कार्यालय समय के भीतर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा और इस तथ्य की सूचना सदस्य को नोटिस द्वारा या उसके माध्यम से दी जायेगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में बुलायी जाये तो पन्द्रह दिन को नोटिस पर्याप्त होगीः

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि नियम 26 के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन निबन्धक की अनुज्ञा से कम की गयो गणपूर्ति वाली कोई बैठक बुलायी जाये तो ऐसी बैठक के लिए सात दिन को नोटिस पर्याप्त होगी।}

26. ऐसी बैठक के लिए जिसमें किसी उपविधि के संशोधन पर विचार किया जाय, सीमित दायित्व वाली समिति की दशा में, सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई की गणपूर्ति और अन्य सभी दशाओं में दो–तिहाई को गणपूर्ति अपेक्षित होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई समिति दायित्व वाली समिति की बैठक में अपेक्षित गणपूर्ति न हो

---

1. अधिसूचना सं. 1107–सी / 12 –सी० ए०–50(1)–69 दिनांक 14 फरवरी, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सके हो निबन्धक समिति को यह निर्देश दे सकता है कि यह दूसरी बैठक बुलाये जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके 1/5 कर दी जायेगी और सदस्यों को इस तथ्य को लिखित सूचना दे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधनों की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन यह अपेक्षा किये जाने पर कि उनमें समिति द्वारा संशोधन किया जाय तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक 1/5 की कम की गयी गणपूर्ति के अभाव में न हो, 1/7 तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य कि बैठक 1/7 की और कम की गयो गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक को कार्य–सूची के नोटिस में उल्लिखित किया जाएगा।

27. प्रत्येक ऐसी दशा में जिसमें किसी समिति ने उपविधियों के संशोधन के लिए संकल्पित किया हो, संशोधन के निबंधन के लिए प्रार्थना–पत्र प्रपत्र "ज" में निवन्धक को ऐसी बैठक के, जिसमें संशोधन संकल्पित किया गया हो (जब तक कि निबन्धक विशेष कारणों के विलम्ब को क्षमा न कर दे), दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर दिया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित भी होंगे :

(क) प्रस्तावित संशोधन की तीन प्रतियां

(ख) संशोधन के संकल्प की तीन प्रमाणित प्रतियां जिन पर सहकारी समिति की ओर से सचिव के हस्ताक्षर तथा बैठक के सभापति के हस्ताक्षर होंगे;

(ग) समिति की वर्तमान निबद्ध उपविधियां; और

(घ) समिति के निबन्धन का प्रमाण–पत्र।

1{28. (1) उपविधि के किसी संशोधन का निबन्धन करने के प्रस्ताव की परिनिरीक्षा करने पर, यदि निबन्धक का यह समाधान हो जाए कि–

(एक) समिति की उपविधियों के संशोधन के लिए नियत प्रक्रिया का उचित रूप से पालन किया गया है; और

(दो) प्रस्ताव–

(क) धारा 12 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप है;

(ख) समिति की उपविधियों के किसी अन्य उपबन्ध से असंगत नहीं है।

(ग) यदि समिति के नाम में परिवर्तन करने से सम्बन्धित हो तो वह ऐसा नहीं है, जिससे कि वह समिति के उद्देश्यों, कार्यकलापों या कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में भ्रामक हो;

---

1. अधिसूचना संख्या 395/49–1–10–8(111)–08, दिनांक 24 मार्च, 2011 (उ० प्र० सहकारी समिति (सैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2011 (24–3–2011 से प्रभावी)) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) अन्य रूप से समिति के हित या लोकहित के प्रतिकूल नहीं है;

तो वह ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के एक माह के भीतर संशोधन को निबन्धित करेगा।

(2) यदि निबन्धक एक माह के भीतर संशोधन को निबन्धित नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि उसने संशोधन करने से मना कर दिया है और ऐसे मामले में निबन्धक का दायित्व होगा कि संशोधन निबन्धित न करने के कारणों से समिति को अगले एक माह में सूचित करे।

(3) उपविधियों का कोई भी संशोधन, उसके निबन्धन के पूर्व कार्यान्वित न होगा।}

29. जब निबन्धक नियम 28 (1) के अधीन कोई संशोधन निबद्ध करे तो वह–

(क) निम्नलिखित कार्य या तो स्वयं करेगा अथवा उसे कराएगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा :

(1) निबन्धक रजिस्टर के संगत स्तम्भ में संशोधन से सम्बद्ध प्रविष्टि,

(2) अपने कार्यालय में मूल उपविधि को कार्यालय प्रतिलिपि में संशोधन से सम्बद्ध पृष्ठांकन;

(ख) अपने कार्यालय के अभिलेख के लिए इस प्रकार निबद्ध संशोधन की एक प्रतिलिपि रख लेगा;

(ग) निबद्ध संशोधन की एक प्रमाणित प्रति–

(1) सम्बद्ध सहकारी समिति को,

(2) ऐसी केन्द्रीय समिति को, यदि कोई हो, जिसमें सम्बन्धित समिति सम्बद्ध हो, यदि उसकी राय में उक्त संशोधन केन्द्रीय समिति के लिए किसी प्रकार महत्वपूर्ण हो;

(घ) समिति को–

(1) निबन्धन प्रमाण पत्र पर उपविधि के संशोधन के निवन्धन के दिनांक को लिखकर उसे, और

(2) संशोधन के सम्बन्ध में पृष्ठांकन सहित मूल उपविधियां लौटा देगा या लौटवा देगा।

1{29–क. जहां किसी सहकारी समिति की उपविधि किसी नई उपविधि द्वारा प्रतिस्थापित की जाए, वहां निबन्धक, सभापति और उप–सभापति सहित प्रथम प्रबन्ध कमेटी को नामनिर्दिष्ट कर सकता है,

नामनिर्दिष्ट प्रबन्ध कमेटी तब तक पदधारण करेगी जब तक प्रबन्ध कमेटी का सम्यक् गठन न हो जाएः

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक, केवल उन्हीं समितियों की प्रबन्ध कमेटी को नामनिर्दिष्ट करेगा जहां निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी विद्यमान न हो, ऐसी समितियों के मामलों में जहां उपविधि किसी

---

1. अधिसूचना संख्या 965/49–1–2003–500(24)/2003, दिनांक 28 मई, 2003 (उ० प्र० सहकारी समिति (तैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2003) द्वारा अन्तःस्थापित (28–5–2003 में प्रभावी)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

नयी उपविधि द्वारा प्रतिस्थापित की गयी हो, किन्तु निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी अब भी विद्यमान हो, वहां निबन्धक को यह शक्ति होगी कि वह निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् ही प्रबन्ध कमेटी को नामनिर्दिष्ट करे।}

30. निबन्धक जैसा कि धारा 14 में व्यवस्थित है, किसी सहकारी समिति से अपनी उपविधियों में निम्नलिखित परिस्थितियों में संशोधन करने की अपेक्षा कर सकता है :

(क) यदि समिति का निबद्ध–नाम, उनके कार्य–कलाप, सदस्यता या कार्य–क्षेत्र के सम्बन्ध में भ्रामक हो अथवा नियम 8 (घ) के उपबन्धों से असंगत हो;

(ख) यदि समिति की प्रबन्ध कमेटी ने स्वयं कोई संशोधन प्रस्तावित किया हो, किन्तु अपेक्षित गणपूर्ति के अभाव में सामान्य निकाय की बैठक न होने के कारण सामान्य बैठक में उस पर विचार न किया जा सका हो;

(ग) यदि उपविधियों, अधिनियम, नियम अथवा विनियमों के किन्हीं उपबन्धों की किन्हीं असंगतता को दूर करने के लिए संशोधन आवश्यक हो;

(घ) यदि अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार समिति के संगठन में किसी दोष से बचने के लिए संशोधन आवश्यक हो;

(ड) यदि ऐसे सहकारी कार्य–कलापों के सम्बन्ध में जिससे समिति सम्बद्ध हो, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी नीति को कार्यान्वित करने के लिए संशोधन आवश्यक हो;

(च) यदि सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया में सुधार करने या उसके सुव्यवस्थाकरण के लिए संशोधन आवश्यक हो;

(छ) यदि समिति के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में उसकी सदस्यता या उसके कार्य–क्षेत्र के सुव्यवस्थाकरण के लिए आवश्यक हो;

(ज) यदि कोई संशोधन उसी वर्ग या श्रेणी, जिसकी समिति हो, की अन्य सहकारी समितियों द्वारा पहले से ही अंगीकार कर लिया गया हो;

(झ) यदि संशोधन समिति के सामान्य निकाय द्वारा पहले से प्रस्तावित किया जा चुका हो, किन्तु जो निबन्धन के लिए निबन्धक को प्रस्तुत न किया गया हो और निबन्धक संशोधन को लोकहित में या समिति के हित में आवश्यक समझे

(ञ) यदि निबन्धक की राय में समिति में विशेष वर्ग का आधिपत्य हो अथवा उसमें दलबन्दी हो और संशोधन समिति को अपना कार्य उचित रूप से करने के लिए तथा उसे इस प्रकार के आधिपत्य अथवा दलबन्दी से बचाने के लिए, आवश्यक हो।

31. यदि निबन्धक धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किसी उपविधि का संशोधन करने के लिए आदेश जारी करे तो आदेश में निम्नलिखित बातें होंगीः

(क) प्रस्तावित संशोधन का मूल पाठ;

(ख) अवधि के भीतर ऐसा संशोधन समिति द्वारा अंगीकार किया जाना अपेक्षित हो;

(ग) संशोधन का प्रस्ताव करने के कारण।

32. यदि समिति प्रस्तावित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्ति करे तो निबन्धक, समिति की आपत्तियों पर विचार करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाए कि समिति की आपत्तियां ठीक है तो वह आगे की कार्यवाहियां बन्द कर देगा और यदि उसका समाधान न हो तो वह धारा 14 की उपधारा (2) में व्यवस्थित आगे की कार्यवाही करेगा।

33. जब धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन कोई संशोधन निबद्ध किया गया हो तो उसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र "झ" में रखे गये रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेगी और इस प्रकार निबद्ध संशोधन की एक प्रति सम्बद्ध सहकारी समिति को भेजी जायेगी। संशोधन के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (क), (ख) और (ग) में व्यवस्थित कार्यवाही भी की जायेगी। यदि समिति ने निबन्धन प्रमाण–पत्र तथा मूल निबद्ध उपविधियां निबन्धक को भेजी हों तो नियम 29 के उपनियम (घ) के अनुसार भी कार्यवाही की जायेगी।

34. निबन्धक प्रत्येक सहकारी समिति का नाम और पता नियम 10 में निर्दिष्ट निबन्धन रजिस्टर में रखेगा।

35. (क) प्रत्येक सहकारी समिति अपना पूरा पता निबन्धक को लिखित रूप से सूचित करेगी जो समिति की निबद्ध उपविधियों के संगत उपबन्धों से असंगत न होगा। समिति द्वारा इस प्रकार सूचित पते में जिले और ग्राम, टाउन, नगर, म्युनिसिपल बोर्ड, मुहल्ला, सड़क, गृह संख्या और डाक सर्किल के भी नाम होंगे जो सभी प्रकार से पूरे पते के लिये आवश्यक हों। उस पत्र पर जो पते में किसी परिवर्तन के लिए धारा 107 के अधीन निवन्धक को भेजा जाए, सचिव द्वारा हस्ताक्षर तथा सभापति द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(ख) निबन्धक उपनियम (क) के अधीन समिति से पत्र प्राप्त होने पर पुस्तकों में पहले से निबद्ध पते में संशोधन करेगा और यदि वह समिति के कार्य–कलापों, सदस्यता या व्यवसाय सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए विज्ञापित कराना आवश्यक समझे तो वह समिति के उस क्षेत्र के प्रमुख समाचार–पत्र में उक्त संशोधन विज्ञापित करने की अपेक्षा कर सकता है।

36. जब तक कि समिति द्वारा निबन्धक को नियम 35 के उपनियम (क) में निर्धारित रीति से पते में परिवर्तन की सूचना न दे दी जाए, तब तक समिति के सचिव की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि समिति के अन्तिम ज्ञात पते पर सम्बोधित प्रत्येक पत्र समिति को प्राप्त हो जाए।

37. यदि कोई दो या अधिक सहकारी समितियां धारा 15 के अधीन समामेलन या विलयन के लिए प्रस्ताव करे अथवा यदि कोई सहकारी समिति धारा 16 के अधीन अपने विभाजन का प्रस्ताव करे तो उक्त प्रयोजन के लिए बुलायी जाने वाली सामान्य बैठक के दिनांक से पूर्व पूरे पन्द्रह दिन की सूचना निवन्धक को प्रपत्र "ञ" में रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी अथवा अभिस्वीकृति के अधीन व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय–5

सदस्यता

38.(1)(क) धारा 26–क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए. सहकारी समिति की सदस्यता पाने के लिए प्रत्येक प्रार्थना–पत्र सचिव को दिया जायेगा जो प्रार्थना–पत्र को यथाशीघ्र समिति को उपविधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष (जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है) समिति की सदस्यता दिये जाने के प्रश्न पर निर्णय देने के लिए प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.–नाममात्र के या सम्बद्ध सदस्यता के रुप में सदस्यता पाने के किसी प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिए समिति के प्रबन्ध कमेटी द्वारा समिति के किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी होने का प्राधिकार दिया जा सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी सदस्यता पाने के लिए दिए गए प्रार्थना–पत्र पर विचार करेगा और प्रार्थी को समिति की सदस्यता दिये जाने या न दिये जाने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय देगा। यह निर्णय, जब तक कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना सम्भव न हो–

(1) नाम मात्र या सम्बद्ध सदस्य की दशा में समिति को प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, तथा

(2) किसी अन्य दशा में, समिति को प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पैतिस दिन के भीतर लिया जायेगा।

निर्णय की सूचना प्रार्थी को निर्णय लिये जाने के सात दिन के भीतर दी जायेगी।

(ग) यदि सदस्यता के लिए दिये गये प्रार्थना–पत्र पर कोई निर्णय न लिया गया हो और उसकी सूचना प्रार्थी को–

(1) नाम मात्र या सम्बद्ध सदस्य की दशा में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर, तथा

(2) साधारण या सहानुभूतिकर सदस्य की दशा में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर,

न दी जाय, तो ऐसा प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति का सदस्य उस समय तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि–

(1) वह अधिनियम, नियमावली तथा समिति की उपविधियों में सदस्यता के लिए निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उसने समिति की उपविधियों में निर्धारित रीति से समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र न दिया हो;

39. यदि राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन), कोई सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (ऐक्ट संख्या 21, 1860) के अधीन निबन्धित कोई समिति, तत्समय प्रचलित किसी भी अन्य विधि के अधीन निबन्धित कोई कम्पनी या निगमित निकाय, किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र दे तो ऐसी सम्बद्ध सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा जो निकाय पर प्रयुक्त की विधि या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम हो।

स्पष्टीकरण.–शब्द 'उपविधि' के अन्तर्गत सम्बद्ध निकाय के नियम या समवाय नियम अथवा समवाय ज्ञापिका भी होंगे।

40.. यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने, किसी समिति के मृत सदस्य के अंश या हित को संयुक्त रुप से दाय में पाया हो तो ऐसे व्यक्तियों को समिति का साधारण सदस्य बनाया जा सकता है। अंश या अंशों के सम्बन्ध में मतदान के अधिकार के लिए ऐसे व्यक्ति, घोषणा द्वारा अपने में से किसी एक को धारा 20 के अधीन मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिये नाम–निर्दिष्ट करेंगे, जिस पर समिति, अंश प्रमाणक में ऐसे व्यक्ति का नाम संयुक्त अंशधारियों में मुख्य नाम के रुप में लिखेगी।

स्पष्टीकरण. (1) यद्यपि मतदान के अधिकार का उपयोग केवल घोषणा में तथा अंश प्रमाणक में इस प्रकार उल्लिखित व्यक्ति द्वारा ही किया जायगा तथापि उक्त सभी व्यक्तिअधिनियम, नियमावली तथा समिति की उपविधियों में की गयी व्यवस्था के अनुसार संयुक्त रुप से और अलग–अलग सम्पूर्ण दायित्वों के भागी होंगे।

(2) यह नियम केवल तब तक लागू होगा जब तक कि अंश संयुक्त रुप से धृत हो।

41.(1) कोई भी व्यक्ति विशेष, किसी सहकारी समिति का, जो अपने सदस्यों को नकदी या जिन्स अथवा दोनों ही प्रकार का ऋण देती है, सदस्य न होगा, यदि ऐसा व्यक्ति अनुपयुक्त दिवालिया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति विशेष, समिति का न तो साधारण सदस्य होगा और न बना रहेगा, यदि निबन्धक की राय में उसी प्रकार का कार्य करता हो जैसा कि समिति द्वारा किया जा रहा हो।

42.(1) कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति विशेष हो और जो पहले से ही किसी प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति का सदस्य हो जब तक कि उसे निवन्धक द्वारा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुज्ञा न दी जाय, किसी अन्य सहकारी ऋण समिति का सदस्य न होगा (सिवाय जब तक कि ऐसी समिति कोई सहकारी बैंक हो जिसका मुख्य कार्य अपने सदस्यों की अचल सम्पत्ति बन्धक रखकर दीर्घावधि ऋण देना हो)।

(2) यदि कोई व्यक्ति विशेष, उपनियम (1) के उल्लंघन में दो ऋण समितियों का सदस्य हो गया हो तो वह दोनों में से किसी एक समिति की सदस्तता त्याग देगा तथा सदस्यता त्यागने के लिए कहे जाने से 45 दिनों के भीतर उसके ऐसा न करने पर समिति, जिसका वह बाद में सदस्य बना हो, उसे सदस्यता से हटा देगी।

43. कोई भी व्यक्ति, जब तक कि निबन्धक द्वारा उन कारणों से,जो अभिलिखित किए जायेंगे, किसी सहकारी आवास समिति का सदस्य न होगा, यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही उसी शहर में किसी अन्य सहकारी आवास समिति का सदस्य हो।

44.(क) किसी भी व्यक्ति को जिसे नियम 56 को खण्ड (ख) के अधीन किसी सहकारी समिति की सदस्यता से निकाल दिया गया हो, निकाले जाने के आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पूर्व, उसी समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा जैसा कि धारा 27 की उपधारा (5) में व्यवस्थित है।

(ख) किसी भी व्यक्ति विशेष को–

(1) किसी शीर्ष समिति या (उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक, नगर केन्द्रीय बैंक और उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ से भिन्न) केन्द्रीय बैंक का; या

(2) किसी ऐसी केन्द्रीय समिति का जिसकी कोई अन्य केंद्रीय समिति साधारण सदस्य हो, साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

(ग) यदि उपनियम (ख) में उल्लिखित किसी समिति में अधिनियम लागू होने के दिनांक को व्यक्ति विशेष उसकी साधारण सदस्यता में हो तो वह समिति ऐसे दिनांक से एक वर्ष के या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जिसकी निबन्धक, ऐसे कारणों से जो अमिलिखित किये जायेंगे, किसी भी सहकारी समिति के लिए अनुमति दे, समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार धारा 18 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी अन्य वर्ग में अपनी सदस्यता समायोजित करेगा।

45. किसी भी संयुक्त स्टाक कम्पनी (ज्वांइट स्टाक कम्पनी) को निम्नलिखित का साधारण सदस्य नहीं बनाया जायेगाः

(एक) किसी प्रारम्भिक नगर सहकारी बैंक या नगर केन्द्रीय बैंक से भिन्न शीर्ष या केन्द्रीय बैंक काः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रारम्भिक नगर सहकारी बैंक या नागर केन्द्रीय बैंक में ऐसी कम्पनियों की कुल सदस्यता, निबन्धक के पूर्वानुमोदन के विना, ऐसे बैंक की कुल सदस्यता के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(दो) किसी प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति का।

46. कोई नाम मात्र या सम्बद्ध सदस्य केवल उतना प्रवेश शुल्क देगा जितना समिति की उपविधियों के अन्तर्गत अपेक्षित हो। प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जायेगा न उस पर कोई ब्याज देय होगा।

47. किसी सहकारी समिति का कोई सम्बद्ध या नाम मात्र सदस्य, भले ही समिति का दायित्व कुछ भी हो, समिति के समापित किये जाने पर उसकी परिसम्पत्तियों में अंशदान करने के लिए जिम्मेदार न होगा, सिवाय किन्हीं ऐसे देयों के प्रतिदान के लिए जिम्मेदार न होगा, सिवाय किन्हीं ऐसे देयों के प्रतिदान के लिए जिनका वह अकेले या किसी अन्य ऋणदाता के साथ संयुक्त रुप से समिति को देनदार हो।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

48. किसी सहकारी समिति की सदस्यता के लिए स्वीकृत किये जाने के पूर्व प्रत्येक सदस्य एक घोषणा–पत्र पर इस आशय का हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति के वर्तमान उपविधियों, और उसके किसी संशोधन को मानने के लिये बाध्य होगा। ऐसा घोषणा–पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

49.कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति के निबन्धन के लिए दिये गये प्रार्थना–पत्र में सम्मिलित होने के कारण पहले से ही सदस्य हो, उससे समिति के निबन्धन के एक माह के भीतर, ऐसी समिति द्वारा नियम 48 में निर्दिष्ट घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी। यदि वह ऐसा न करे तो वह समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने का भागी होगा।

50. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य, सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने का तब तक हकदार न होगा, जब तक कि वह यथास्थिति नियम 48 या 49 में उल्लिखित घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर न कर दे, और समिति को ऐसा भुगतान न कर दे, जो सदस्यता के सम्बन्ध में आवश्यक हो या समिति में ऐसा स्वत्व अर्जित न कर ले जो उस समिति के लिए समिति की उपविधियों में व्यवस्थित की जाय।

51. कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति का तब तक सहानुभूतिकर सदस्य नहीं बनाया जायेगा जब तक कि वह समिति के सचिव को लिखित रुप में इस प्रयोजन के लिए, समिति की उपविधियों में व्यवस्थित प्रपत्र पर और रीति से प्रार्थना–पत्र न दे।

52. किसी सहकारी समिति का सहानुभूतिकर सदस्य बनाये जाने पर, ऐसे अंश खरीदेगा जिनका मूल्य और सीमा कम न होगी, जो किसी साधारण सदस्य के लिए व्यवस्थित हो।

53.किसी सहकारी समिति के सहानुभूतिकर सदस्य का दायित्व उतना होगा जितना किसी साधारण सदस्य का हो और किसी भूतपूर्व सहानुभूतिकर सदस्य या किसी मृत सहानुभूतिकर सदस्य की दशा में दायित्व वही होगा जैसा कि धारा 25 में व्यवस्थित है।

54.(1) किसी सहकारी समिति के सहानुभूतिकर सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी और उसका दायाद या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति साधारण सदस्यता या सहानुभूतिकर सदस्यता के लिए अधिकार के रुप में दावा नहीं कर सकेगा।

(2) फिर भी, सहकारी समिति के किसी सहानुभूतिकर सदस्य का कोई दायाद या नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति समिति का साधारण या सहानुभूतिकर सदस्य बन सकता है, यदि वह ऐसी सदस्यता के लिए स्वयं अर्ह हो और उसके सदस्य बन जाने पर, मृत सहानुभूति कर सदस्य के अंश या हित का संक्रमण उसे धारा 24 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कर दिया जायेगा।

55. यदि किसी सहकारी समिति के सहानुभूतिकर सदस्य का कोई दायाद या नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति समिति की सदस्यता के लिए अनुमोदित न किया जाय तो समिति उसको धारा 24 की उपधारा (2) और (3) के अधीन व्यवस्थित भुगतान करेगी।

56. किसी भी व्यक्ति को, नियमों में निर्धारित रीति से–

(क) सहकारी समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि–

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(1) यह अर्हताओं की पूर्ति न करता हो, जो समिति की सदस्यता के लिए अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों में निर्धारित किये गये हैं ;

(2) यह अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो; या

(3) यह विकृत–चित का हो जाय;

(4) समिति को सम्बन्ध में उसकी सदस्यता नियम 8 (ख) के उपबन्धों से असंगत हो।

(ख) समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है–

(1) यदि उराने समिति की निधि या सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो अथवा समिति की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई हो और ऐरो अपराध के लिए इण्डियन पेनल कोड, 1860 के अधीन दण्डित किया गया हो

प्रतिबन्ध यह है कि यह दण्डादेश के विरुद्ध अपील में छोड़ दिये जाने के पश्चात् या उक्त आदेश के अधीन सजा काटने के पश्चात् या अर्थदण्ड का भुगतान करने के पश्चात् जैसी भी दशा हो, उक्त समिति या किसी भी अन्य समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह होगा।

(2) यदि उसने किसी समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचायी हो;

(3) यदि समिति की उपविधियों के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गई घोषणा या तो गलत पायी जाय या घोषणा में किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण दोषपूर्ण हो, और ऐसी गलत या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाइयां हुई हों।

57.किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे नियम 56 के अधीन हटाना या निकालना हो, प्रबन्ध कमेटी नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से दस दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगी कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से, यथास्थिति, हटा या निकाल दिया जाय।

58. (1) यदि नियम 57 में अभिदिष्ट–नोटिस का जवाब उक्त नियम में निर्दिष्ट समय के भीतर न दिया जाय अथवा प्राप्त जवाब प्रबन्ध कमेटी की राय में असंतोषजनक हो, तो उक्त सदस्य, प्रबन्ध कमेटी द्वारा, नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर हुई बैठक में पारित संकल्प द्वारा, यथास्थिति, हटा दिया जायेगा या निकाला दिया जायेगा।

(2) उप–नियम (1) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए बुलायी गयी प्रबन्ध कमेटी की बैठक की कार्य–सूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भेजी जायेगी जिसे हटाना या निकालना हो और सम्बद्ध सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष, यदि वह ऐसा करना चाहे, स्वयं अपने मामले के बारे में कहने का अधिकार होगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

59. नियम 58 के अधीन पारित कोई भी संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह मतदान में उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत द्वारा पारित न किया गया हो।

60. यदि किसी सहकारी समिति के किसी भी सदस्य को हटाने या निकालने का कोई आदेश धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन, निबन्धक से प्राप्त हो, तो प्रबन्ध कमेटी उक्त आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, नियम 57 और 58 में निर्धारित रीति से सदस्य को यथास्थिति हटा देगी या निकाल देगी।

61. नियम 58 या नियम 60 में अभिदिष्ट बैठक के संकल्प की एक प्रति, अथवा धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन हटाने या निकाले जाने के लिए निबन्धक द्वारा दिये गये आदेश की एक प्रति, जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध सदस्य को रजिस्ट्री डाक से भेजी जायेगी।

62. किसी व्यक्ति का, जो किसी सहकारी समिति की सदस्यता से धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा या नियम 58 या नियम 60 के अधीन, किसी सहकारी समिति द्वारा हटाया जाय या निकाला जाय, इस प्रकार हटाये जाने पर या निकाले जाने पर भी दायित्व, जैसा कि धारा 25 में व्यवस्थित है, बना रहेगा और अपने ऋणों का समिति को भुगतान करने का भी दायित्व बना रहेगा।

63. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य–

(1) उसकी मृत्यु होने,

(2) समिति से हटाये जाने या निकाले जाने,

(3) उसके द्वारा सदस्यता वापस लेने, या

(4) उसके निवृत्त होने या स्थानान्तरण पर अथवा उसके द्वारा धृत सभी अंशों के जब्त कर लिये जाने पर, ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

64. कोई सहकारी समिति, लिखित रुप से अनुरोध करने पर ऐसे शुल्क देने पर जो उसकी उपविधियों में निर्धारित किये जायं, नीचे उल्लिखित किसी एक या अधिक लेख्यों को ऐसे शुल्क दिये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर–

(क) किसी सदस्य को–

(1) समिति की निबद्ध उपविधियों की एक प्रतिलिपि,

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की सूची;

(3) अन्तिम लेखा परीक्षित रोकड़–पत्र और वार्षिक लाभ–हानि के लेखे की एक प्रतिलिपि;

(4) किसी ऋण समिति की दशा में समिति के साथ अपने लेन–देन की और किसी अन्य समिति की दशा में अपने उधार लेन–देन की एक या अधिक अभिलेखों की दूसरी प्रतिलिपि, देगी।

(ख) किसी साधारण या सहानुभूतिकर सदस्य को–

(1) समिति के सदस्यों की एक सूची;

(2) समिति के सामान्य निकाय या प्रवन्ध कमेटी अथवा किसी अन्य बैठक की कार्यवाहियों की प्रतिलिपि, देगी।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय–6

अंश

65. किसी समिति दायित्व वाली सहकारी ऋण समिति की दशा में, कोई व्यक्ति विशेष, धारा 22 में निर्धारित निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए, समिति की अंश–पूंजी के दसवें भाग से अधिक धनराशि के अभिदत्त अंश नहीं रखेगा।

66. धारा 25 के अधीन दायित्व तथा धारा 41 के अधीन प्रभार और मुजराई करने के लिए उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई सहकारी समिति धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन–

(1) धारा (17) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (च) तक किसी भी उल्लिखित सदस्य को सदस्य बनाये जाने के समय समिति तथा ऐसे सदस्य के बीच समस्त अंश भाग ग्रहण करने की शर्तो पर;

(2) किसी वेतन–भोगी सहकारी समिति के किसी सदस्य को, उक्त समिति के कार्य संचालन के क्षेत्र से भी ऐसे सदस्य का स्थानान्तरण होने की दशा में या उनकी ऐसी सेवा के जिसके आधार पर वह समिति की सदस्यता धारण किये था, समाप्त हो जाने पर;

(3) किसी शिक्षा संस्था में संघटित किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य के, उक्त संस्था का छात्र या कर्मचारी वर्ग का सदस्य, जिस परिस्थिति के कारण वह समिति की सदस्यता धारण किये था, न रह जाने पर;

(4) किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य के, यदि वह, नियम 44 के उपनियम (ग) के अधीन अन्य वर्ग में उसकी सदस्यता के समायोजन के कारण अंशधारी न रह गया हो, या यदि उसे नियम 56 के उपनियम (क) के अधीन सदस्यता से हटा दिया गया हो; अंशों को वापस कर सकती है।

67.किसी व्यक्ति का सहकारी समिति से धृत अंश किसी अन्य सहकारी समिति से, जिसमें उसकी सदस्यता संक्रमित की गई हो, इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संक्रमित किया जा सकता है।

68.सहकारी समिति किसी बहिर्गामी सदस्य के अंश को, संक्रमित होने तक अपनी अंश संक्रामक निधि से, यदि कोई हो, क्रय कर सकती है और बाद में वह धनराशि, उस

सदस्य से वसूल कर सकती है जिसे ऐसा अंश अन्ततः संक्रमित किया जाय।

69. केन्द्रीय सहकारी समिति में किसी सहकारी समिति द्वारा धृत अंश संक्रमणीय नहीं होंगे, सिवाय इसके जब तक कि–

(1) सहकारी समिति दो या दो से अधिक समितियों में विभाजित हो जाय, जिस दशा में केन्द्रीय समिति, निवन्धक के अनुमोदन से, मूल समितिद्वारा घृत अंशों के ऐसे अनुपात में नई समितियों को संक्रमित करेगी जो

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उचित समझा जाय, या.

(2) कोई भी दो या दो अधिक सहकारी समितियां एक समिति के रुप में समामेलित या विलीन हो जायें, जिस दशा में केन्द्रीय समिति, निबन्धक के अनुमोदन से, मूल समितियों द्वारा घृत समस्त अंश, समामेलन की दशा में कई समिति को यथा विलीन होने की दशा में चालू रहने वाली समिति को संक्रमित कर सकती है, या

(3) निवन्धक की राय में किसी सहकारी समिति के पास उसकी आवश्यकता से अधिक अंश हों, जिस दशा में केन्द्रीय समिति ऐसे अंश (जो आवश्यकताओं से अधिक समझे जायें) ऐसी दूसरी समिति को, जो उक्त केन्द्रीय समिति की सदस्य हो, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो संक्रमणकर्ता समिति तथा संक्रमिती समिति के बीच सम्मत और केन्द्रीय समिति द्वारा अनुमोदित हों, संक्रमित कर सकती है।

70. इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई केन्द्रीय सहकारी समिति, इसी प्रयोजन के लिए विशेष रुप से बुलाई गई तथा निबन्धक द्वारा अनुमोदित और समिति के सामान्य निकाय द्वारा स्वीकृत एक विशेष योजना के अनुसार अपनी अंश पूंजी कम कर सकती है। ऐसी योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है–

(1) अदत्त अंश–पूंजी के सम्बन्ध में, अपने किन्हीं भी अंशों का दायित्व समाप्त या कम करना, या

(2) किसी भी दत अंश पूंजी को रद्द करना, या

(3) किसी भी दत्त अंश–पूंजी को, जो केंद्रीय समिति की आवश्यकता से अधिक हो, वापस करना।

71. निबन्धक, किसी केंद्रीय सहकारी समिति को जो अपनी अंश पूंजी कम करना चाहती हो, प्रत्येक लेनदार को रजिस्ट्री डाक से नोटिस जारी करने का निदेश दे सकता है, जिस ऐसी नोटिस मिलने के दिनांक से एक माह के भीतर प्रस्तावित कमी करने के विरुद्ध आपत्ति करने का अधिकार होगा।

72. यदि कोई लेनदार अंश पूंजी की प्रस्तावित कमी करने के लिए सहमति न दे तो निबन्धक, ऐसे लेनदार की सहमति के बिना काम चला सकता है, यदि केन्द्रीय सहकारी समिति ऐसे लेनदार के ऋण का भुगतान अथवा दावे की तुष्टि निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर कर दे।

73. यदि निबन्धक का ऐसी केन्द्रीय सहकारी समिति के प्रत्येक ऐसे लेनदार के सम्बन्ध में, जिसने कमी करने के विरुद्ध आपत्ति की हो यह समाधान हो गया हो कि या तो कमी करने के लिए उसकी सहमति ले ली गयी है या जैसा कि ऊपर कहा गया है उसके ऋण या दावे का भुगतान हो चुका है, या तुष्टि की जा चुकी है, जैसा नियम 72 में प्रावधान है, तो वह (निबन्धक) ऐसी शर्तो पर कमी करने की स्वीकृति का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

74. किसी केन्द्रीय सहकारी समिति की अंश पूंजी को कम करने का संकल्प उस दिनांक से प्रभावी होगा जब यह नियम 73 के अधीन निवन्धक द्वारा अनुमोदित कर लिया जाय।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

75. किसी सहकारी समिति में किसी सदस्य द्वारा घृत अंशों को, उसके द्वारा उस समिति से जिसका वह सदस्य हो भिन्न किसी व्यक्ति या निकाय से लिये गये किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रुप में उसके द्वारा दृष्टिबन्धक नहीं रखा जायेगा।

76. यदि धारा 72 के अधीन किसी सदस्य–समिति के समापित करने के लिए दिया गया आदेशअन्तिम हो जाय तो ऐसी समिति काअंश ऐसे देयों के साथ समायोजित कर दिया जायेगा जो समिति के ऊपर बकाया हो और शेष धनराशि, यदि कोई हो,समिति के नाम जमा कर दी जायेगी।

77.(क) किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नाम–निर्दिष्ट कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, समिति की पूंजी में उसका अंश या हित संक्रमित किया जायेगा अथवा उसके मूल्य का या समिति द्वारा उसे देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायेगा। ऐसा सदस्य, ऐसे नाम–निर्देशन को समय–समय पर विखंडित कर सकता है, या बदल सकता है।

(ख) जब कोई सदस्य अपने द्वारा धृत अंशों के सम्बन्ध में एक से अधिक व्यक्तियों को नाम–निर्दिष्ट करे तो यह जहाँ तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण अंशों के रुप में प्रत्येक नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली या संक्रमित की जाने वाली धनराशि को उल्लिखित करेगा।

78.(क) किसी सदस्य द्वारा नियम 77 के अधीन नाम – निर्देशन, समिति द्वारा नियत प्रपत्र में घोषणा पर हस्ताक्षर करके या समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गयी पुस्तिका में बयान देकर किया जायेगा। जब नाम–निर्देशन घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करके लिया जाय, तो ऐसा घोषणा–पत्र सदस्य के जीवन–काल में समिति के पास जमा कर दिया जायेगा। प्रत्येक दशा में नाम–निर्देशन पर नाम–निर्देशन करने वाले सदस्य का हस्ताक्षर होगा और उसे दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

(ख) उपनियम (क) के अधीन किया गया नाम–निर्देशन, उप–नियम (क) में निर्धारित रीति से किये गये किसी अन्य नाम–निर्देशन द्वारा विखंडित किया जा सकता है या बदला जा सकता है।

79. धारा 24 के प्रयोजन के लिए नाम–निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता और ऐसे नाम–निर्देशन की कोई मंसूखी या परिवर्तन, सहकारी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

80.(क) जब किसी सहकारी समिति के किसी सदस्य की, नाम–निर्देशन किये बिना, मृत्यु हो जाय तो समिति, अपने कार्यलय में सार्वजनिक नोटिस लगाकर, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, मृत सदस्य के दायाद या विधिक प्रतिनिधि को उसके अंश या हित को प्रस्तावित संक्रमण अथवा अंश या हित के मूल्य का और मृत सदस्य को देय सभी अन्य धनराशियों का भुगतान करने के लिए दावे या आपत्तियां आमन्त्रित करेगी।

(ख) यदि उस व्यक्ति के, जो प्रबन्ध कमेटी को मृत सदस्य का दायाद या विधिक प्रतिनिधि प्रतीत हो, दावे के बारे में कोई विवाद न उठे तो प्रबन्ध कमेटी ऐसे व्यक्ति को मृत सदस्य का अंश या हित संक्रमित कर देगी अथवा अंश या हित का मूल्य और मृत सदस्य को देय सभी अन्य धनराशियों का भुगतान करेगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) यदि उप–नियम (क) में उल्लिखित नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा प्रस्तुत न किया जाय तो समिति धनराशि को तब तक अपने कब्जे में रखेगी जब तक कि दावे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के लिए लिमिटेशन ऐक्ट, 1963 के अधीन अवधि–काल समाप्त न हो जाय, उक्त अवधि–काल समाप्त हो जाने के पश्चात् समिति धनराशि को अंश संक्रमण निधि और ऐसी निधि के न होने पर, रक्षित निधि के नाम जमा कर देगी अवधि–काल के समाप्त हो जाने के पश्चात् भुगतान के लिए कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(घ) यदि किसी व्यक्ति के इस दावे के सम्बन्ध में कोई विवाद उठे कि वह मृत सदस्य का दायाद या विधिक प्रतिनिधि है या नहीं तो समिति उत्पन्न हुए विवाद के तथ्य के बारे में दावेदारों को सूचित करेगी और सम्बद्ध पक्षों से धारा 24 की उपधारा (1) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार विवाद निपटाने को कहेगी। यदि पक्ष समिति द्वारा उपर्युक्त सूचना के दिनांक से एक माह के भीतर अपना मामला निबन्धक को अमिदिष्ट न करे तो समिति स्वयं उक्त मामला निबन्धक को अभिदिष्ट करेगी और उक्त प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(ङ) मृत सदस्य के अंश या हित के मूल्य का या अन्य देय धनराशियों का भुगतान समिति द्वारा उसके दायाद या नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा विधिक प्रतिनिधि को तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि समिति को ऐसे भुगतान की रसीद,जो समिति के सदस्यों में से दो साक्षियों के रुप में यथाविधि प्रमाणित की गई हो प्राप्त न हो जाय।

81.(क) किसी भी सहकारी समिति के सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति को अंशों का संक्रमण तब तक प्रभावी न होगा, जब तक कि–

(1) वह अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार न किया जाय;

(2) समिति को लिखित रुप में पूरे तीस दिन का नोटिस न दे दिया जाय जिसमें प्रस्तावित संक्रमिति का नाम, उसकी सहमति और सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र जहां आवश्यक हो, और संक्रमिति द्वारा भुगतान करनेके लिए प्रस्तावित मूल्य इंगित हो;

(3) समिति को देय, संक्रमणकर्ता के सभी दायित्व उन्मोचित न कर दिये जायें; और

(4) संक्रमण समिति की बहियों में निबद्ध न कर लिया जाय।

(ख) इस प्रकार के संक्रमित अंश पर रामिति के पक्ष में कोई प्रभार तब तक बना रहेगा जब तक कि वह अन्य प्रकार से उन्मोचित न कर दिया जाय।

82.(1) यदि सहकारी समिति का कोई सदस्य, ऐसा सदस्य न रह जाय तो उसे या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद या विधिक प्रतिनिधि की,जैसी भी दशा हो, समिति को अंश पूंजी में उसके अंश या हित का दिया जाने वाला मूल्य, ऐसे सदस्य द्वारा समिति की भुगतान की गई वास्तविक धनराशि के बराबर होगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को सहकारी समिति द्वारा कोई अंश प्रदिष्ट किया जाय अथवा सहकारी समिति के सदस्य द्वारा कोई अंश संक्रमित किया जाय और ऐसा संक्रमण समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा

अनुमोदित किया जाय तो ऐसे प्रदिष्ट या संक्रमित अंश के सम्बन्ध में अपेक्षित भुगतान अंश के अंकित मूल्य से अधिक न होगा।

....

अध्याय–7

सहकारी समितियों के सामान्य निकाय का संगठन

83 .किसी सहकारी समिति के साधारण या सहानुभूतिकर सदस्य–

(1) यदि ऐसे व्यक्ति हों जिसमें धारा 80 और धारा 81 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट पागल सदस्यों के अभिभावक और अवयस्क सदस्यों के विधिक संरक्षक भी सम्मिलित है तो समिति के सामान्य निकाय में या तो स्वयं या नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करेंगे।

(2) यदि व्यक्ति से भिन्न हों तो समिति के सामान्य निकाय में धारा 20 के खण्ड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधित्व करेंगे।

1{ 84. (• • •)}

2{84–क. सहकारी समिति का सामान्य निकाय निम्नलिखित स्थिति में गठित किया जायेगा–

(1) उसके सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा–

(क) जहां समिति की सदस्य संख्या में व्यक्ति हों और अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ग) से (च) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, और समिति के कार्यक्षेत्र का एक से अधिक राजस्व जिले में विस्तार हो,

(ख) जहां समिति की सदस्य संख्या में सहकारी समितियां हों और अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से (च) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति हों।

(2) उसके समस्त अलग–अलग सदस्यों और समिति के अन्य सदस्यों के किन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा–

(क) जहाँ समिति की सदस्य संख्या में–

(1) व्यक्ति हों, और

(2) कम से कम एक सहकारी समिति हो, और

(3) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से (च) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति हो;

1.उ.प्र. सहकारी समिति (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 1994 (अधिसूचना क्रमांक 2700/49–1–94–7 (1)–94, 15 जुलाई, 1994 के द्वारा नियम निरस्त किया गया।

2. अधिसूचना 776/49–1–13–8(39)–13.दिनांक 04 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) जहां सहकारी समिति की सदस्य संख्या में व्यक्ति और अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से (च) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति हो।

(3) उपभोक्ता सहकारी समितियो, गन्ना सहकारी समितियो और सहकारी चीनी कारखाना समितियों की स्थिति में उनके सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा, जहां अलग–अलग सदस्यों और अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)से (च) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की, यदि कोई हो, संख्या 1500 या इससे अधिक हो।

(4) जहाँ समिति की सदस्य संख्या में व्यक्ति हो, जिनकी संख्या 1500 (एक हजार पांच सौ) से अधिक हो और समिति के कार्य–क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक राजस्व जिले में हो, वहां उसके सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायगाः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या, किसी भी दशा में एक सौ से अधिक नहीं होगी।}

स्पष्टीकरणः—इस नियम में प्रयुक्त शब्द "सदस्य'' के अन्तर्गत कोई साधारण सदस्य और सहानुभूतिकर सदस्य भी होगा, किन्तु उनमें कोई नाम–मात्र या सहयुक्त सदस्य सम्मिलित नहीं होगा।

85. जहाँ कोई सहकारी समिति किसी अन्य समिति से सम्बद्ध हो, वहां पूर्ववर्ती समिति नियम 85–क में निर्दिष्ट समितियों के सिवाय पश्चात्वर्ती समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधियों के रुप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एक या अधिक व्यक्तियों को जैसा कि सम्बद्धकारी समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाय, नियुक्त कर सकती हैः

प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिनिधि के रुप में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पूर्ववर्ती समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो और उसमें नियमों में और समिति की उपविधियों में प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित कोई अनर्हता न हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां पश्चात्वर्ती सहकारी समिति प्रबन्ध कमेटी में निर्बल वर्गों/महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करती है, वहां पूर्ववर्ती समिति पश्चात्वर्ती समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किये जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में से कम से कम एक प्रतिनिधि, यथास्थिति, निर्बल/महिला में से नियुक्त करेगी।

1{ 85—क. निम्नलिखित समितियां निम्नलिखित रुप से प्रतिनिधि रख सकती है—

(क) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य से निम्नलिखित रुप से प्रतिनिधि रख सकती है—

(1) प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति ——— छः

(2) ब्लाक यूनियन ——— चार

———————————————————————————————

1. अधिसूचना 395/49–1–10–8(11)–08. 24 मार्च, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित उ.प्र.सहकारी समिति (सैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2011 (दिनांक 24.3.201 से लागू)

(3) क्रय–विक्रय समिति ––––– चार

(4) जिला सहकारी फेडरेशन ––––– दो

(5) जिला/थोक उपमोक्ता स्टोर ––––– दो

(6) कोई अन्य समिति ––––– दो

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त (1) से (6) तक में प्रत्येक में कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों में से धारा 29 की उपधारा (8) की अपेक्षा की पूर्ति हेतु छः प्रतिनिधियों में से कम से कम वृत्तिक व्यक्ति भेजेगी।

(ख) जिला सहकारी फेडरेशन अपने सामान्य निकाय में निम्नलिखित रुप से प्रतिनिधि रख सकता हैः

(1) क्रय–विक्रय समिति ––––– चार

(2) ब्लाक यूनियन ––––– चार

(3)प्रक्रिया समिति। ––––– चार

(4) कोई अन्य समिति ––––– दोः

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का होगा।

(ग) जिला/थोक उपभोक्ता स्टोर अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से तीन प्रतिनिधि रख सकता है, परन्तु प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार की स्थिति में प्रतिनिधियों में कम से कम एक महिला होगी।

(घ) क्रय–विक्रय या प्रक्रिया समितियां अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति से निम्नलिखित रुप में प्रतिनिधि रुप में प्रतिनिधि रख सकती हैं :

(1) प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति ––––– छः

(2) कोई अन्य समिति। ––––– दोः

प्रतिबन्ध यह है कि एक प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का होगा।

(घघ) ब्लाक यूनियन अपने सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं की संख्या के बराबर प्रतिनिधि रख सकती है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ङ) खण्ड (क) से (घघ) के अन्तर्गत न आने वाली सहकारी समिति, प्रत्येक सदस्य समिति से, समिति की उपविधियों के अनुसार, प्रतिनिधि रख सकती है और समिति की उपविधियों में कोई ऐसी व्यवस्था न होने पर, प्रतिनिधियों की संख्या निबन्धक के निदेशानुसार होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीय/डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का प्रत्येक सदस्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के सामान्य निकाय के लिए तीन प्रतिनिधि भेजेगा जिसमें से एक निर्बल वर्ग अथवा महिला तथा एक धारा 29 की उपधारा (8) की अपेक्षा की प्रतिपूर्ति हेतु वृतिक व्यक्ति में से होगा।

(च) जहां किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों वहाँ अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या उतनी होगी जितनी समिति की उपविधियों में उपबन्धित की गयी हैं और समिति की उपविधियों में ऐसा कोई उपबन्ध न होने पर, निबन्धक के निदेशानुसार होगी।

86. कोई सहकारी समिति, समिति के प्रतिनिधि के रुप में, किसी दूसरी सहकारी समिति में प्रनिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगी, यदि उस व्यक्ति में नियम 453 के किसी भी उपनियम (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (झ), (ञ), (ट), (ड), (ढ) और (ण) में निर्धारित कोई भी अनर्हता हो।.

प्रतिनिधियों का निर्वाचन

1{ 86–क.(• • •)}

2{ 87. कोई व्यक्ति, जो किसी सहकारी समिति का पहले से ही प्रतिनिधि हो, ऐसा प्रतिनिधि नहीं रह जायेगा, यदि–

(एक) वह नियम 86 में निर्दिष्ट कोई अनर्हता अर्जित कर ले; या

(दो) वह उस समिति का जिसका वह प्रतिनिधि हो, सदस्य न रह जाये; या

(तीन) समिति, जिसका वह प्रतिनिधि हो, उस समिति का जिसमें उसका प्रतिनिधि हो, सदस्य न रह जाय; या

(चार) वह उस समिति का सदस्य न रह जाय, जो ऐसी समिति का सदस्य था, जिसने उसे किसी दूसरी सहकारी समिति में अपने प्रतिनिधि के रुप में चुना हो; या

(पांच) वह उस पद पर न रह जाय, जिसके कारण वह समिति की उपविधियों की शर्तों के अनुसार समिति का प्रतिनिधि था; या

---

1. अधिसूचना क्रमांक 2700/49–1–94–7(1)–94, दिनांक 15 जुलाई, 1994 द्वारा नियम 86–क निरस्त किया गया।
2. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08(56)–13 दिनांक 0,8 सितम्बर, 2017(उ.प्र.सहकारी समिति (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छः) वह समिति, जिसका वह प्रतिनिधि था, धारा 72 के अधीन समाप्त कर दी जाय; या

(सात) वह समिति, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के साथ समामेलित कर दी जायः या

(आठ) वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, दो या अधिक समितियों में विभाजित कर दी जायेः

(नौ) वह प्रतिनिधि के रुप में अपने पद से त्यागपत्र दे दें।}

1{ (दस) वह प्रबन्ध कमेटी या धारा 29 या धारा 35 के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त अन्तरिम प्रबन्ध समिति या प्रशासक या प्रशासक कमेटी द्वारा वापस बुला लिया जाए;

प्रतिबंध यह है कि यदि कोई प्रतिनिधि इस खंड के अधीन वापस बुला लिया जाता है तो यथास्थिति प्रबन्ध कमेटी या धारा 29 अथवा धारा 35 के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त अन्तरिम प्रबन्ध समिति, प्रशासक या प्रशासक कमेटी को उसके स्थान पर समिति के सामान्य निकाय के किसी पात्र सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने की शक्ति होगी।}

2{87—क (1) कोई व्यक्ति, जो किसी सहकारी समिति का पहले से ही प्रतिनिधि हो, ऐसा प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा यदि—

(एक) वह प्रबन्ध कमेटी द्वारा वापस बुला लिया जाए; या

(दो) नियम 453 में उल्लिखित किसी निरर्हता के कारण निबन्धक द्वारा उसका प्रतिनिधित्व रद्द कर दिया जाए;

(तीन) वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अधीन उल्लिखित कोई निरर्हता उपगत करता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन प्रतिनिधि नहीं रह जाता है तो प्रबन्ध कमेटी उसके स्थान पर किसी नए व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकती है।}

3{ 88. यदि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य गोदाम निगम, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन निबद्ध कोई समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध या निगमित कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय, किसी सहकारी समिति का सदस्य हो तो यह समिति के सामान्य निकाय में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रुप में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से या सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के, जैसी भी दशा हो, संकल्प से किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

---

1 एवं 2— अधिसूचना क्रमांक 2018/49—1—2019—122(मिस.)—2018 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (उ.प्र. सहकारी समिति (सत्तावनवां संशोधन) नियमावली, 2019 द्वारा जोड़ा गया।

3— अधिसूचना 395/49—1—10—8(11)—08. 24 मार्च, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित उ.प्र.सहकारी समिति (सैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2011 (दिनांक 24.3.201से लागू)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना है, की अर्हताएं वही होंगी जो उन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए उल्लिखित की गयी है।}

1{ 89. कोई प्रतिनिधि जो एक बार किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय में निर्वाचित/नियुक्त किया जाय, उस पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कि या तो वह निकाय, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, उसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित/नियुक्त न कर दे,या वह नियम 87 में उल्लिखित कोई अनर्हता अर्जित न करले या उक्त पद धारण करने के लिए उस सहकारी समिति की, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो या जिसमें उसका प्रतिनिधित्व किया जाय, उपविधियों के उपबन्धों के आधार पर अपना अधिकार न खो दें।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति/उपसभापति/प्रतिनिधियों के निर्वाचन के समय कोई समिति, समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिये नया प्रतिनिधि निर्वाचित करने में विफल हो जाती है तो पूर्व निर्वाचन में पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधि, समिति के सामान्य निकाय में बने रहेंगे किन्तु वह सम्बन्धित समिति का निर्वाचन लड़ने या उसमें मतदान करने के लिये पात्र नहीं होगा।}

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय–8

बैठक

90. प्रत्येक सहकारी समिति, प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। यह बैठक वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किए जाने और धारा 64 के अधीन उसके लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, किन्तु प्रारम्भिक समिति की स्थिति में 30 नवम्बर तक और केन्द्रीय और शीर्ष समिति की स्थिति में 31 दिसम्बर तक की जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी समिति को, यथास्थिति,30 नवम्बर या 31 दिसम्बर के पश्चात् भी अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दे सकता है, और उस स्थिति में वार्षिक सामान्य बैठक इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर होगी।

91. यदि किसी सहकारी समिति की वार्षिक सामान्य बैठक, उसके लेखों का परीक्षण होने के पूर्व किसी वर्ष में नियम 90 के अधीन हो तो धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) और (च) में उल्लिखित विषयों पर समिति की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विचार किया जाएगा।

92. धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन गत सहकारी.वर्ष के लेखा परीक्षा पर विचार करने के लिए सामान्य बैठक के समक्ष, लेखा–परीक्षण प्रमाण–पत्र और लेखा–परीक्षा में उल्लिखित मुख्य टिप्पणियों, आपत्तियों और अभ्युक्तियों, का एक संक्षिप्त विवरण रखा जायेगा। यह संक्षिप्त विवरण नियम 93 में व्यवस्थित रीति से तैयार किया जायेगा। समिति के सामान्य निकाय के सदस्य,समिति के कार्यालय में और कार्य के घंटों में, कार्य–सूची जारी कर दिये जाने के पश्चात् और वार्षिक सामान्य बैठक होने के दिनांक तक सम्पूर्ण लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन का निरीक्षण कर सकेंगे।

93. नियम 92 में निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण, समिति के सचिव की सहायता से, समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा या यदि समिति की उपविधियों में ऐसा व्यवस्थित हो तो इस प्रयोजन के लिए संघटित विशेष कमेटी द्वारा तैयार किया जायेगा और उस दशा में वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष रखने के पूर्व संक्षिप्त विवरण की जांच और उसका अनुमोदन प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जायेगा।

94. नियम 92 या 93 में दी गई किसी बात से किसी सदस्य के किसी ऐसे सारवान विषय के बारे में,जो लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण से छूट गया हो, सामान्य निकाय का ध्यान आकर्षित करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और सामान्य निकाय लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन को मंगा सकती है और उस विषय पर चर्चा कर सकती है।

95. किसी सहकारी समिति की सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारी कमेटी की बैठक केवल समिति के मुख्यालय पर होगी।

स्पष्टीकरण—पदावली ''कार्यकारी'' कमेटी का तात्पर्य प्रबन्ध कमेटी द्वारा संगठित किसी भी कमेटी या सब–कमेटी से है जिसे प्रबन्ध कमेटी के समस्त या कोई भी अधिकार या कृत्य प्रतिनिहित हो।

96. बैठक की सूचना अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार दी जायेगी।

97.(क) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन होने वाली बैठक के लिए गणपूर्ति सभी सम्बद्ध समितियों की सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई से होगी और यदि इस गणपूर्ति के अभाव में सामान्य बैठक स्थगित कर दी जाय तो स्थगित बैठक, निबन्धक की अनुज्ञा से 1/5 की ही गणपूर्ति से हो सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बद्ध समितियों की सामान्य निकाय के सदस्यों को गणपूर्ति की संख्या कम करने की लिखित सूचना दी गई है।

(ख) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन होने वाली बैठक के लिए गणपूर्ति सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई से होगी और यदि बैठक ऐसी गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो गई हो, तो वह स्थगित बैठक निबन्धक की अनुज्ञा से 1/5 की कम की गयी गणपूर्ति से की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि गणपूर्ति की संख्या कम करने की लिखित सूचना निकाय सदस्यों को दी गयी हो।

98. समिति के सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उपसभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता इस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

99. बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कार्यवाहियों का संचालन ऐसी रीति से करेगा जो कार्य का शीघ्र और सन्तोषजनक ढंग से निस्तारण करने में सहायक हो और व्यवस्था के सभी प्रश्नों का निर्णय बैठक में करेगा।

100. कोई भी सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक तब तक न होगी और न उसकी कार्यवाही आगे चलाई जायेगी जब तक कि अधिनियम, नियम या उपविधियों में निर्दिष्ट गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य उपस्थित न हों।

101. यदि बैठक के लिए निश्चित समय के आधे घन्टे के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार स्थगित की जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सदस्यों या प्रतिनिधियों के अधियाचन पर बुलाई गई हो और यदि बैठक के लिए निश्चित समय से एक घन्टे के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो ऐसी बैठक स्थगित की जा सकती है।

102. यदि नियम 26 या नियम 97 में निर्दिष्ट बैठक से भिन्न कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाय तो स्थगित बैठक ऐसी कम गणपूर्ति से भी की जा सकती है जो मूल गणपूर्ति से 50 प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि समिति की उपविधियों में निर्धारित की जाय।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

103. बैठक में विषयों पर तब तक उसी क्रम से विचार किया जायेगा जैसा कार्य–सूची में उल्लिखित हो, जब तक कि इस बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उपस्थित सदस्यों के बहुमत से क्रम में परिवर्तन करने के लिए सहमत न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पदधारी या प्रतिनिधि का निर्वाचन अथवा आमेलन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कार्य–सूची में विशिष्ट रुप से उल्लिखित न हो।

104. धारा 33 की उपधारा (2) को अधीन निबन्धक द्वारा या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बुलाई गई कोई असाधारण सामान्य बैठक को वे सभी अधिकार होंगे और उन्हीं नियमों के अधीन होगी जो समिति की उपविधियों के अनुसार बुलाई गई बैठक की हों।

105. किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रुप में तब तक निश्चित किये जायेंगे जब तक कि अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों को अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो। मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

106. जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई भी सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाय तो बैठक की अध्यदाता करने वाला व्यक्ति संकल्प पर मतदान करा सकता है।

107. मतदान हाथ उठाकर किया जा सकता है जब तक कि नियमों या समिति की उपविधियों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

108. यदि कार्य–सूची के सभी कार्य उसी दिनांक को जब बैठक हो, पूरे न किये जा सकें तो बैठक किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित की जा सकती है, जैसा कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निश्चित किया जाय, या इस नियमावली अथवा समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाय।

109. ऐसे सदस्य, जो धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन या नियम 114 के अधीन बैठक बुलाने के लिए अभियाचन करें, उन उद्देश्यों का एक विवरण देंगे जिनके लिए वे बैठक बुलाने का अधियाचन कर रहे हों।

110. प्रत्येक सहकारी समिति, जब निबन्धक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, निवन्धक को सामान्य निकाय की और प्रबन्धक कमेटी की भी नोटिस और कार्य–सूची की एक प्रति भेजेगी। समिति नोटिस में अपना पूरा–पूरा नाम, निबन्धन संख्या और निबन्धन का दिनांक लिखेगी।

111. निबन्धक, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी सहकारी समिति की बैठक को जो उसके कहने पर बुलायी गयी हो, कार्य—सूची के किसी विषय पर विचार स्थगित करने का निदेश दे सकता है। निबन्धक के ऐसे आदेश का उल्लघंन करके बैठक में लिया गया कोई निर्णय अवैध तथा प्रवर्तन शून्य होगा।

112. सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्य—वृतियां इस प्रयोजन के लिए रखी गयी पुस्तिका में अमिलिखित की जायेगी और कार्यवृत्तियो पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

....

---

1. अधिसूचना क्रमांक 1605/49—1—2017—08(56)—13 दिनांक 0,8 सितम्बर, 2017(उ.प्र.सहकारी समिति (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय–9

प्रबन्ध कमेटी

113. किसी सहकारी समिति को प्रबन्ध कमेटी के ऐसे अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति की उपविधियों में निर्धारित किये जायें।

114. किसी सहकारी समिति की प्रवन्ध कमेटी के कोई भी तीन सदस्य उक्त कमेटी की बैठक बुलाने के लिए अधियाचन कर सकते हैं।

115. किसी सहकारी समिति के कार्य–कलापों के संचालन में प्रबन्ध कमेटी का प्रत्येक सदस्य साधारण व्यवसायी की तरह बुद्धिमानी और मेहनत के कार्य करेगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो और अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में चूक नहीं करेगा।

116.(क) किसी सहकारी समिति के किसी अधिकारी का, सिवाय समिति की उपविधियों द्वारा दी गई अनुज्ञा के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से–

(1) समिति के साथ की गई किसी संविदा में,

(2) रामिति द्वारा बेची गई या खरीदी गई किसी सम्पत्ति में,

(3) समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी के लिए यदि अधिकारी स्वयं वैतनिक कर्मचारी हो, समिति द्वारा निवास स्थान की व्यवसाय से भिन्न, सहकारी समिति के किसी व्यवसाय में, कोई हित नहीं होगा।

(ख) किसी सहकारी समिति का कोई वैतनिक अधिकारी सहकारी समिति के देयों की वसूली में सहकारी समिति के किसी सदस्य की बेची जाने वाली सम्पत्ति को न तो खरीदेगा और न अपने किसी आश्रित को खरीदने की अनुज्ञा देगा।

117.(क) यदि कोई सहकारी सेवक, किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य हो तो वह समिति के किसी पदाधिकारी या किसी प्रतिनिधि के चुनाव सम्बन्धी मामले में मतदान नहीं करेगा।

(ख) यदि प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य बहुमत की राय में असहमत हो तो वह बैठक की कार्यवाहियों में अपनी असहमति की टिप्पणी लिखने को कह सकता है और बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उक्त असहमति को कार्यवाहियों में उचित रुप से लिखवायेगा।

118. धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के लिए निबन्धक समिति के सामान्य निकाय की एक सामान्य बैठक बुलायेगा और इस प्रयोजन

के लिये यह सामान्य निकाय के उन सदस्यों को एक नोटिस भेजेगा जिनके नाम उस समिति द्वारा सूचित किये गये हों, अथवा जिन्हें उसने अपने अभिलेखों से सुनिश्चित किया हो। किसी सदस्य को नोटिस प्राप्त न होने से ऐसी बैठक की कार्यवाहियां अवैध न होंगी।

119. नियम 118 के अधीन सामान्य निकाय की सामान्य बैठक की अध्यक्षता निबन्धक करेगा और इस सामान्य वैठक की कार्यवाहियां एक अलग कागज पर लिखी जायेगी तथा वह उस पर हस्ताक्षर करेगा।

120.(1) इस नियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, नियम के अधीन किसी बैठक की गणपूर्ति सामान्य निकाय के कुल सदरयों के आधे से अधिक होगी और निबन्धक का प्रस्ताव तभी पारित माना जायेगा जबकि उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से उसे समर्थन मिला हो।

(2) निबन्धक के लिए निम्न परिस्थितियों में धारा 35 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय की राय लेना आवश्यक नहीं होगाः–

(क) यदि सदस्यता के सम्बन्ध में समिति के अभिलेख पूरे न हो या उपलब्ध न हो

(ख) यदि कोई बैठक बुलाई गई हो, किन्तु गणपूर्ति के अभाव में बैठक न हो सकी हो, यदि समिति के पास सामान्य बैठक आयोजित करने के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि न हो,

(घ) यदि बैठक बुलाई गई हो किन्तु गड़बड़ी होने का कारण अपनी कार्यवाही आगे न कर सकी हो,

(3) यदि निबन्धक उप नियम (2) के अधीन समिति के सामान्य निकाय की राय न ले, तो वह इस तथ्य को सामान्य निकाय की राय न लेने के लिए कारणों सहित अभिलिखित करेगा।

121. यदि धारा 325 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त किया जाय तो यह अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन सभापति के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

122. धारा 35 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कोई प्रशासक या प्रशासकों को देय पारिश्रमिक उतना होगा जितना निबन्धक, समय–समय पर अवधारित करे और वह समिति की निधियों से देय होगा।

123. धारा 35 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों द्वारा सहकारी समिति का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में किया जाने वाला व्यय समिति की निधियों से देय होगा।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 9—क

{अधिसूचना संख्या 2311/49—1—97—7(10)—1995 टी0सी0 दिनांक 13.11.1997(उ0प्र0 सहकारी समिति तैंतीसवां संशोधन नियमावली 1997) द्वारा अध्याय 9—क जोड़ा गया}

प्रशासक कमेटी

123—क. किसी सहकारी समिति की प्रशासक कमेटी की बैठक केवल समिति के मुख्यालय पर होगी।

123—ख. यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक या सचिव, प्रशासक कमेटी, जिसे आगे इस अध्याय में कमेटी कहा गया है, बैठक बुलायेगा और यह ऐसी नोटिस अधिनियमों या प्रबन्ध कमेटी के सम्बन्ध में उसके अधीन बनायी गयी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार होगा।

123—ग. कमेटी के कोई तीन सदस्य उक्त कमेटी की बैठक बुलाने की मांग कर सकते है।

123—घ. कमेटी की किसी बैठक की गणपूर्ति, कमेटी की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक से या तीन सदस्यों से, इनमें जो भी अधिक हो, होगी।

123—ङ सामान्यतः कमेटी को बैठक बुलाने के लिए सात दिन की नोटिस आवश्यक होगी, किन्तु किसी आपत्तिक बैठक की स्थिति में तीन दिन की नोटिस पर्याप्त होगी, दोनों मामलों में ऐसी नोटिस के साथ बैठक की कार्यसूची भेजी जायेगी :

123—च. कमेटी का सभापति या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जब उसमें ऐसे विषयों पर विचार—विमर्श किया जाना हो जिनमें उसकी व्यक्तिगत रुचि हो।

123—छ. बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कार्यवाही का संचालन ऐसी रीति से करेगा जिससे कार्य का शीघ्र और संतोषजनक निस्तारण करने में सहायता मिल सके और बैठक में समस्त औचित्य के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा।

123—ज. कमेटी की तब तक न तो कोई बैठक की जायेगी और न उससे कोई कार्यवाही की जायेगी जब तक कि गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य उपस्थित न हों।

1237—झ. जब कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी गयी हो, तय स्थगित बैठक कम से कम तीन सदस्यों के भाग लेने से की जा सकती है।

123–बैठक में विषयों पर विचार कार्यसूची में यथा उल्लिखित क्रम में किया जायेगा जब तक कि बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से क्रम में परिवर्तित करने के लिए सहमत न हो।

123–ट. किसी बैठक में समस्त मामलों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से संकल्प के रुप में किया जायेगा।

123–ठ. बराबर–बराबर मत होने की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

123–ड. यदि कमेटी किसी संकल्प पर विभाजित हो जाय तो उस कमेटी का कोई प्रशासक मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाय तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संकल्प पर मतदान करा सकता है और मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा।

123–ढ. यदि कार्यसूची के समस्त कार्यक्रमों पर उस दिन कार्यवाही की न की जा सके जिस दिन बैठक की जाय तो बैठक ऐसे किसी अन्य दिन के लिए स्थगित की जा सकती है, जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विनिश्चित किया जाये।

123–ण. बैठक की नोटिस और कार्यसूची की एक प्रति जब निबन्धक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपेक्षा करे, उसे भेजी जायेगी।

123–त. निबन्धक ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कार्यसूची के किसी मद पर विचार स्थगित करने के लिए कमेटी को निदेश दे सकता है, ऐसे निदेश का उल्लंघन करके बैठक में लिया गया कोई विनिश्चय अविधिमान्य और अप्रवर्ती होगा।

123–थ. कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली पुस्तिका में अमिलिखित किया जायेगा और उस पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और समिति के, यथास्थिति प्रबन्ध निदेशक या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

123–द. कमेटी के सभापति या किसी सदस्य को कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

123–ध. कमेटी के किसी सदस्य को उसकी अपनी समिति से कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा और यात्रा और दैनिक भत्ते के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के नियम 386, 387 और 388 यथावश्यक परिवर्तन सहित, कमेटी के सदस्यों पर लागू होंगे।

123–न. कमेटी का प्रत्येक सदस्य किसी सहकारी समिति के कार्यकलाप के संचालन व्यक्ति के विवेक और अध्यवसाय का प्रयोग करेगा, अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई कार्य नहीं करेगा और अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों के पालन में चूक नहीं करेगा।

.

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय–10

सचिव

124.(1) कोई भी सहकारी समिति किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सचिव नियुक्त करेगी जो धारा 120 में निर्धारित अर्हताये न रखता हो या जो उस धारा की अपेक्षानुसार प्रतिभूति, यदि कोई हो, जमा न करे या जो समिति की प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य का निकट सम्बन्धी हो। ऐसी प्रत्येक नियुक्तिधारा 121 या 122 के अन्तर्गत बनाये गये विनियमो, यदि कोई हो के अधीन होगी।

(2) यदि सरकार ने–

(क) किसी सहकारी समिति को अंश पूजी में कम से कम एक लाख रुपये अभिदत्त किया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति को ऋण दिया हो या अग्रिम की धनराशि दी हो, या

(ग) किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रों पर मूलधन के प्रतिदान और ब्याज को भुगतान की प्रत्याभूति दी हो, या

(घ) किसी सहकारी समिति के मूलवन के प्रतिदान और व्याज तथा ऋणो और अग्रिम धनराशि के भुगतान की प्रत्याभूति दी हो,

तो ऐसी सहकारी समिति को सचिव की नियुक्ति नियम 125 में की गई व्यवस्था के अनुसार निबन्धक के पूर्वानुमोदन से की जायेगी।

125.(1) निबन्धक के अनुमोदन के लिए सचिव के रुप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजते समय, सहकारी समिति, चयन से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख निबन्धक को प्रस्तुत करेगी और किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को चुनने का कारण भी देगी।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसका नाम उपनियम (1) के अधीन समिति द्वारा निबन्धक को प्रस्तुत किया गया हो, निबन्धक द्वारा अनुपयुक्त समझा जाय तो, वह अपनी आपत्तियां समिति को सूचित करेगा।

(3) उपनियम (2) को अधीन निबन्धक से आपत्तियां प्राप्त होने पर समिति उसकी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उक्त मामले पर पुनर्विचार करेगी और प्रार्थियों में से ऐसे दूसरे का नाम का, जो सबसे उपयुक्त समझा जाय, सुझाव देगी। ऐसा करते समय रामिति ऐसे दो और व्यक्तियों को भी उल्लिखित करेगी जो रामिति की राय में सचिव नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त हों।

(4) निबन्धक ऐरो अभ्यर्थी को नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है जो समिति द्वारा सबसे उपयुक्त बताया गया हो और यदि वह उक्त अभ्यर्थी को अनुपयुक्त समझे, तो वह अन्य दो अभ्यर्थियों में से किसी का अनुमोदन कर सकता है और अपना अनुमोदन कारणों सहित समिति को सूचित करेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) यदि प्रार्थियों की संख्या एक या दो से अधिक न हो, तो निबन्धक समिति की रिक्ति को पुनः अधिसूचित करने की अपेक्षा कर सकता है अथवा वह रामिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थी का अनुमोदन कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनार्थ, कोई अभ्यर्थी निबन्धक द्वारा केवल तमी अनुपयुक्त समझा जायेगा, यदि—

(1) अभ्यर्थी धारा 120 के अधीन निर्धारित अथवा धारा 121 अथवा धारा 122 के अधीन बनाये गये विनियमों अथवा नियमों एवं उपविधियों के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अर्हताओं की पूर्ति न करे, अथवा

(2) अभ्यर्थी प्रबन्ध समिति के किसी रादरय का निकट सम्बन्धी हो, अथया

(3) शिक्षा, अनुभव तथा अन्य रांगत अर्हताओं का विचार करको, प्रार्थियों में से कोई रपष्टतया अच्छा अभ्यर्थी, निवन्ध की राय में, नियुक्ति के लिए उपलब्ध हो।

126. नियम 124 तथा 125 के उपबन्धों के होते हुए भी कोई सहकारी रामिति—

(1) निबन्धक से या उसके माध्यम से राज्य सरकार रो, समिति के सचिव का पद धारण करने के लिए किसी सहकारी सेवक की रोवाओं की प्रतिनियुक्ति पर या निःशुल्क अथवा अंशदान के आधार पर, समिति को निर्दिष्ट अवधि के हेतु देने के लिए,

(२) किसी केन्द्रीय समिति से, उसके किसी कर्मचारी की सेवाओं को निर्दिष्ट अवधि के लिए सहकारी समिति में सचिव का पद धारण करने के हेतु समिति के प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए. अनुरोध कर सकती है।

127.(1) नियम 125 या 126 के अधीन सचिव की नियुक्ति होने तक, रामिति की प्रबन्ध कमेटी धारा 120 के उपबन्धों औरधारा 121 या 122 के अधीन बनाये गये विनियों के उपबन्धों को अधीन रहते हुए. किसी उपयुक्त व्यक्ति को स्थानापन्न राधिय के रुप में नियुक्त कर सकती है।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त रथानापन्न सचिव :मारा से अनाधिक अवधि के लिए या नियम 125 या 126 के अधीन सचिव की नियुक्ति हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

128. कोई सहकारी समिति प्रबन्ध कमेटी नियम 124 एवं 125 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सचिव को राहायता देने के लिए धारा 31 की उपधारा (३) को अधीन एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, यदि इस प्रकार की नियुक्ति कार्यभार के इतना अधिक होने के कारण आवश्यक हो जाए कि सचिव अपने कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन अकेले दक्षतापूर्वक करने में असमर्थ हो और रामिति ऐसी नियुक्ति में होने वाले वित्तीय भार या वहन कर सके। इस प्रकार नियुक्त प्यक्ति सचिव के नियन्त्रण, पथ—प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

129. किसी सहकारी समिति का सचिव समिति की प्रबन्ध कमेटी का न तो सदस्य होगा और न उसे पद देने का अधिकार होगा, भले ही वह नियमों या ऐसी समिति की उपविधियों के अधीन संघटित समिति की किसी अन्य कमेटी या उप–कमेटी का सदस्य हो,जह ऐसी कमेटी या उप–कमेटी में समिति के सामान्य निकाय या प्रवन्ध कमेटी का कोई सदस्य हो।'

130.(1) यदि सहकारी समिति के सचिव की यह राय हो कि–

(क) समिति की प्रवन्ध कमेटी अथवा सामान्य निकाय द्वारा पारित कोई संकल्प, अथवा

(ख) सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश–

समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत न आता हो, या अधिनियम, नियमों अथवा समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो और उस दशा में जब ऐसे संकल्प या आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका न जाए, तो उक्त संकल्प के रह करने अथवा आदेश के निरसित करने का आदेश जो धारा 128 के अधीन निबन्धक द्वारा दिया जाए, निष्फल हो जाएगा–

सचिव–

(1) रामिति के सभापति रो तुरन्त वह लिखित अनुरोध करेगा कि वह उक्त मामले को निबन्धक के पास उसके निर्णय के लिए भेजे प्रतिबन्ध यह है कि यदि समापति सचिव के अनुरोध करने के तीन दिन समझे, तथा

(2) निबन्धक का निर्णय प्राप्त होने तक, यथास्थिति, संकल्प या आदेश के कार्यान्वयन को तुरन्त रोक देगा, यदिन सचिव का इस कारणो के आधार पर जो अभिलिखित किए जाए, समाधान हो गया कि इस प्रकार की कार्यवाही करना समिति के हित में आवश्यक है।

(2) निबन्धक, यथाशक्यशीघ्र किन्तु उपनियम (1) को अधीन निदेश प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उक्त मामले की जांच करेगा, और यदि वह ऐसा निर्णय करे कि जो संकल्प या आदेश सचिव ने उसके पास भेजा है वह–

(क) पारा 128 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता है तो यह संकल्प या आदेश को प्रभावी बनाने का निर्देश देगा और राविय तदनुसार कार्य करेगा;

(ख) धारा 128 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो यह धारा 128 के अधीन कार्यवाही होने तक, ययास्थिति, संकल्प या आदेश के कार्यान्वयन को रोक रखने के लिए सचिव को निदेश देगा और सचिव तदनुसार कार्य करेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व समिति रो संकल्प या आदेश पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा।

(3) जहां निबन्धक द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना उस दिनांक से, जिराको अभिदेश किया गया था, पैंतीस दिन के भीतर सचिव को प्राप्त न हो, तो सचिव यथास्थिति संकल्प अथवा आदेश के कार्यान्वयन को और नहीं रोकेगा।

131. नियम 130 में दी गई किसी बात रो निबन्धक के धारा 128 के अधीन स्वयं अपने आप कार्यवाही करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

131—क. प्रबन्ध कमेटी और किसी शीर्ष समिति के सभापति का अधिनियम की धारा 31—क की उपधारा (4) में प्रमाणित मामलों के सम्बन्ध में समिति के प्रबन्ध निदेशक पर कोई नियन्त्रण नहीं होगा जब तक कि इन नियमों या रामिति की उपविधि में विनिर्दिष्ट रुपये उपबन्धित न हो।

————————————————————

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 11

सहकारी समितियों को राज्य की सहायता

132. धारा 44 को उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन धनराशि देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार–

(क) ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों को निर्धारित कर सकती है जिसे वह उचित समझे, तथा

(ख) ऐसी सहकारी समितियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनमें अंश क्रय किए जाएंगे।

133. (क) किसी सहकारी समिति के प्रार्थना पत्र पर और निधि के उपलब्ध होने के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, प्रार्थी समिति को निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए धारा के 55 खण्ड (घ) के अधीन वित्तीय सहायता दे सकती है–

(1) समिति के सदस्यों द्वारा माल के उत्पादन या निस्तारण में सुविधा देना;

(2) समिति द्वारा हाथ में लिए गए कृषि या औद्योगिक कार्य संचालन और उसे विकसित करना;

(3) पूर्व ऋण का मोचन, समिति के सदस्यों द्वारा भूमि का क्रय और सुधार अथवा अपने सदस्यों के लाभ के हेतु सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किसी परियोजना का निर्माण करना;

(4) समिति अथवा उसके सदस्यों द्वारा निवास–गृहों का निर्माण करना;

(5) समिति द्वारा अपनी उपविधियों के अनुसार पहले उधार लिए गए धन का प्रतिदान करना;

(6) समिति के दक्षतापूर्ण प्रबन्ध के लिए कर्मचारी वर्ग रखना;

(7) ऐसी गाड़ियां, मशीनें तथा सज्जा खरीदना जो समिति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों; और

(8) कोई अन्य उद्देश्य जो राज्य सरकार उचित समझे और जिसकी व्यवस्था समिति की उपविधियों में की जाए।

(ख) उपनियम (क) के अधीन किसी सहकारी समिति को स्वीकृत वित्तीय सहायता ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगी जो राज्य सरकार, समय–समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।

134. कोई सहकारी समिति जो अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन वित्तीय सहायता के लिए मांग करे, ऐसी सूचना देगी तथा ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगी और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करेगी जिनकी निबन्धक या सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए।

1{135. राज्य सरकार किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की पूंजी में राज्य के भाग लेने का अंश अवधारित करेगी। साधारणतया, यह अंश समिति की अभिदत्त अंश पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक न होगा। यह सहकारी चीनी के कारखानों, कताई तथा बुनाई की मिलों, दुग्ध–उत्पादन समितियों, ऐसी समितियों के यूनियन या ऐसी यूनियन के फेडरेशन की दशा में और प्रक्रिया से सम्बन्धित तथा कोल्ड स्टोरेज निर्माण करने वाली सहकारी समितियों या ऐसे औद्योगिक कार्य–कलाप करने वाली समितियों की दशा में जिनके लिए राज्य सरकार की राय में, समिति के अंश पूंजी में राज्य द्वारा उदारता से भाग लेने की आवश्यकता हो, यह अंश समिति की अभिदत्त पूंजी के साठ प्रतिशत या उससे अधिक हो सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समिति की अभिदत्त पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक का विनिवेश सहकारी बैंक और प्रारम्भिक कृषि सहकारी प्राण समितियों में नहीं करेगी। जहां यह पच्चीस प्रतिशत से अधिक है वहां राज्य सरकार इसे पच्चीस प्रतिशत या इससे कम के स्तर पर ले आयेगी और शेष अंशपूंजी समिति को अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दी जाएगी।}

....

---

1. अधिसूचना संख्या 395/49–1–10–8(111)–08, दिनांक 24 मार्च, 2011 (उ०प्र० सहकारी समिति (सैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2011 (24–3–2011 से प्रभाषी) द्वारा प्रतिस्थापित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 12

सहकारी समितियों की सम्पत्तियां और निधियां

1{136. (• • •)}

137. नियम 91 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शुद्ध लाभ का कोई भाग, वार्षिक सामान्य बैठक के अनुमोदन के बिना विनियोजित नहीं किया जाएगा।

2{138. (1) प्रत्येक सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से सहकारी शिक्षा निधि में वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर अपने शुद्ध लाभ का आधा प्रतिशत की दर से या नीचे दी गयी धनराशि का, इसमें जो अधिक हो, अंशदान करेगीः

(क) प्रारम्भिक सहकारी समिति	500 रुपये प्रतिवर्ष
जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक	10,000 रुपये प्रतिवर्ष
(ग) अन्य केन्द्रीयसहकारी समितियां	5,000 रुपये प्रतिवर्ष
(घ) उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक,उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन	1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष
(ङ) उपर्युक्त (घ) से भिन्न शीर्ष अन्य समितियां	25,000 रुपये प्रतिवर्ष :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सहकारी समितियां जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो, भी सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान करेगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक किसी सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति खराब होने के आधार पर उसे अंशदान करने से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकता है।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशत या अधिकतम 2,500 रुपये उस वर्ग की शीर्ष समिति में जिससे वह समिति सम्बन्धित है, सृजित शोध एवं विकास निधि में अंशदान करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उस वर्ग की शीर्ष समिति का अंशदान 10,000 रुपये से कम न होगा और अन्य वर्ग या वर्गों की समितियां भी ऐसा अंशदान कर सकती हैं जैसा कि नियन्धक द्वारा समय– समय पर अवधारित किया जाये।}

---

1. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (पचीसवां संशोधन) नियमावली, 1994 द्वारा नियम 336 निकाल दिया गया।

2. अधिसूचना संख्या 3241/49–1–94–7(10)–94, दिनांक 2 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1{(3) प्रत्येक प्रारंभिक, केंद्रीय एवं शीर्ष सहकारी समिति अपने शुद्ध वार्षिक लाभ में से एक प्रतिशत धनराशि, आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले खाते में जमा करेगी।

इस निधि का उपयोग, उनके कार्य के अनुश्रवण और मूल्यांकन से संबंधित क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए और विकास के क्रियाकलापों के शोध और नियोजन के लिए किया जाएगा। उक्त निधि का व्यय ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियाँ द्वारा विनिश्चित किया जाये।}

139. (1) सहकारी शिक्षा निधि का प्रबन्ध, नियम 147 में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार और निम्नलिखित प्रकार से संघटित उप–कमेटी की सिफारिशों पर यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन द्वारा किया जाएगाः

(1) प्रत्येक शीर्षक स्तर की सहकारी समिति का उस समिति के प्रबन्ध कमेटी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;

(2) गन्ना आयुक्त और उद्योग निदेशक में से प्रत्येक का एक–एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति;

(3) राज्य सरकार का एक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति; और

(4) सदस्य संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट सहकारी विभाग

का एक अधिकारी।

(2) उप–कमेटी अपने सभापति का चुनाव करेगी।

140. उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन सहकारी शिक्षा निधि के प्रशासन और उससे सम्बद्ध विषयों के लिए विनियम तैयार करेगी। यह विनियम निबन्धक के अनुमोदन के अधीन होंगे।

141. सहकारी शिक्षा निधि के नाम से जमा की जाने वाली सभी धनराशि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक या सम्बद्ध जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक के लेखे में रक्खी जायेगी।

142. सहकारी शिक्षा निधि में या धृत सभी धनराशि, सिवाय नियम 140 में अभिदिष्ट विनियमों में की गई व्यवस्था के, न तो व्यय की जायेगी और न उसका उपयोग किया जायेगा।

143. सहकारी शिक्षा निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक प्रयोजन के लिए किया जा

(1) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया को अंशदान;

(2) सहकारिता के सिद्धान्तों और व्यवहारों में सहकारी समितियों के सदस्यों को शिक्षा;

(3) सहकारी शिक्षा के प्रसारण के लिए;

---

1. अधिसूचना संख्या 1600/49–1–2018–08(56)–13 टी0सी0–ए, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) सहकारी शिक्षा के लिए सहकारिता सम्बन्धी पुस्तकों तथा अन्य साधनों को तैयार करना, उसको रचना और प्रकाशन;

(5) धारा 122 के अधीन बनाये गये प्राधिकारी को अंशदान; और

(6) निबन्धक की अनुज्ञा से किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

1{ 143—क. शोध एवं विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित से भिन्न मदों पर सम्बन्धित वर्ग की शीर्ष सहकारी समिति द्वारा नहीं किया जायेगाः

(1) सहकारी आन्दोलन के विकास या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के विकास के लिए कोई शोध करना,

(2) सहकारी आन्दोलन के विकास या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के विकास के लिए कोई क्रिया—कलाप करना,

(3) समितियों को शोध परामर्श जिसमें अध्ययन, यदि कोई हो, सम्मिलित है, प्रदान करने का प्रयास करना,

(4) कोई अन्य ऐसा कार्य जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता या वृद्धि कर सके।

143—ख. शोध और विकास निधि के प्रयोजन के लिए नियम 139, 140,141, 142, 145 और 146 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, मानो वे अनन्य रूप से शोध और विकास निधि के लिए तात्पर्यित हो।}

144. सहकारी शिक्षा निधि का उपयोग, यथासम्भव सहकारी वर्ष की सभी तिमाही में समान रूप से किया जायेगा।

145. सहकारी शिक्षा निधि का वार्षिक बजट इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि कुल व्यय सहकारी वर्ष में अनुमानित प्राप्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक न हो जिसमें निधि पहले से स्थापित की जाय और अनुवर्ती सहकारी वर्ष में व्यय पिछले 30 जून को शेष धनराशि के पचास प्रतिशत से अधिक न होः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित करने, जैसे असाधारण कारणों के लिए किसी विशेष सहकारी वर्ष में व्यय, राज्य सरकार की अनुज्ञा से, पिछले 30 जून को शेष धनराशि के पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

146 सहकारी शिक्षा निधि के लेखों की परीक्षा धारा 64 में की गई व्यवस्था के अनुसार की जायेगी,मानो ये किसी सहकारी समिति के लेखे हों।

147. असीमित दायित्व वाली कोई सहकारी समिति किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को किसी

---

1. अधिसूचना संख्या 2700/उनचास—1—94—7 (1)—94, दिनांक 15 जुलाई, 1994 द्वारा नियम 143—क तथा 143—ख बढ़ाये गये।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सहकारी वर्ष के लिए अंश के सम्बन्ध में लाभांश का भुगतान केवल तभी कर सकती है जब ऐसे अंशों के सम्बन्ध में पहली किस्त के प्राप्त होने के दिनांक से दस वर्ष व्यतीत हो गये हों।

148. सीमित दायित्व वाली कोई सहकारी समिति प्रथम सहकारी वर्ष के कार्य पर लाभांश देना शुरू कर सकती है। कोई भी लाभांश किसी ऐसे अंश पर, जो ऐसे सहकारी वर्ष की, जिसके सम्बन्ध में लाभ का वितरण किया जाना हो, समाप्ति पर कम से कम छः माह तक धृत न किया गया हो, दत्त धनराशि पर देय नहीं होगा। एक वर्ष से कम और छः माह से अधिक समय तक धृत अंशों पर लाभांश केवल छः माह के लिए देय होगा।

149. किसी सहकारी समिति द्वारा धारा 58 को उपधारा (1) के अधीन अपने शुद्ध लाभ से रक्षित निधि और सहकारी शिक्षा निधि को धनराशि निर्दिष्ट करने के बाद, वह उक्त शुद्ध लाभों के शेष को उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित सभी अथवा किसी प्रयोजन के उपयोग में ला सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुमानित अशोध्य अथवा संदिग्ध ऋणों को पूरा करने के लिए अशोध्य ऋण निधि पर्याप्त न हो, तो शुद्ध लाभों के शेष को केवल तभी उपयोग में लाया जा सकता है जब अशोध्य ऋण निधि में ऐसी आवश्यक धनराशि का अंशदान कर दिया गया हो जिससे वह धनराशि अशोध्य और सांदग्ध ऋणों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

स्पष्टीकरण—"अशोध्य ऋण निधि" के अन्तर्गत "अशोध्य ऋण आरक्षण" भी सम्मिलित होगा।

150. किसी सहकारी समिति की, जिसकी कोई अंश पूंजी न हो, निधियों का कोई भाग लाभांश के रूप में सदस्यों में विभाजित नहीं किया जायेगा।

151. (1) किसी सहकारी समिति द्वारा लाभांश का भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक किसी ऋणदाता को समिति द्वारा देय किसी ऐसे दावे को जो धारा 66 को उपधारा (1) के अधीन किये गये निरीक्षण में साबित हो गया हो, अदायगी न कर दी गयी हो, अथवा

(2) यदि धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन जांच जारी हो गई हो अथवा पूरी हो गई हो और निबन्धक को यह निदेश दिया हो कि आदेश के निर्दिष्ट अवधि के दौरान कोई भी लाभांश नहीं दिया जायेगा, समिति द्वारा कोई लाभांश ऐसी अवधि के दौरान भुगतान न किया जायेगा।

152. अंश प्रमाण—पत्र जारी न किये जाने के कारण, नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अधीन देय लाभांश के सम्बन्ध में किसी अंशधारी के दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

153. यदि कोई सहकारी समिति अपने वित्त पोषण बैंक की उस सीमा तक देनदार हो जो ऐसी समिति द्वारा बैंक से लिए गये ऋण के पन्द्रह प्रतिशत से कम न हो तो उक्त समिति अपने शुद्ध लाभ के किसी भाग का उपयोग धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ङ) तक के अधीन उस वित्त पोषण बैंक के सामान्य या विशेष अनुज्ञा के बिना नहीं किया जायेगा।

154. कोई नगर सहकारी समिति ग्राम सुधार निधि में अंशदान नहीं करेगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

155. वेतन या मजदूरी अर्जित करने वालों की किसी सहकारी ऋण तथा अल्प व्यय समिति को निबन्धक लिखित रूप में अपने शुद्ध लाभ का कम से कम दस प्रतिशत रक्षित निधि में अंशदान करने की अनुज्ञा दे सकता है, यदि समिति–

(1) अपने ऋण की ब्याज की दर को, उस सीमा तक कम करने के लिए तैयार हो जो निवन्धक को स्वीकार हो या जिसका उसने सुझाव दिया हो, और

(2) उसने धारा 40 के अधीन ऋण ग्रहीता सदस्यों से उनके वेतन से अपने देयों की वसूली के लिए सहमति प्राप्त कर ली हो जैसा कि धारा 40 के अधीन व्यवस्थित है।

156. धारा 58 को उपधारा (3) के अधीन निवन्धक को प्रार्थना पत्र देने वाली किसी सहकारी समिति को–

(1) यदि उसके अधिकांश सदस्य ऐसे छात्र या प्रशिक्षार्थी हों, जिसके सम्बन्ध में यह सम्भावना हो कि वे अपना अध्ययन या प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर समिति को छोड़ देंगे, निबन्धक, रक्षित निधि में शुद्ध लाभ का दस प्रतिशत तक कम प्रविष्ट करने और लाभांश की दर को पन्द्रह प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकता है और धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित किसी या सभी निधियों में अंशदान करने से छूट भी दे सकता है।

(2) यदि वह कृषि समिति हो तो उसे निबन्धक, धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन लाभांश के प्रतिशत को बीस प्रतिशत तक बढ़ाने और "सहकारी शिक्षा निधि" में अपने अंशदान को नियम 138 में उल्लिखित सामान्य दर के दसवें भाग तक कम करने की अनुज्ञा दे सकता है;

(3) यदि वह किसी अन्य प्रकार की समिति हो तो उसे निबन्धक रक्षित निधि में अपने अंशदान के बीस प्रतिशत तक कम करने और अपने लाभांश के प्रतिशत को साढ़े बारह प्रतिशत तक बढ़ाने की, जब तक कि इस नियमावली के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय न हो, अनुज्ञा दे सकता है।

157. निबन्धक, धारा 58 को उपधारा (3) के अधीन किये गये किसी भी सहकारी समिति के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा, यदि समिति–

(1) असीमित दायित्व वाली हो,

(2) अन्तिम लेखा परीक्षा वर्गीकरण में वर्ग"ग" के नीचे रखी गयी हो;

(3) उसका सदस्यों के प्रति अतिदेय हो;

(4) उसका संचालन बाहरी ऋण या असदस्यों की जमा धनराशि से हो रहा हो;

(5) प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक को वित्तीय वचनबद्धता से अनुन्मुक्त हो; और

(6) उसके पास अपर्याप्त रक्षित निधि हो या रक्षित निधि समिति के कारोबार के बाहर उचित रूप से लगायी गयी न हो।

158. निबन्धक धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन अनुरोध करने वाली सहकारी समिति से यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त समिति उसे सम्बद्ध सहकारी वर्ष के सम्पूर्ण लाभ को बांटने का प्रस्ताव प्रस्तुत करे और वह अपने विवेक से समिति के अनुरोध को या तो स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है या परिष्कार के साथ उसे स्वीकर कर सकता है।

159. धारा 58 को उपधारा (3) के अधीन निबन्धक द्वारा दी गई अनुज्ञा उस विशिष्ट सहकारी वर्ष के लिए होगी जिसके लिए स्वीकृति दी जाय।

160. नियमों में की गयी व्यवस्था को छोड़कर निबन्धक द्वारा धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन किसी समिति को कोई अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

161. प्रत्येक सहकारी समिति, धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित निधियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा निधि सृजित करेगी और यदि समिति उपभोक्ता स्टोर हो या क्रय–विक्रय करती हो तो "मूल्य अस्थिरता निधि" भी सृजित की जायेगी।

162. निबन्धक द्वारा जारी किये गये किन्हीं अनुदेशों के अनुकूल रहते हुए–

(1) कोई सहकारी समिति जिसका मुख्य कार्य माल का उत्पादन, क्रय–विक्रय या बांटना हो अथवा कतिपय सेवाओं की व्यवस्था करना हो, अपने सदस्यों को समिति के साथ उसके बिना कर्जे पाने वाला व्यवहारों पर धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन बांटने के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ की आधी धनराशि तक बोनस बांट सकती है,

(2) कोई सहकारी कृषि समिति धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन बांटने के लिए उपलब्ध अपने शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत तक बोनस अपने सदस्यों को समिति के लिए उनकी भूमि और श्रम के रूप में किये गये अंशदान के सम्बन्ध में दे सकती है। ऐसे अंशदान का मूल्य उपविधियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

163. कोई भी लाभ, जो अधिनियम, नियमों और सहकारी समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट रीति से विनियोजित न किया गया हो, रक्षित निधि में जमा किया जायेगा।

164. किसी असीमित दायित्व वाली सहकारी समिति की रक्षित निधि का उपयोग समिति के कारोबार के लिए किया जा सकता है जब तक कि निबन्धक विशेष आदेश द्वारा उसे नियम 173 में उल्लिखित रीति से विनियोजित करने के लिए निदेश न दे, ऐसी दशा में यह उस प्रकार विनियोजित की जायेगी।

165 किसी सीमित दायित्व वाली सहकारी समिति की निधि, नियम 173 में उल्लिखित किसी एक या अधिक रीतियों से विनियोजित की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति की रक्षित निधि उसकी चालू पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाय तो, अधिक धनराशि का उपयोग निबन्धक की स्वीकृति से समिति के कारोबार में किया जा सकता है:

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब किसी सहकारी समिति को अपनी उपविधियों के अन्तर्गत अपने सदस्यों या किसी अन्य से उधार लेने का निषेध हो और उसका कोई बाहरी दायित्व न हो तो निबन्धक समिति को उसके कारोबार में उसकी रक्षित निधि का 75 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुज्ञा दे सकता है।

166, कोई सहकारी समिति निबन्धक की अनुज्ञा से अपनी रक्षित निधि का कोई निर्दिष्ट भाग निम्नलिखित एक या अधिक के लिए विनियोजित कर सकती है:

(1) भूमि और भवन का अर्जन या खरीदना और निम्नलिखित के लिए भवनों का निर्माण—

(क) अपने कार्यालय, कर्मचारी वर्ग और सज्जा;

(ख) अपनी मशीन या संयंत्र का अधिष्ठापन या परिचालन।

(2) ऐसी मशीन या संयंत्र खरीदना जो उसे अपने मुख्य कारोबार को चलाने के लिए अपेक्षित हो; और

(3) खण्ड (1) (क) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए और अपनी उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार अपने सदस्यों के लाभ के लिए भी, यदि समिति सहकारी आवास समिति हो, भूमि और भवनों का अर्जन या खरीदना और भवनों का निर्माण करना।

167. किसी सहकारी समिति को रक्षित निधि का उपयोग, निबन्धक की स्वीकृति से निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है:

(1) अनुपेक्षित हानि को पूरा करने के लिये;

(2) समिति के ऋणदाताओं के ऐसे दावों को पूरा करने के लिए जो अन्यथा पूरे नहीं किये जा सकते हों; और

(3) विशेष अभाव में अन्य वित्तीय आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए।

168. नियम 167 के अधीन रक्षित निधि का उपयोग इस शर्त के अधीन होगा कि निकाली गई किसी धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुवर्ती सहकारी वर्ष या वर्षों में होने वाले लाभ से, जैसा निबन्धक द्वारा निदेश दिया जाय, की जायेगी। किन्तु निबन्धक समिति की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह अनुज्ञा दे सकता है कि नियम 167 के खण्ड (2) और (3) के अधीन उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निकाली गयी और उपयोग की गयी रक्षित निधि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति न की जाय जैसा कि निबन्धक निदेश दे।

169. कोई भी सहकारी समिति जिसकी रक्षित निधि नियम 173 के उपबन्धों के अनुसार अलग से विनियोजित या जमा की गयी हो, ऐसी निधि में से, पहले से प्राप्त की गयी निबन्धक की स्वीकृति के बिना न तो कोई धनराशि निकालेगी, न गिरवी रखेगी और न ही किसी अन्य प्रकार से उसका प्रयोग करेगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

170. किसी सहकारी समिति की रक्षित निधि अविभाज्य होगी और कोई सदस्य उसमें किसी निर्दिष्ट अंश के लिये कोई दावा नहीं कर सकेगाः

प्रतिबन्ध यह है किसी समिति के दो या अधिक समितियों में अलग होने की दशा में, मूल समिति की रक्षित निधि धारा 16 के उपबन्धों के अधीन नयी समितियों के बीच बांटी जायेगी। इस प्रकार बांटी गयी धनराशि सम्बन्धित समिति की रक्षित निधि में रक्खी जायेगी।

171. (1) किसी सहकारी समिति के समापन की दशा में, समिति की रक्षित निधि और अन्य निधियों का प्रयोग सबसे पहले नीचे मद (1) से (6) तक में निर्दिष्ट पूर्वता के अनुसार समिति के दायित्वों का उन्मोचन करने के लिए किया जायेगाः

(1) समिति के कर्मचारियों के देय वेतन और मजदूरी या अन्य भुगतान, यदि कोई हो;

(2) कर्मचारी वर्ग की प्रतिभूति, निक्षेप यदि कोई होः

(3) सरकार या उसकी गारन्टी पर धृत उधार, यदि कोई हो;

(4) असदस्यों के निक्षेप, यदि कोई हो;

(5) ऋण, यदि कोई हो; और

(6) सदस्यों के निक्षेप, यदि कोई हो।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित दायित्वों का उन्मोचन करने के बाद, शेष, यदि कोई हो, का प्रयोग अदत्त अंश पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए और तत्पश्चात् ऐसे लाभांश के भुगतान के लिये किया जायेगा जहाँ इसका भुगतान न किया गया हो।

(3) उपनियम (2) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया जायेगा यदि समिति की उपविधियों में लाभांश के भुगतान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

172. (1) नियम 171 में उल्लिखित भुगतान करने के पश्चात् यदि कोई धनराशि शेष रह जाय तो उसका प्रयोग राष्ट्रीय रक्षा निधि या ऐसे धर्मार्थ प्रयोजनों या लोक उपयोगिता के स्थानीय उद्देश्यों में अंशदान देने के लिए किया जायेगा जिसे प्रबन्ध कमेटी चुने और जिसका निबन्धक अनुमोदन करे। यदि निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर प्रबन्ध कमेटी ऐसे उद्देश्य अथवा प्रयोजन को न चुन सके जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो तो निबन्धक अतिरेक निधियों का प्रयोग या तो राष्ट्रीय रक्षा निधि में अथवा नियम 138 में अभिदिष्ट सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान देने के लिए कर सकता है।

(2) किसी वित्तपोषण बैंक के समापित किये जाने की दशा में अतिरेक निधियां किसी ऐसे अन्य वित्तपोषण बैंक या बैंकों की रक्षित निधियों में अभ्यर्पित की जायेगी जिसमें ममाप्त किये जाने वाले वित्तपोषण बैंक के कार्य के क्षेत्र में कार्यरत समितियां सम्बद्ध हों। किसी वित्तपोषण बैंक के न होने की दशा में, धनराशि तब तक के लिए शीर्ष सहकारी बैंक में जमा कर दी जायेगी जब तक कि उस क्षेत्र में नया वित्त पोषण बैंक न बन जाय और उस दशा में धनराशि नये वित्तपोषण बैंक की रक्षित निधि के नाम में जमा कर दी जायेगी।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 13

निधियों का विनियोजन

1{173. (1) कोई भी सहकारी समिति अपनी निधियों को निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित अथवा जमा कर सकती है।

(एक) धारा 59 के खण्ड (क) से (ग) में व्यवस्थित किसी भी प्रकार;

(दो) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक,

(तीन) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी कोई बचत योजना,

(चार) किसी ऐसे निगम या अन्य निगमित निकाय के अंश जिसमें केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा दोनों को मिलाकर पचास प्रतिशत से अधिक अंश हो; और

(पांच) किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा चालू किये गये ऋण–पत्रों, यदि ऐसे ऋण–पत्रों के सम्बन्ध में केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा गारण्टी दी गयी हो।

(2) कोई सहकारी समिति, किसी अन्य सहकारी समिति अथवा समितियों के अंशों में अपनी रक्षित निधि के एक–चौथाई से अधिक और निबन्धक के सामान्य या विशेष अनुज्ञा से आधे से अधिक धनराशि विनियोजित नहीं करेगी।

(3) कोई सहकारी समिति, निबन्धक की अनुज्ञा से, ऐसे अखिल भारतीय स्वरूप की किसी सहकारी समिति का अंश खरीद सकती है, जिस पर बहु एकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1942) अथवा अखिल भारतीय स्वरूप के सहकारी समितियों से सम्बद्ध कोई अन्य अधिनियम लागू होता है:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक अनुज्ञा देने से तब तक इन्कार नहीं करेगा जब तक उसके लिए ऐसे विशेष कारण न हों, जिन्हें ऐसी अनुज्ञा के इन्कार करने पर अभिलिखित किया जायेगा।

(4) कोई केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक विधिक दायित्वों के रूप में रखी जाने वाली धनराशि को छोड़कर शेष धनराशि का विनियोजन लाभप्रद मदों में जो भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिये गये मापदण्डों और शर्तों के अधीन होगा, कर सकता है।}

---

1. अधिसूचना सं0 2700/उन्चास–1–94–7(1)/94, दिनांक 15 जुलाई, 1994 (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति पचीसवां संशोधन नियमावली, 1994) द्वारा नियम 173 प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

174, केन्द्रीय या शीर्ष सहकारी बैंक अपनी निधियां किसी ऋण न देने वाली समिति के अंशों में सिवाय उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे, विनियोजित नहीं करेगा।

175. कोई भी सहकारी समिति, असीमित दायित्व वाली किसी अन्य सहकारी समिति के अंश नहीं खरीदेगी।

176, कोई सहकारी समिति, निवन्धक की पूर्व स्वीकृति से, अपनी सम्पूर्ण निधि या उसका कोई भाग भूमि खरीदने या पट्टे पर लेने अथवा किसी ऐसे भवन को, जो उसके कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक हो, खरीदने, उसका निर्माण करने, विस्तार करने या फिर से बनाने के लिए विनियोजित कर सकती है। इस प्रकार विनियोजित निधि की धनराशि की प्रतिपूर्ति ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो निबन्धक द्वारा प्रत्येक मामले में अवधारित की जाए :

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित पर लागू न होगा :

(क) (1) समिति को देय किसी धनराशि की वसूली के लिए उसके द्वारा प्राप्त किसी डिक्री, आदेश या अभिनिर्णय के निष्पादन में की गयी किसी डिक्री में, समिति द्वारा, अथवा

(2) किसी समिति को देय किसी धनराशि की वसूली के लिए, उस समिति द्वारा (जब वह वित्तपोषण बैंक की ऋणी हो) प्राप्त किसी डिक्री, आदेश या अभिनिर्णय के निष्पादन में की गयी बिक्री में या ऐसी समिति के परिसमापक द्वारा या उसकी ओर से बिक्री में किसी वित्तपोषक बैंक द्वारा क्रय की गयी अचल सम्पत्ति पर;

(ख) भूमि खरीदने या पट्टे पर देने अथवा किसी ऐसे समिति के भवन खरीदने, उसका निर्माण करने या उसे फिर से बनाने पर, जिसकी उपविधियों के अनुसार उसके उद्देश्य में इस प्रकार खरीदना, पट्टे पर देना, निर्माण या फिर से बनाना भी है; या

(ग) किसी समिति की रक्षित निधि के विनियोजन पर, यदि ऐसा विनियोजन नियम 165 और 166 द्वारा नियन्त्रित हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियम के अधीन विनियोजित धनराशि की प्रतिपूर्ति आवश्यक न होगी जब विनियोजन--

(1) किसी समिति द्वारा अपने लाभांश से संघटित अपनी भवन निधि से; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) किसी सहकारी आवास समिति द्वारा,

किया जाए।

1{176—क. कोई सहकारी समिति, निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से, समिति के लाभ के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, बन्धक, पट्टा, लाइसेन्स या अन्यथा संक्रमण कर सकती हैः

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक ऐसे विक्रय, बन्धक, पट्टा, लाइसेंस इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व, यथास्थिति, सहकारी समिति, प्रबन्ध कमेटी या उसके सदस्यों पर ऐसी जांच करा सकता है या ऐसी शर्ते या निबन्धन अधिरोपित कर सकता है जैसी वह आवश्यक समझे।}

177. कोई भी सहकारी समिति, कोई मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अपनी निधियों का प्रयोग न करेगी जब तक—

(1) किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा इस आशय का संकल्प पारित न कर दिया जाए और ऐसा संकल्प सामान्य निकाय की पूर्व प्राधिकृति के अनुसार हो; और

(2) इस प्रकार की खरीद के लिए निबन्धक से पूर्व अनुज्ञा न प्राप्त कर ली जाए :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की अनुज्ञा निम्नलिखित के सम्बन्ध में आवश्यक नहीं होगीः

(1) किसी ऐसी समिति की दशा में जो पिछली लेखा—परीक्षा के श्रेणी 'क' अथवा 'ख' में रखी गई हो; अधवा

(2) किसी मोटर परिवहन सहकारी समिति की दशा में यदि मोटर गाड़ी की, अपनी परिवहन सम्बन्धी कारोबार चालू रखने के लिए, आवश्यकता हो।

स्पष्टीकरण— " मोटर गाड़ी " का तात्पर्य मोटर वेहिकिल्स एक्ट 1939 एक्ट संख्या 4, 1939 में यथा परिभाषित शब्द "मोटर वेहिकिल्स" से है।

....

———————————————————————————————

1.अधिसूचना संख्या 965 / 49—1—2003—500 (24) / 2003, दिनांक 28 मई, 2003 (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2003) द्वारा अंतःस्थापित (28—5—2003 से प्रभावी)

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 14

उधार लेने पर निर्बन्धन

1{178. किसी सहकारी समिति का अधिकतम दायित्व उसकी वार्षिक सामान्य बैठक में निश्चित किया जायेगा, किन्तु वह उसके स्वामित्व युक्त पूँजी के दस गुने से अधिक न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति का अधिकतम दायित्व विशेष परिस्थितियों में निबन्धक की विशेष स्वीकृति से इस नियम के अधीन निश्चित सीमा से अधिक हो सकता है।}

179, निबन्धक समय–समय पर किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के किसी वर्ष के अधिकतम दायित्व को गणना करने की रीति निर्दिष्ट कर सकता है।

180. निबन्धक किसी समय किसी सहकारी समिति के अधिकतम दायित्व को उन कारणों से जिसकी सूचना वह समिति को देगा, कम कर सकता हैं और कम से कम चार माह की अवधि निर्दिष्ट कर सकता है जिसके भीतर समिति, निबन्धक के आदेश का अनुपालन करेगी।

181. कोई सहकारी समिति सदस्यों या असदस्यों से, नियम 178 और 179 के अनुसार निश्चित अधिकतम दायित्व या नियम 180 के अधीन कम किये गये दायित्व से अधिक धन निक्षेप नहीं करेगी और न ऋण लेगी।

2{182. निबन्धक की सामान्य या विशेष अनुज्ञा के बिना कोई ऐसी सहकारी समिति जो किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक का सामान्य सदस्य हो, उक्त बैंक से भिन्न किसी अन्य स्रोत से ऋण (निक्षेप स्वीकार करने को छोड़कर) तब तक नहीं लेगी जब तक कि बैंक ने अन्य स्रोत से ऋण लेने के लिये सहमति प्रदान न कर दी हो अथवा समिति का वित्त पोषित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त न कर दी हो।}

3{183. किसी सहकारी बैंक से भिन्न कोई सहकारी समिति निबन्धक की सामान्य या विशेष स्वीकृति के बिना चालू या बचत लेखों में धनराशि जमा नहीं करेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ धारा–60 के उपबंधों के अधीन जमा धनराशि स्वीकार कर सकेगी।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन के लिए शब्द "सहकारी बैंक" में राज्य भूमि विकास बैंक या कोई भूमि विकास बैंक अथवा धारा 129 के अधीन भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञेय कोई समिति सम्मिलित नहीं होगी।}

1,2 एवं 3. अधिसूचना सं० 395/49–1–10–8(111)–08 दिनांक 24 मार्च, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित जो उ०प्र० असाधारण गजट, भाग–4 खण्ड (ख) दिनांक 24 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुआ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

184. बैंकिंग लाज अप्लीकेशन टु कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट 1965 (एक्ट संख्या 23, 1965)

द्वारा यथासंशोधित बैंकिग रेगुलेशन ऐक्ट, 1919 से नियन्त्रित कोई सहकारी समिति उक्त ऐक्ट की अपेक्षा न्यूनतम शीघ्र परिवर्तनशील परिसम्पत्ति रखेगी।

185. नियम 184 में उल्लिखित किसी सहकारी समिति से भिन्न सभी सहकारी समितियों जो

ऋण और निक्षेप स्वीकार करे और नकद दें, निम्नलिखित मानक्रम के अनुसार न्यूनतम शीघ्र परिवर्तनशील परिसम्पत्तियाँ रखेंगीः

(1) घालू निक्षेप का (जिसके अन्तर्गत ऐसी याचना और सावधि निक्षेप भी है जो परिपक्व हो किन्तु निकाला न गया हो) 40 प्रतिशत,

(2) बचत बैंक निक्षेप का 20 प्रतिशत,

(3) ऐसी सावधि का 25 प्रतिशत जो अगले तीन माह में परिपक्व होने वाला हो और ऐसी सावधि निक्षेप का 12.5 प्रतिशत जो उनके आगे तीन माह में परिपक्व होने वाला हो (जिसके अन्तर्गत समितियों की रक्षित निधि निक्षेप से है), और

(4) नकद साख के निकाले गये भाग का और संघटकों को स्वीकृति अधिविकर्षों का 40 प्रतिशत

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों आधार पर ऊपर नियत किये गये शीघ्र परिवर्तनशील परिसम्पत्ति के प्रतिशत में परिवर्तन कर सकता है।

186. नियम 185 के प्रयोजनों के लिए शीघ्र परिवर्तनशील (लिक्विड कवर) का तात्पर्य ऐसी परिसम्पत्तियों से है जिन्हें नकदी में शीघ्र बदला जा सके और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है–

(1) हस्तगत रोकड़ और शेष जो अनुमोदित बैंक में चालू तथा बचत बैंक लेखे में हो;

(2) सरकारी प्रतिभूतियों के (जिनके अन्तर्गत डाक नकद प्रमाण–पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी है) अभारग्रस्त भाग के बाजार मूल्य का 90 प्रतिशत;

(3) औद्योगिक वित्त निगम के बन्धपत्रों और अंशों के, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों के, न्यासी प्रतिभूतियों तथा अनुमोदित बैंकों के पास सावधि निक्षेप अभारग्रस्त भाग के बाजार मूल्य का 80 प्रतिशत;

(4) सहकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त नकद साख तथा अधिविकर्ष सीमा में से न निकाला गया भाग;

(5) स्टेट बैंक आफ इण्डिया या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड या किसी केन्द्रीय बैंक से आश्वासित नकद साख के न निकाले गये भाग का 50 प्रतिशत।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 15

ऋणों पर निर्बन्धन

187. निबन्धक की अनुमति के बिना असीमित दायित्व वाली कोई भी सहकारी समिति अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण नहीं देगी।

1{188.(1) कोई प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति अपनी का नीति का निर्धारण निबन्धक द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि निबंधक द्वारा ऐसे निर्देश राष्ट्रीय बैंक/रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार निर्गत किये जायेंगे।

(2) भूमि विकास बैंक सहित कोई सहकारी बैंक अपनी ऋण नीति का निर्धारण नाबार्ड/ रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार करेगा।

188–क (• • •) अधिसूचना संख्या 395/49–1–10–8(111)–08, दिनांक 24 मार्च, 2011 (उ.प्र. सहकारी समिति (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2011 (24–3–2011से प्रभावी) द्वारा विलोपित)।

189. कोई भी सहकारी समिति निबन्धक की अनुज्ञा के बिना किसी असदस्य की प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित बन्ध–पत्र पर किसी सदस्य को ऋण न देगी।

190. प्रतिभू की सहमति के बिना असीमित दायित्व वाली कोई भी सहकारी समिति द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया हो, बढ़ाई नहीं जायेगी।

2{191. कोई सरकारी बैंक दिये गये उधार पर ब्याज को प्रभारित एवं जमाओं पर ब्याज का भुगतान राष्ट्रीय बैंक/रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार करेगा।}

192. ऐसी सहकारी समिति जो अपने सदस्य को ऋण दे, एक सीमा निश्चित करेगी जिससे अधिक किसी सदस्य के विरुद्ध कोई ऋण बकाया नहीं रहेगा। इस प्रकार निश्चितसीमा, किसी ऐसी सहकारी समिति की दशा में, जो किसी केंद्रीय बैंक का उधार लेने वाला सदस्य हो, सम्बद्ध बैंक के अनुमोदन के अधीन होगी, और अन्य समितियों की दशा में वह निबन्धक के सामान्य या विशेष आदेशों के अनुमोदन के अधीन होगी।

3{193. प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति एवं अन्य सहकारी समिति ऋण एवं जमाओं पर ब्याज की दर का निर्धारण निबन्धक के निर्देशानुसार करेंगे:

1, 2 एव 3– अधिसूचना क्रमांक 395/49–1–10–8 (111)–08, 24 मार्च, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित। (उ.प्र.सहकारी समिति (सैतालिसवा संशोधन) नियमावली, 2011 (दिनांक 24.3.2011 से लागू)।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा ऐसा निर्देश राष्ट्रीय बैंक के दिशा–निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार जारी किया जाएगा।}

194. (• • •) अधिसूचना संख्या 395–49–1–10–8 (111)–08, दिनांक 24 मार्च, 2011 (उ.प्र. सहकारी समिति (सैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2011 द्वारा निकाल दिया गया।

195.(क) वेतन या मजदूरी अर्जित करने वालों की किसी सहकारी समिति की दशा में, समिति अपने किसी भी सदस्य को तब तक ऋण नहीं देगी जब तक कि सदस्य धारा 40 की उपधारा (1) में की गयी व्यवस्था के अनुसार समिति के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित न कर दे।

(ख) सहकारी समिति, सदस्य को ऋण दिये जाने के एक पखवारे के भीतर,सदस्य द्वारा निष्पादित अनुबन्ध की एक यथाविधि प्रमाणित प्रति सम्बद्ध सेवायोजक या वेतन वितरण प्राधिकारी को उक्त अनुबन्ध के अधीन कटौती करने के लिए भेज देगी।

196. कोई भी सहकारी समिति जिसके मुख्य उद्देश्य में अपने सदस्यों को ऋण या वितीय सहायता देना नहीं है, निबन्धक की विशेष स्वीकृति के बिना किसी सदस्य को न तो ऋण देगी और न वित्तीय अनुग्रहण देगी।

197. कोई भी सहकारी समिति सिवाय अधिनियम, नियम या समिति के उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार या जब निबन्धक के सामान्य या विशेष आदेश से ऐसे व्यवहार के लिए पूर्वानुमोदन ले लिया जाय, किसी अन्य सहकारी समिति को न तो ऋण, अग्रिम धनराशि या निक्षेप देगी और न उससे ऋण, अग्रिम धनराशि या निक्षेप लेगी।

198. (• • •) अधिसूचना क्रमांक 196–सी–1/12–सी.ए.–5(1)–69–बी, दिनांक 20 जून, 1972 द्वारा निरस्त किया गया।

199. (• • •) अधिसूचना क्रमांक 196–सी–1/12–सी.ए.–5(1–69–बी, दिनांक 20 जून, 1972 द्वारा निरस्त किया गया।

200. सिवाय धारा 60 और 61 और नियमों में की गयी व्यवस्था के, कोई भी सहकारी समिति, किसी असदस्य के साथ सिवाय समिति की उपविधियों के अधीन या निबन्धन की सामान्य या विशेष अनुमति के अधीन, समिति के कारोबार के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नहीं करेगी।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 16

अंशदायी भविष्य निधि

201. (1) प्रत्येक सहकारी समिति जिसकी सेवा में पांच या अधिक कर्मचारी पूर्णकालिक मौलिक नियुक्ति में हो. धारा 63 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना करेगी।

(2) उक्त अंशदायी भविष्य निधि अधिनियम तथा उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी शर्तो द्वारा नियन्त्रित होगी जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हों।

202. किसी सहकारी समिति की अंशदायी भविष्य निधि के नाम में जमा किये जाने वाले अंशदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगेः

(1) किसी कर्मचारी के मासिक अंशदान की दर वह होगी जो वह चाहे किन्तु वह न तो उसके मासिक वेतन के पांच प्रतिशत से कम होगी और न पन्द्रह प्रतिशत से अधिक होगी और

(2) प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में समिति के अंशदान की दर वही होगी जो समिति की प्रवन्ध कमेटी द्वारा अवधारित की जायः

प्रतिबन्ध यह है कि समिति, निबन्धक के अनुमोदन के बिना वर्ष के दौरान के कर्मचारी के वेतन के सवा छः प्रतिशत से अधिक अंशदान नहीं करेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई सहकारी समिति इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व किसी कर्मचारी के वेतन के सवा छः प्रतिशत से अधिक अंशदान करती रही हो और ऐसे प्रतिशत को और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव न हो तो उस दशा में निबन्धक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगीः

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी भी दशा में समिति का अंशदान कर्मचारी के अंशदान से अधिक नहीं होगा।

203. अंशदायी भविष्य निधि के विनियोजन पर प्रोद्भूत ब्याज अलग–अलग सम्बद्ध कर्मचारी के लेखे में, पिछले सहकारी वर्ष की समाप्ति पर उसके नाम में शेष धनराशि के अनुपात में जमा किया जायेगा।

204. अंशदायी भविष्य–निधि निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से विनियोजित की जायेगीः

(1) इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 (ऐक्ट संख्या 2, 1882) की धारा 20 में निर्दिष्ट प्रतिभूति में; या

(2) इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में; या

(3) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में; या

(4) केंद्रीय सरकार या भारत सरकार द्वारा चलाई गई किसी भी बचत योजना में।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 17

लेखा–परीक्षा

1{205. समिति, धारा 64 के अधीन निबन्धक या लेखा–परीक्षा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को,जांच और सत्यापन के लिये,जैसे और जब अपेक्षित हो वार्षिक और अन्य विवरणियां जिसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की अशोध्य तथा संदिग्ध परिसम्पत्तियां भी हैं, और सभी बहियां, संगत लेखा, लेख्यों, पत्रादि, प्रतिभूतियां, नकदी और अन्य सम्पति उपलब्ध करायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित सहकारी बैंक की प्रवन्ध कमेटी,बैंक की लेखा–परीक्षा संचालित कराने हेतु इस प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 64 के उपबन्धों के अनुसार तैयार किए गए चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स के पैनल में से एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति करेगी। लेखा–परीक्षा शुल्क निबन्धक द्वारा अवधारित दर से सम्बन्धित बैंक द्वारा ही सम्बन्धित लेखा–परीक्षक को भुगतान किया जाएगा।

206. नियम 367 में अभिदिष्ट लेखों और विवरणियों के लेखा परीक्षित विवरण–पत्र के साथ लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां लेखा–परीक्षक (1) प्रत्येक लेखा परीक्षित सहकारी समिति, (2) उसके प्रकृष्ट अधिकारी या अधिकारियों, (3) निबन्धक और, यदि निबन्धक द्वारा प्रकार निदेश दिया जाय, तो उस केन्द्रीय समिति को जिससे उक्त लेखा परीक्षित समिति सम्बद्ध हो, को भी प्रस्तुत करेगा। लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित का उल्लेख होगा:

(क) प्रत्येक व्यवहार, जो लेखा–परीक्षक की राय में, अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों में उपबन्धों के प्रतिकूल हो;

(ख) प्रत्येक धनराशि जिसे समिति के लेखे में दर्ज किया जाना चाहिए, किन्तु उसे दर्ज नहीं किया गया हो;

(ग) किसी धनराशि की कमी या हानि जो लेखा–परीक्षक की राय में, समिति के किसी अधिकारी की किसी उपेक्षा या दुराचरण के कारण हो;

(घ) समिति को कोई धनराशि या सम्पत्ति जिसे, लेखा–परीक्षक की राय में, किसी व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोजित किया गया हो अथवा कपटपूर्वक रोक रखा गया हो;

(ङ) समिति की कोई भी परिसम्पत्ति जो लेखा–परीक्षक की राय में अशोध्य या संदिग्ध हो;

(च) यह तथ्य कि क्या अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों द्वारा अपेक्षित सभी लेखा बहियां समिति द्वारा उचित प्रकार से रक्खी गयी है या नहीं;

(छ) यह तथ्य कि क्या लेखा–परीक्षक रोकड़–पत्र और हानि लाभ का लेखा समिति द्वारा रक्खी गयी लेखा–बहियों तथा विवरणियों से मिलते हैं या नहीं:

---

1. अधिसूचना क्रमांक 395/49–1–10–8 (111)–08. 24 मार्च, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित। (उ.प्र.सहकारी समिति (सैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2011)1 (दिनांक 24.3.2011 से लागू)।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ज) व्यय में या समिति के देयों की वसूली में कोई सारवान अनौचित्य या अनियमितताः

(झ) समिति तथा उसके अधिकारियों के बीच व्यवहारों के परीक्षण का परिणाम;

(ञ) कोई अन्य विषय जो लेखा–परीक्षक की राय में समिति की आर्थिक समृद्धि के लिये आवश्यक हो।।

207. लेखा परीक्षक–

(1) किसी प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति की दशा में,

(2) किसी ऐसी अन्य प्रारम्भिक सहकारी समिति की दशा में जिसकी चालू पूंजी 50.000 रुपये से अधिक न हो; और

(3) निबन्धक द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट की जाने वाली अन्य सहकारी समितियों की दशा में (चाहे ये प्रारम्भिक हों या नहीं) इस योजना के लिए लेखा–परीक्षक के अधियाचन पर बुलाई गयी सम्बद्ध समिति की प्रबन्ध कमेटी की बैठक के समक्ष ऐसी आपत्तियां रक्खेगा जिनका प्रबन्ध कमेटी द्वारा तत्काल समाधान किया जा सके या जो दूर की जा सके और ऐसी मदों के सामने प्रबन्ध कमेटी के संकल्प के अधीन ऐसी आपत्ति का समाधान किये जाने या दूर किये जाने के सम्बन्ध में दर्ज करेगा। लेख–परीक्षा टिप्पणी की शेष आपत्तियां लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन में दर्ज रहेंगी और समिति को निर्दिष्ट अवधि के भीतर उनका यथोचित रुप से समाधान करने के लिए संसूचित किया जायेगा।

208.(1) लेखा–परीक्षक, नियम 207 में निर्दिष्ट प्रारम्भिक सहकारी समितियों और ऐसी अन्य समितियों की दशा में जिन्हें निबन्धक तदर्थ निर्दिष्ट करे, लेखों का और व्यवहारों का सदस्यों से, विशेष रुप से उन सदस्यों से जो अशिक्षित हों, मौखिक रुप से सत्यापन करेगा और अपना सत्यापन सदस्य की पास–बुक और खाते में दर्ज करेगा और अपनी लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे सत्यापन का उल्लेख करेगा।

(2) लेखा परीक्षक जिन सदस्यों से मौखिक रुप से सत्यापन करने की अपेक्षा करे, उन्हें उसके सम्मुख प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व, साधारणतया समिति के सचिव का होगा। इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई होने की दशा में लेखा–परीक्षक सभापति से और सभापति के उपलब्ध न होने की दशा में उप–सभापति से सदस्यों को मौखिक रुप से सत्यापन करने के निमित प्रस्तुत करने के लिए सम्पर्क कर सकेगा।

209.नियम 207 में उल्लिखित सहकारी समितियों से भिन्न सहकारी समितियों की दशा में, लेखा–परीक्षक लेखा–परीक्षा के दौरान समय–समय पर समिति के सचिव को अन्तरित आपत्तियां, जो ऐसी आपत्ति में इंगित त्रुटियों या अनियमिताओं का अनुपालन करने या उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने के लिए होगी, जारी करेगा। सचिव अनुपालन–प्रतिवेदन के साथ अंतरिम आपत्ति–पत्र को, लेखा–परीक्षक को उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर वापस कर देगा। लेखा–परीक्षक अनुपालन प्रतिवेदन का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसी आपत्तियों को निकाल देगा जिसका उनकी राय में संतोषजनक ढंग से अनुपालन कर दिया गया हो और शेष आपत्तियों को, यथास्थिति, अन्तिम या नियतकालीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

210. यदि लेखा—परीक्षक यह समझे कि समिति द्वारा तैयार की गयी वार्षिक या अन्य विवरणियों में कोई संशोधन किया जाना चाहिए तो वह समिति को उसकी सूचना इस आशय से देगा कि समिति की बहियों में ऐसी प्रविष्टियां करके, जो आवश्यक हों, उन्हें चालू सहकारी वर्ष के लेखे में समाविष्ट किया जा सके।

211. यदि ऐसे संशोधन जिनका सुझाव नियम 210 के अधीन दिया गया है, समिति द्वारा लेखा—परीक्षा के दौरान समाविष्ट कर लिये जायें तो लेखा—परीक्षक लेखों तथा विवरणियों का ठीक होना प्रमाणित करेगा और रोकड़—पत्र के साथ उक्त आशय का एक प्रमाण—पत्र इस प्रयोजन के लिए निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में संलग्न करेगा।

212.यदि सहकारी समिति द्वारा, लेखा—परीक्षा पूरी होने के पूर्व ऐसे संशोधन को जिनका सुझाव नियम 210 के अधीन दिया गया है समाविष्ट न करे, लेखा—परीक्षक, लेखा—परीक्षा प्रमाण—पत्र में नियम 210 के अधीन अपने द्वारा सुझाये गये संशोधन का उल्लेख करेगा और उसके लिए यदि आवश्यक हो, एक अलग से कागज लगाया जा सकता है।

213. यदि किसी सहकारी समिति द्वारा लेखा—परीक्षा के दौरान ऐसी गम्भीर अनियमितताएं पायी जायें जिनके कारण निधियों या स्टाक का गबन या दुर्विनियोग हुआ हो

या होने का संदेह हो तो लेखा—परीक्षक, लेखा—परीक्षा बन्द किये बिना, गुप्त रुप से अपने प्रकृष्ट अधिकारी को, यदि कोई हो, निबन्धक को और समिति के सभापति तथा सचिव को भी सूचित करेगा यदि सभापति या सचिव को ऐसी सूचना देने से आगे जांच करने पर या समिति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो।

214.(1) कोई ऐसी सहकारी समिति, जिसकी लेखा—परीक्षक द्वारा लेखा—परीक्षा की गयी हो, उसे उस बैठक की जिसमें उसमें लेखा—परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार किया जाना हो, कार्यसूची सम्बन्धी नोटिस की एक प्रति भेजेगी, चाहे ऐसी बैठक प्रबन्ध कमेटी की हो या सामान्य निकाय की।

(२) लेखा परीक्षक स्वतः ऐसी बैठक में उपस्थित हो सकता है और जब निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो तो उपस्थित होगा और उसे इस बात का हक होगा कि ऐसी बैठक में समिति की लेखा—परीक्षा प्रतिवेदन में उसके द्वारा की गयी किसी अभ्युक्ति तथा आपत्ति के सम्बन्ध में उसकी बात सुनी जाय।

215. लेखा—परीक्षक, लेखा—परीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्, निबन्धक को गोपनीय आवरण में, लेखा—परीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट गम्भीर अनियमितताओं, दुर्विनियोजनों और गबन के सम्बन्ध में एक विशेष प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत करेगा।

216. जब तक कि निबन्धक द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाय, ऐसी सहकारी समिति जिसके सम्बन्ध में धारा 72 के अधीन समापित करने का आदेश अन्तिम हो चुका है, वार्षिक लेखा—परीक्षा के अतिरिक्त एक बार समापित किये जाने का आदेश जारी करने के पश्चात् और दुबारा समिति का निबन्धन रद्द करने के पूर्व लेखा—परीक्षा की जायेगी।

217.किसी अन्य नियम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी अपने लेखों की नियतकालिक या अन्य आधार पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी शर्तो पर भुगतान सहित आन्तरिक लेखा–परीक्षा किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है जो निबन्धक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित की जायः

(ख) जब राज्य सरकार द्वारा या निबन्धक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो किसी सहकारी समिति की विशेष लेखा–परीक्षा या पुनः लेखा–परीक्षा की जायेगी;

(ग) यदि और जब निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो तो किसी सहकारी समितियों के वर्ग की चालू लेखा–परीक्षा की जायेगी।

218. निबन्धक किसी सहकारी समिति की अभिलेखा–परीक्षा की भी व्यवस्था कर सकता है जिससे कि किसी लेखा–परीक्षक द्वारा की गयी लेखा–परीक्षा की कोटि की जांच की जा सके।

219.निवन्धक समय–समय पर ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिसमें सहकारी समितियों के लेखा–परीक्षा वर्गीकरण के लिए स्तर निर्धारित करेगा।लेखा–परीक्षक प्रत्येक सहकारी वर्ष में उसी स्तर के अनुसार सहकारी समिति का वर्गीकरण करेगा और अपने द्वारा किये गये वर्गीकरण के लिए विस्तृत रुप से कारण देगा।

220. प्रत्येक सहकारी समिति, ऐसी दर पर और ऐसे समयों पर लेखा–परीक्षा शुल्क की देनदार होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाय।

221. निबन्धक किसी सहकारी समिति के अनुरोध पर और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायें, समिति द्वारा या उसकी ओर से देय लेखा–परीक्षा शुल्क में पूर्णतः या आंशिक रुप से छूट दे सकता है।

222.किसी सहकारी समिति की लेखा–परीक्षा करने वाले व्यक्ति, लेखा–परीक्षा पूरी हो जाने पर, समिति से भारतीय लेखा–परीक्षा शुल्क निर्धारित करेगा। ऐसे निर्धारण से सम्बद्ध टिप्पणी लेखा–परीक्षा का भाग होगीः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी केंद्रीय बैंक से सम्बद्ध प्राथमिक ऋण समितियों की दशा में लेखा–परीक्षक ऐसी समितियों के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के अन्त में एक समेकित निर्धारण आदेश भी सम्बन्धित बैंक को भेजेगा और बैंक सम्बन्धित समितियों से कोई सलाह अथवा "कोई आपत्ति नहीं" की सूचना पाने के बाद उनकी ओर से लेखा–परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकता है और जब तक नियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो केंद्रीय बैंक द्वारा इस प्रभार का भुगतान किया गया लेखा–परीक्षा शुल्क उसके द्वारा सम्बन्धित समितियों से वसूल किया जा सकेगाः

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि किसी सहकारी समिति का यह मत हो कि उसके विरुद्ध लेखा–परीक्षा शुल्क गलत ढंग से निर्धारित किया गया है तो वह उक्त निर्धारण टिप्पणी की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर निबन्धक को प्रत्यावेदन दे सकेगी। ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण

होने तक, निबन्धक समिति से, उसके प्रत्यावेदन के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लेखा–परीक्षा शुल्क जमा करने की अपेक्षा कर सकता है, जिस पर समिति यह आपत्ति करते हुए कि उसके प्रत्यावेदन पर निर्णय दिये जाने के फलस्वरुप, जब ऐसी धनराशि का निर्धारण किया जायेगा,

उसके वापस पाने या समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में उसका दावा बराबर बना रहेगा, उक्त लेखा–परीक्षा शुल्क जमा कर देगी।

223.(क) निर्धारण टिप्पणी की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर कोई सहकारी समिति, नियम 222 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्थानीय कोषागार में या जिले के सहकारी केन्द्रीय बैंक में,या जैसा भी निबन्धक निदेश दे, देय लेखा–परीक्षा शुल्क जमा कर देगी।

(ख) यदि लेखा–परीक्षा शुल्क केंद्रीय सहकारी बैंक में जमा किया जाय केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा नियम 222 के अधीन सम्बद्ध सहकारी ऋण समितियों की ओर से अदा किया जाय तो लेखा–परीक्षा शुल्क की धनराशि केंद्रीय बैंक में "सहकारी समितियां, लेखा–परीक्षा शुल्क सम्बन्धी लेखा" के नाम से एक अलग खाते में जमा की जाएगी और इस खाते में जमा धनराशि निबन्धक के निदेशों के अधीन स्थानीय कोषागार में जमा की जायेगी। ऐसा बैंक "सहकारी समितियां लेखा–परीक्षा शुल्क सम्बन्धी लेखा" नाम से एक पृथक् खाता रखेगा जिसका चालान निबन्धक द्वारा दिया जायेगा।

224. सहकारी समिति लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित दोषों को दूर करेगी और लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर एक अनुपालन प्रतिवेदन निबन्धक को भेजेगी। विशेष परिस्थितियों में समिति के अनुरोध करने पर 60 दिन की अवधि निबन्धक द्वारा बढ़ाई जा सकती है। यदि निबन्धक का समिति के अनुपालन के सम्बन्ध में समाधान न हो तो वह समिति को अपने निर्देशों के अनुसार और आगे अनुपालन में ऐसे समय के भीतर, जैसा वह निर्दिष्ट करे, भेजने का निर्देश देगा। समिति तदनुसार आगे अनुपालन करेगी और निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर उसे अनुपालन प्रतिवेदन भेजेगी।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 18

विवादों का निपटारा

225. जब धारा 70 की उपधारा (1) में अभिर्दिष्ट किसी समय से संबंधित विवाद उत्पन्न हो तो क्षुब्ध पक्ष निबंधक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत प्रपत्र पर, यदि कोई हो, निबन्धक को प्रार्थना–पत्र दे सकता है जिसमें वह विरुद्ध पक्ष या पक्ष के नाम तथा पते उल्लिखित करने के अतिरिक्त विवाद का सार और दावा उल्लिखित करेगा। यदि उक्त पक्ष विवाद को धारा 71 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन मध्यस्थ कफ मण्डल द्वारा निर्णीत कराना चाहे तो वह प्रार्थना–पत्र में मध्यस्थ मण्डल के लिए अपने नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम भी उल्लिखित करेगा।

226. यदि नियम 225 में अभिदिष्ट प्रार्थना–पत्र से यह विदित हो कि प्रार्थी विवाद को मध्यस्थ मण्डल द्वारा निर्णीत कराना चाहता है तो निबन्धक प्रार्थना–पत्र में दिये गये पते या पतों पर विरुद्ध पक्ष या पक्षों को रजिस्ट्री डाक से इस आशय की नोटिस देगा जिसमें सम्बद्ध पक्ष या पक्षों को नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर मध्यस्थ मण्डल के लिए नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम सूचित करने के लिए कहा जायेगा।

स्पष्टीकरण– यदि एक से अधिक विरुद्ध पक्ष हों तो उन सबसे यह अपेक्षा की जायेगी कि वे सब मिलकर मध्यस्थ मण्डल के लिए एक नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति चुनें।

227. यदि नियम 226 में निर्दिष्ट नोटिस की अवधि के भीतर निबन्धक को विरुद्ध पक्ष या पक्षों द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम प्राप्त न हो या विरुद्ध पक्ष अथवा किसी एक विरुद्ध पक्ष से इस आशय की सूचना प्राप्त हो कि विवाद को मध्यस्थ मण्डल द्वारा निर्णीत कराना वंछित नहीं है अथवा सब विरुद्ध पक्ष एक व्यक्ति के नाम–निर्देशन पर सहमत न हों तो निबन्धक या तो विवाद का निपटारा स्वयं कर सकता है अथवा उसका निर्णय करने के लिए कोई मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

228. यदि विवाद के पक्षों ने यह इच्छा व्यक्त की हो कि विवाद मध्यस्थ मण्डलद्वारा निर्णीत कराया जाय और उनके नाम–निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम, नियम 226 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हो जायें तो निबन्धक तीसरे सदस्य के रुप में एक व्यक्ति का नाम–निर्दिष्ट करेगा जो उक्त मण्डल के अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

1[229.(1)जहां विवाद सम्पत्ति या धनराशि के दावे से सम्बन्धित हो वहां अभिदेश–

(क) जिला सहायक निबन्धक को किया जायेगा, यदि अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक न हो।

---

1. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08(56)–13 दिनांक 0,8 सितम्बर, 2017(उ.प्र.सहकारी समिति (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विवाद, एक ही डिवीजन के एक से अधिक जिलों के दो या अधिक सहकारी समितियों के बीच हो वहां अभिदेश, यथास्थिति, डिवीजन के उप–निबन्धक या संयुक्त निबन्धक को किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह और है कि जहां विवाद विभिन्न डिवीजनों के एक से अधिक जिलों के दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो वहां अभिदेश अपर निबन्धक (विधि) को किया जायेगाः

(ख) यथास्थिति, डिवीजन के उप–निबन्धक या संयुक्त निबन्धक को किया जायेगा यदि विवाद से अन्तर्ग्रस्त सम्पति का मूल्य या दावे की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख रुपये से अधिक न हो।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विवाद, विभिन्न डिवीजनों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो, वहां अभिदेश, अपर निबन्धक (विधि) को किया जायेगाः

(ग) अपर निबन्धक (विधि) को किया जायेगा, यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पति का मूल्य का दावे की धनराशि पांच लाख रुपये से अधिक किन्तु दस लाख रुपये से अधिक न हो।

1{(घ) अभिदेश, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबंधक, सहकारी समितियाँ को किया जाएगा, यदि विवाद में अन्तर्ग्रस्त संम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि दस लाख रुपये से अधिक हो।}

(2) जहां विवाद किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में हो जो उपनियम (1) से आच्छादित न हो, यहाँ अभिदेश, यथास्थिति, डिवीजन के उप–निबन्धक या संयुक्त निबन्धक को किया जायेगा

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विवाद विभिन्न डिवीजनों के जिलों की दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो वहां अभिदेश, सम्बन्धित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले अपर निबन्धक को किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विवाद एक से अधिक अपर निबन्धकों की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के भीतर दो या उससे अधिक सहकारी समितियों के बीच हो वहां अभिदेश, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समितियों को किया जायेगा।]

2{230. नियम 229 के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर–

(क) जिला सहायक निबन्धक विवाद का विनिश्चय, स्वयं कर सकता है अथवा, यथास्थिति; किसी मध्यस्थ या मध्यस्य मण्डल के अध्यक्ष को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त कर सकता है–.........

....

1.अधिसूचना क्रमांक 1600/49–1–2018–08 (56)–13 टी सी–ए दिनांक 17 सितम्बर, 2018 (उ.प्र. सहकारी समिति (चौवनवाँ संशोधन) नियमावली, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08 (56)–2, 8 सितम्बर, 2017 (उ.प्र. सहकारी समिति (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(एक) जहां अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार उपये से अधिक न हो, वहां यथास्थिति मध्यस्थ या मध्यस्य मण्डल का अध्यक्ष वह होगा जो निरीक्षक, सहकारी समिति, समूह–दो की श्रेणी से नीचे का न हो या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो निरीक्षक सहकारी समिति, समूह दो के रुप में सेवानिवृत हुआ हो:

(दो) जहां विवाद में अन्तर्ग्रस्त सम्पति का मूल्य या दावे की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु दो लाख रुपये से अधिक न हो वहां यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष वह होगा, जो निरीक्षक, सहकारी समिति समूह–1 की श्रेणी से नीचे का न हो, या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो निरीक्षक, सहकारी समिति, समूह–1 के रुप में सेवानिवृत्त हुआ हो;

(ख) यथास्थिति डिवीजन का उप–निबन्धक या संयुक्त निबन्धक, विवाद का विनिश्चय स्वयं कर सकता है, अथवा यथास्थिति, किसी मध्यस्थ या मध्यस्य मण्डल के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है जो राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के सहायक निबन्धक की श्रेणी से निम्न अधिकारी न हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के रुप में सेवानिवृत्त हुआ हो;

(ग) अपर निबन्धक विवाद का विनिश्चय स्वयं कर सकता है, अथवा यथास्थिति किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर सकता है, जो राज्य सरकार के समूह 'क' के राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो या कोई व्यक्ति हो जो राज्य सरकार के समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी के रुप में सेवानिवृत्त हुआ हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विवाद, नियम 229 के उपनियम (2) के अधीन आच्छादित हो वहां यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष उस विवाद से सम्बन्धित शीर्ष सहकारी समिति के पर्यवेक्षण या प्रशासन से सम्बन्धित विभाग का सेवारत अधिकारी न होगा।

(घ) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समिति, विवाद का विनिश्चय स्वयं कर सकता है अथवा यथास्थिति मध्यस्थ यामध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है जो अपर निबन्धक की श्रेणी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो या कोई व्यक्ति हो जो अपरनिबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के रुप में सेवानिवृत्त हुआ हो।}

231. यदि यह प्रश्न उठे की जिस प्राधिकारी के समक्ष विवाद विचाराधीन है उस विवाद को निपटाने के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त है या नहीं तो उस प्रश्न का निर्णय धारा 70 की उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अपील करने के अधिकार को प्रभावित किये बिना उसी प्राधिकारी द्वारा किया जायगा।

232. नियम 230 के अधीन मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये सेवा–निवृत्त सरकारी कर्मचारी को दिया जाने वाला शुल्क वह होगा जो राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये, निबन्धक द्वारा निश्चित किया जाय।

233. यदि धारा 71 के अधीन किसी विवाद के विचाराधीन रहते समय उक्त विवाद से सम्बन्धित पक्ष के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो, यथास्थिति निबन्धक या मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष तदर्थ प्रार्थना–पत्र देने पर, मृत व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद या विधिक प्रतिनिधि के नाम को एक पक्ष के रुप में प्रतिस्थापित कर सकता है और ऐसे प्रतिस्थापित व्यक्ति को नये सम्मन जारी करने का आदेश दे सकता है। यदि नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति, दायाद या विधिक प्रतिनिधि अल्पवयस्क हो,

तो निबन्धक अथवा मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष, उसकी अल्पवयस्कता के बारे में समाधान हो जाने पर किसी व्यक्ति को उस मामले के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908) (ऐक्ट संख्या 5, 1908) के अधीन व्यवस्थित रीति से उसका अभिभावक नियुक्त करेगा। यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे कि वह मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का अवधारण निबन्धक अथवा यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा।

234. यदि मध्यस्थ मण्डल के किसी मध्यस्थ की मृत्यु हो जाय या वह अक्षम हो जाय अथवा समुचित कारणों के बिना उपस्थित न हो या मध्यस्थ का कार्य करने से इन्कार करे तो मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष ऐसे मामले निबन्धक को अमिर्दिष्ट करेगा जो धारा 71 की उपधारा (2) के अधीन की गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करेगा।

235. विवाद से सम्बन्धित कोई भी पक्ष, जो निबन्धक या मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष से किसी साक्षी की उपस्थिति के लिये समन जारी करने की अपेक्षा करे, अग्रिम रुप से ऐसे परिव्यय जमा करेगा जिसके लिए, ऐसी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के निमित्त निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष द्वारा जैसी भी दशा हो, निर्देश दिया जाय।

236. निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष, जैसी दशा हो, विवाद का निर्णय करने के प्रयोजनार्थ सुनवाई का/के दिनांक, समय तथा स्थान निश्चित करेगा।

237.(क) जारी किये गये समन लिखित होंगे और उस अधिकारी की जिसके द्वारा वह जारी किया जाय, मुहर से, यदि कोई हो, प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसे प्राधिकार द्वारा या उसके द्वारा तदर्थ लिखित रुप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। उसमें उस व्यक्ति से जिसे सम्मन जारी किया गया हो, उक्त प्राधिकारी के समक्ष निश्चित समय तथा स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जायगी और उसमें यह भी निर्दिष्ट होगा कि क्या उसकी उपस्थिति साक्ष्य देने,या कोई लेख्य प्रस्तुत करने अथवा दोनों प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है। प्रत्येक विशेष लेख्य का जिससे उक्त प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो, समन में ठीक–ठीक वर्णन किया जायगा।

(ख) किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए बुलाये बिना, कोई लेख्य प्रस्तुत करनेके लिए बुलाया जा सकता है, और किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे केवल साक्ष्य करने के लिए बुलाया जाय, यह समझा जायगा कि उसने समय का अनुपालन कर दिया है, यदि वह ऐसे लेख्य को स्वयं प्रस्तुत करने के बजाय उसे प्रस्तुत करा दे।

(ग) समन–

(1) (प्राप्य अभिस्वीकृति के अन्तर्गत) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या

(2) समिति के सचिव या वित्त पोषण अथवा पर्यवेक्षण समिति के कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत रुप से देकर, तामील किया जा सकता है।

(घ) यदि उपनियम (ग) निर्दिष्ट किसी भी प्रकार से समन तामील न किया जा सके तो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908)(ऐक्ट संख्या 5, 1908) में व्यवस्थित किसी भी अन्य प्रकार से तामील किया जा सकता है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

238. किसी समिति के सभापति या सचिव पर समन की तामील उक्त समिति पर तामीली समझी जायगी।

239. समन या नोटिस की तामीली पर्याप्त रुप से की गई या नहीं, इसका निर्णय समन जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायगा।

1{240. मध्यस्य या मध्यस्थ मण्डल, निबन्धक द्वारा नियत समय जो 3 माह से अधिक न होगा के भीतर अधिनिर्णय देगा, जिसमें विफल होने पर निबन्धक, यथास्थिति, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अनुरोध पर या तो समय बढ़ा सकता है जो तीन मास से अधिक न होगा या धारा 71 की उपधारा (2) को अधीन यथा उपबंधित कार्यवाही कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल अधिकतम तीन माह अथवा यह समय जो निबन्धक द्वारा नियत की गयी हो, किन्तु जो छः माह से अधिक न होगी, में अधिनिर्णय देगाः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी अधिनिर्णय नियत समय की समाप्ति के पश्चात् दिये जाने के कारण अविधिमान्य नहीं होगा, यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल विशेष परिस्थितियों में ऊपर उल्लिखित छः माह की अधिकतम समयावधि के पश्चात् अधिनिर्णय देता है या यदि समय बढ़ाने का प्रार्थना–पत्र बाद में भी दे दिया गया हो और वह निबन्धक द्वारा स्वीकृत कर लिया जाये।}

241. किसी विवाद पर निर्णय देते समय निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष, पक्षों और साक्षियों के साक्ष्य की एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखेगा और पक्षों द्वारा प्रस्तुत किसी लेख्य या मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् न्याय,साम्य और शुद्ध अन्तःकरण के अनुसार अभिनिर्णय देगा। कार्यवाहियों में दिया गया प्रत्येक आदेश तथा अभिनिर्णय लिखित होगा।

2{242. यदि विवाद का कोई पक्ष यथाविधि समन तामील किये जाने के पश्चात् भी अनुपस्थित रहे तो विवाद पर एक–पक्षीय निर्णय दिया जा सकता है, किन्तु यदि प्रतिवादी यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल या अपीलीय अधिकारी के समक्ष एकपक्षीय अभिनिर्णय या आदेश को इस आधार पर निरस्त करने की प्रार्थना करता है कि समन उसके ऊपर सम्यक् रुप से तामील नहीं हुआ है, और जिसके लिए वह साक्ष्य देता है तो एकपक्षीय अभिनिर्णय या आदेश किसी या सभी प्रतिवादियों के सन्दर्भ में सम्बन्धित प्राधिकारी की सन्तुष्टि के बाद रद्द कर दिया जायगा और एक दिनांक निश्चित किया जायगा जिस पर मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ होगी, किन्तु विवाद के निस्तारण हेतु अवधि

1. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08 (56)–13. 8 सितम्बर, 2017 (उ.प्र.सहकारी समिति (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2017) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक 2700/49–1–94–7 (1)–94, दिनांक 15 जुलाई 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।

की गणना सुनवाई के पुनः प्रारम्भ होने के दिनांक से की जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि एक पक्षीय अभिनिर्णय को रद किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र नहीं दिया जा सकता यदि एक पक्षीय अभिनिर्णय के विरुद्ध पहले से अपील की गयी हो और यह, सिवाय उस आधार पर कि अपीलकर्ता ने उसे वापस ले लिया हो, खारिज कर दी गयी हो}

243. यदि विवाद का निर्णय मध्यस्थ मण्डल द्वारा किया जाय तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

244.अभिनिर्णय में कारण दिये जायेंगे जिनके आधार पर निर्णय किया जाय और परिव्यय, यदि कोई हो, तथा ब्याज, जिसके अन्तर्गत भविष्य–ब्याज, यदि कोई हो, भी है, के सम्बन्ध में भी आदेश होगा और उसमें अभिदेश की संख्या, पक्षों के नाम तथा विवरण और विवाद के विवरणों का भी उल्लेख होगा।

245. अभिनिर्णय की एक प्रति प्रत्येक पक्ष को भी दी जायगी,जो ऐसी रीति से प्रमाणित तथा मुहर लगी होगी जैसा निबन्धक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे।

246. (क) किसी मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिये गये अभिनिर्णय और विवाद के सभी पत्रादि तथा उसकी कार्यवाहियां यथास्थिति, उसके द्वारा या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष द्वारा निबन्धक को (जिसने उस मामले में मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया हो) अभिनिर्णय दिये जाने को दिनांक से 15 दिन के भीतर भेजा जायगा।

(ख) किसी पक्ष द्वारा दिया गया कोई लेख्य या अभिलेख प्रार्थना–पत्र देने पर निम्नलिखित दशाओं में उस पक्ष को वापस कर दिया जायगा :

(1) अपील का निस्तारण, यदि कोई हो,

(2) अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गयी हो और यही अपीलन की गयी हो।

247.किसी अभिनिर्णय के विरुद्ध धारा 97 या धारा 98 के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि साथ अभिनिर्णय की यथाविधि प्रमाणित एक प्रतिलिपि न हो।

248. किसी अभिनिर्णय का निष्पादन केवल इस आधार पर रुका नहीं रहेगा कि अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त नहीं हुई है या अभिनिर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर, लिखित आदेश द्वारा अभिनिर्णय के निष्पादन को स्थगित कर सकता है।

249. कोई पक्ष जो धारा 71 के अधीन दिये गये अभिनिर्णय से क्षुब्ध हो, अभिनिर्णय संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उचित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि अभिनिर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय, तीस दिन की गणना करते समय, निकाल दिया जायगा।

250. मध्यस्थ–कार्यवाहियों में या अपील की कार्यवाहियों में किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व कोई वकील नहीं करेगा, सिवाय उस दशा में जब किसी अपील का निस्तारण धारा 97 के अधीन व धारा 98 के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा किया जा रहा हो।

251. यदि धारा 94 के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की के विरुद्ध कोई दावा या आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की गई हो कि ऐसी संपत्ति की इस प्रकार कुर्की नहीं की जा सकती तो, निबंधक पक्षों की सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात गुण–दोषों पर दावा या आपत्ति के संबंध में निर्णय देगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जब दावा या आपत्ति को सारहीन समझा जाए तो उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 19

अपील और पुनर्विलोकन

252. (• • •) अधिसूचना क्रमांक 2700/49–1–94–7(1)/94, 15 जुलाई, 1994 द्वारा नियम 252 निरस्त किया गया।

1{253.न्यायाधिकरण में निम्नलिखित तीन व्यक्ति होंगे,

(क) जिला जज या कोई सेवा–निवृत्त जिला जज जो अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सहकारी सेवा समूह 'क' का कोई सेवा–निवृत या सेवारत अधिकारी; सदस्यः और

(ग) प्रशासनिक सेवा का कोई सेवा–निवृत्त या सेवारत अधिकारी जिसे उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग या गन्ना विभाग या उद्योग विभाग या सामुदायिक विकास विभाग में कार्य करने का अनुभव हो, सदस्यः

प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग या गन्ना विभाग या उद्योग विभाग या समुदायिक विकास विभाग में कार्य करने का अनुभव रखने वाले किसी प्रशासनिक अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण किसी उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति करना कठिन है, तो वह इस खंड के अधीन राज्य सहकारी सेवा के किसी सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी जो समूह "क" श्रेणी में रहा हो, को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती हैः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य इस रुप में अपनी नियुक्ति के पूर्व अपनी मूल सेवा से सेवा निवृत्त हो तो वह–

(क) अपनी मूल सेवा से सेवा–निवृत्ति होने पर अपनी पेंशन, उपदान और सेवा–निवृत्ति के पश्चात् छुट्टी नकदीकरण आहरित करने का हकदार होगा और अपने भविष्य निधि से अवशेष का आहरण करेगा मानो वह सेवा–निवृत्त हो गया हो;

(ख) नियम 255 के अनुसार अध्यक्ष या सदस्य के पद से उसके सेवा–निवृत्ति होने पर, अतिरिक्त पेंशन, उपदान और सेवा–निवृत्ति के पश्चात् छुट्टी नकदीकरण का हकदार होगा जिसकी गणना निम्न प्रकार से की जायेगीः

प्रथम,– ऐसी सेवा–निवृत्ति के दिनांक को लागू नियमों के अनुसार धनराशियों की पुनः गणना की जायेगी मानो वह अपनी मूल सेवा से कभी सेवा–निवृत्त न हुआ हो और उसकी सेवा में विस्तार हो गया हो;

---

1. अधिसूचना संख्या 1075/49–1–2014, दिनांक 10 जुलाई, 2014, उ.प्र. सहकारी समिति (इक्यावनवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

द्वितीय,– मूल सेवा से सेवा–निवृति होने पर उसे खण्ड (क) के अधीन भुगतान की गयी धनराशियों की कटौती कर ली जायेगी और अन्तर उसे देय होगा।}

1{ 254(1)(क) अध्यक्ष और सदस्यों को अनुमन्य वेतनमान ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाएं।

(ब) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सत्ताईसवाँ संशोधन) नियमावली, 1995 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार हैः

पद का नाम	वेतनमान
(क) अध्यक्ष	5900–200–6700 रुपये
(ख) सदस्य	4500–150–5700 रुपये

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो जिला जज या राज्य सरकार केअधीन किसी सेवा से निवृत्त हुआ हो, वेतन सेवा–निवृति के समय उसे भुगतान किये गये या देय वेतन से कम नहीं होगाः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो पेंशन के रुप में सेवा–निवृत्ति लाभों को प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो गया हो, के ऊपर लिखित वेतन को पेंशन की कुल धनराशि के, जिसमें पेंशन का राशिकृत भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, बराबर कम कर दिया जायेगा।

(2) अध्यक्ष और किसी सदस्य को उनके वेतन के अनुसार राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुमन्य दर पर समुचित मंहगाई भता और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।

(3) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी छुट्टी, अन्य सम्बन्धित लाभों का हकदार होगा जो राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुमन्य हो।

(4) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति नियम 253 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के साथ पठित राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार पेंशन और उपदान का हकदार होगा।

(5) अध्यक्ष या सदस्य अपने विकल्प पर सामान्य भविष्य निधि में अमिदान करने का हकदार होगा और उसके द्वारा ऐसा विकल्प चुनने की स्थिति में वह समय–समय पर यथासंशोधित सामान्य

1. अधिसूचना संख्या 1884/उन्चास–1–1995–7(10)–94, दिनांक 5 जून 1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के उपबन्धों द्वारा शासित होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा या किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो वह उन नियमों द्वारा शासित होगा जो न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व उस पर लागू थे।

(6) अध्यक्ष या सदस्य, जब दौरे पर या स्थानान्तरण पर हो (जिसके अन्तर्गत न्यायाधिकरण में कार्यमार ग्रहण करने के लिए की गयी यात्रा भी सम्मिलित हैं), उन्हीं दरों पर यात्रा भत्ता, व्यक्तिगत सामान के परिवहन और इसी प्रकार के अन्य विषयों के लिए हकदार होगा जो उतना ही वेतन आहरित करने वाले राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य हो।

(7) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार में उसके स्तर के बराबर किसी अधिकारी को अनुमन्य प्रकार का आवास निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा आवास उपलब्ध न कराया जाए या अध्यक्ष या सदस्य ऊपर विनिर्दिष्ट आवास स्वयं नहीं लेता है तो उन्हें उनके द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए मकान के किराये की प्रतिपूर्ति, दो हजार रुपये प्रतिमास की अधिकतम सीमा तक की जाएगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य अपनी निजी या अपने अपनी पति/पत्नी के आवास में रह रहा है तो वह इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुमन्य मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

(8) अध्यक्ष राज्य सरकार के खर्च पर स्टाफ कार का हकदार होगा और प्रत्येक सदस्य छः सौ रुपये प्रतिमाह के वाहन भते का हकदार होगा।

(9) अध्यक्ष या सदस्य उत्तर प्रदेश मेडिकल अटेण्डेन्स रूल्स, 1946 और इस निमित्त समय–समय पर जारी राज्य सरकार के आदेशों में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा।

(10) अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्ते, जिनके लिए इस नियमावली में स्पष्ट उपबन्ध नहीं है, उस सेवा पर, जिससे वह अपनी नियुक्ति के ठीक पूर्व सम्बन्धित था या राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों पर, तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों, जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हों, द्वारा अवधारित की जाएगी।}

1{ 255.(क) न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से छह वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि छाछठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई अध्यक्ष या सदस्य

---

1. अधिसूचना संख्या 1229/उन्चास–1–2001–7(11)–97.टी0सी0, दिनांक 29 अप्रैल 2001 (उ0प्र0 सहकारी समिति उनतालीसवां संशोधन नियमावली 2001)द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उस रुप में पद धारण नहीं करेगा।

1{ (ख) खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल में, चाहे वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (उन्तालिसवां संशोधन) नियमावली, 2001 के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया हो छह वर्ष के आगे भी विस्तारित किया जा सकता है, किन्तु कोई ऐसा व्यक्ति अड़सठ साल की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर नहीं बना रह सकेगा।}

256. किसी न्यायाधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञापित किया जायः

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण, विवाद के पक्षों की सुविधा के लिए, विवाद के निस्तारण के लिए, अपनी बैठकें राज्य में किसी अन्य स्थान पर करने का निश्चय कर सकता है।

257.(क) अपील का ज्ञापन पत्र, राज्य सरकार, न्यायाधिकरण या निबन्धक को अपीलार्थी या उसके यथाविधि प्राधिकृत एजेण्ट द्वारा या तो कार्यालय समय मे स्वयं दिया जायेगा या अभिस्वीकृति के अन्तर्गत रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(ख) प्रत्येक अपील को ज्ञापन पत्र के साथ ऐसे आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय की जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो, एक प्रमाणित प्रति होगी और उसके साथ अपील के ज्ञापन–पत्रों की उतनी प्रतियां होगी जितने पक्ष हों।

(ग) किसी अपील का ज्ञापन पत्र–

(1) या तो टाइप किया हुआ अथवा स्याही से लिखा हुआ सुपाठ्य होगा,

(2) उसमें अपीलार्थी या अपीलार्थियों के नाम और पता या पते होंगे और विरुद्ध पक्ष का या पदों के, जैसी भी दशा हो, नाम और पता या पते होंगे,

(3) उस प्राधिकारी का उल्लेख किया जायगा जिसके द्वारा ऐसा अभिनिर्णय, आदेश या निर्णय किया गया या दिया गया था, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है,

(4) उनमें उन कारणों को स्पष्ट रुप से दे दिया जायेगा जिन पर अपील प्रस्तुत की गयी है,

(5) उनमें ऐसा अनुतोष जिनके लिए दावा किया गया है, को ठीक–ठीक लिखा जायेगा,

(6) उनमें ऐसे आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय का दिनांक, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, अपीलार्थी का ऐसा आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय संसूचित किये जाने का दिनांक भी लिखा जायेगा।

---

1. अधिसूचना संख्या 90 सी0एम0/उन्चास–1–2002–7(11)–97–टी0सी0, दिनांक 06 जून 2002 (उ0प्र0 सहकारी समिति बयालीसवां संशोधन नियमावली 2002) द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1{ 257—क. (1) जहां किसी वाद में कोई आवेदन—पत्र या दस्तावेज ऐसे दिवस को दाखिल किया जाय—

(क) जब वाद सुनवाई के लिए नियत न हो, तो आवेदन—पत्र या दस्तावेज ऐसे कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा जो इस निमित अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ख) जब वाद सुनवाई के लिए नियत हो तो आवेदन—पत्र न्यायाधिकरण के रीडर द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(2) समस्त लम्बित अपीलों के अभिलेख, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा पदभिहित एक कर्मचारी द्वारा कार्यालय में रखे और अनुरक्षित किये जायेंगे। वह किसी भी दिवस सुनवाई के लिए नियत समस्त अपीलों के अभिलेखों को उस दिन की पूर्ववर्ती शाम को रीडर को भेजने को लिए उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार रीडर अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित व्यक्ति को किसी दिन के लिए नियत अपीलों को समस्त अभिलेखों को उस दिन की शाम को अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित कर्मचारी को वापस भेज देगा।

(3) न्यायाधिकरण का सचिव समस्त नयी अपीलों को प्राप्त करेगा, उस अपील पर, जैसा विहित किया जाए पृष्ठांकन रिपोर्ट करेगा, और उसे अध्यक्ष के समक्ष उनके आदेश प्राप्त करने के लिए विलम्बतम अगले दिन प्रस्तुत करेगा। तब अभिलेखों को अभिलेख को अनुरक्षण के लिए अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित कर्मचारी के कार्यालय को भेजा जायेगा।

(4) रीडर या अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित कार्यालय का कर्मचारी लम्बित अपीलों में किसी आवेदन—पत्र के प्राप्त होने पर आवेदन—पत्र/ दस्तावेज पर सूचक—पत्र के अनुसार यथास्थिति 'क' या 'ख' अक्षर के पूर्व क्रम—रांख्या डालेगा और अक्षर 'क' या 'ख' के साथ यह क्रम संख्या उसके द्वारा सूचक—पत्र में लिखी जायेगी। 'क' या 'ख' अंकित दस्तावेज यथास्थिति नत्थी 'क' या नत्थी 'ख' में रखा जायेगा।

निम्नलिखित दस्तावेज नत्थी 'क' में रखे जायेंगे—

(क) अभिलेखों का सूचक—पत्र (विहित प्रपत्र में);
(ख) फर्द अहकाम;
(ग) अपील का ज्ञापनः
(घ) आदेश/अभिनिर्णय की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गयी है;
(ङ) पक्षकारों द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेज;
(च) उच्चतम न्यायालयों के आदेश/निर्णयों, यदि कोई हो;
(छ) न्यायाधिकरण का निर्णय;
(ज) अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण और सदैव मूल्यवान समझा जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज।

1. अधिसूचना संख्या 1884/उन्चास—1—1995—7(10)—94, दिनांक 5 जून 1995 (उ0प्र0 सहकारी समिति सत्ताइसवां संशोधन नियमावली 1995) द्वारा नियम 257—क, 257—ख, 257—ग व 257—घ अन्तःस्थापित।

अभिलेखों के समस्त अन्य दस्तावेज नत्थी 'ख' में रखे जायेंगे।

नत्थी 'क' के दस्तावेज स्थायी अभिलेख होंगे और उन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा। नत्थी 'ख' के दस्तावेजों को अभिलेखपाल द्वारा, न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, नष्ट कर दिया जायेगा और अभिलेखपाल सूचक–पत्र में लाल स्याही में एक टिप्पणी अंकित करेगा कि नत्थी 'ख' को कब नष्ट किया गया, उस पृष्ठाकंन पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मुहर लगायेगा और तब उसे न्यायाधिकरण के सचिव के समक्ष उसके प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी वाद में रिट याचिका लम्बित हो, तो उस बाद के अभिलेख को नष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि रिट याचिका लम्बित हो।

257–ख. रखे जाने वाली पंजियां न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विहित की जायेगी।

257–ग. न्यायाधिकरण के समस्त कर्मचारियों को कार्य न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा वितरित और समनुदेशित किये जायेंगे।

257–घ. प्रत्येक स्थगन के आवेदन–पत्र पर केवल तीन रुपये का न्यायालय फीस स्टाम्प लगाया जायेगा। न्यायाधिकरण में लम्बित किसी वाद में दिये गये किसी अन्य आवेदन–पत्र पर 1रुपये 50 पैसे का न्यायालय फीस स्टाम्प लगाया जायेगा।}

258. अपील का ज्ञापन–पत्र प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी उस पर प्राप्ति का दिनांक लिखेगा। अपीलीय प्राधिकारी, यथाशक्यशीघ्र उसकी परीक्षा करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि–

(1) उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार है,

(2) वह नियत कालावधि के भीतर की गयी है, और

(3) यह अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुरुप है।

259. नियम 258 और 260 के अधीन कालावधि को गणना करने में लिमिटेशन्स ऐक्ट, 1963 (ऐक्ट संख्या 36, 1963) की धारा 5 और 12 के उपबन्ध लागू होंगे।

260. यदि अपीलीय प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि प्रस्तुत की गयी अपील अधिनियम या नियमों के संगत उपबन्धों के अनुरुप नहीं है तो वह इस आशय की एक टिप्पणी लिखेगा और अपीलार्थी से निर्दिष्ट अवधि के भीतर दोषों को दूर करने के लिए कह सकता है, या यदि यह प्रतीत हो कि अपील नियत अवधि कालावधि के भीतर या जो ऐसा करने में सक्षम हो उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी हो तो उससे निर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने के लिए कहेगा कि क्यों न यह अस्वीकृत कर दी जाय।

261. (क) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इंगित दोष दूर कर दिये जायं अथवा अपीलार्थी कारण बताने की नोटिस का स्पष्टीकरण अपीलीय प्राधिकारी को समयानुसार दे दे, तो उक्त प्राधिकारी सुनवाई के लिए अपील ग्रहण कर सकता है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) यदि अपीलार्थी यह समाधान न कर सके कि अपील नियत कालावधि के भीतर, या जो ऐसा करने में सक्षम हो उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी अथवा इंगित दोषों को निर्दिष्ट अवधि के भीतर दूर न कर सके तो अपील अस्वीकृत की जा सकती है।

262. यदि अपील ग्रहण कर ली जाय तो अपीलीय प्राधिकारी सुनवाई के लिए कोई दिनांक निश्चित करेगा और इस प्रकार निश्चित दिनांक की सूचना अपीलार्थी को देगा। इस प्रकार निश्चित दिनांक की सूचना, अपील के ज्ञापन–पत्र की प्रति के साथ दूसरे पक्ष या पक्षों को भी भेजी जायेगी। उक्त सूचना अभिस्वीकृति के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा या ऐसे अन्य प्रकार से भेजी जायेगी जिसे अपीलीय प्राधिकारी समुचित समझे।

263. अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए निश्चित दिनांक को अभिलेख देखेगा और विवाद के पक्षों या उनके प्राधिकृत एजेन्टों को सुनेगा और अपील पर ऐसा आदेश देगा जो अपीलीय प्राधिकारी ठीक समझे। ऐसे दिए गये आदेश में , वे कारण दिये जायेंगे जिन पर निर्णय आधारित हो और उसमें, व्यय, यदि कोई हो, और ब्याज के सम्बन्ध में भविष्य ब्याज सहित, यदि कोई हो, भी आदेश देगा और उसमें अपील की संख्या या पक्षों के नाम और उनके विवरण भी होंगे।

264. अपीलीय प्राधिकारी अपने विवेकानुसार किसी स्तर पर, किसी अपील की सुनवाई किसी अन्य दिनांक के लिए, स्थगित कर सकता है।

265. अपीलीय प्राधिकारी का कोई निर्णय या आदेश लिखित होगा।

266. धारा 99 की उपधारा (1) को अधीन पुनर्विलोकन के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ उस आदेश की, जिसका पुनर्विलोकन किया जाना हो मूल या प्रमाणित प्रति भी होगी। उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ उतनी अतिरिक्त प्रतियां होंगी जितने पक्ष पर पुनर्विलोकन किये जाने वाले आदेश में हों।

267. पुनर्विलोकन का प्रार्थना–पत्र अपील प्राधिकारी द्वारा,जहां तक आवश्यक हो, ऐसी रीति से निस्तारित किया जायेगा जो वह उचित समझेः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पक्ष के प्रतिकूल कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे प्रत्यावेदन करने का, और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई का भी, अवसर न दे दिया जाय।

268. अपीलीय अधिकारी के कार्मिक में कोई परिवर्तन होने से निम्नलिखित के सम्बन्ध में उतराधिकारी के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा–

(1) परिवर्तन होने से पहले विचाराधीन अथवा आंशिक रुप से सुनी गयी ऐसी अपील का निस्तारण;

(2) परिवर्तन होने से पूर्व किसी मामले में दिये गये आदेश पर पुनर्विचार करना।

269. निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल द्वारा दिये गये आदेश, निर्णय या अभिनिर्णय में,अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों में कोई लिपिक अथवा अंश सम्बन्धी त्रुटियां अथवा उक्त

आदेशों (जिसके अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी का आदेश भी सम्मिलित है) निर्णयों या अभिनिर्णयों में होने वाली ऐसी अशुद्धियां जो किसी आकस्मिक चूक से या अकृत से हो जाय, किसी भी समय, सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा या स्वतःअथवा विवाद के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर ठीक की जा सकती है।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 20

सहकारी समितियों का समापन और विघटन

270. (क) निबन्धक, किसी सहकारी समिति को समापित करने का आदेश देने के पूर्व, सिवाय जब समिति के कम से कम तीन–चौथाई सदस्यों द्वारा उसे समापित किये जाने का प्रार्थना–पत्र दिया जाय, समिति के सभापति या सचिव को रजिस्ट्री द्वारा भेजकर या अभिस्वीकृति के अन्तर्गत व्यक्तिगत रूप से देकर एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उससे निर्दिष्ट अवधि के भीतर यह कारण बताने के लिए कहेगा कि क्यों न समिति धारा 72 के अधीन समापित कर दी जाय।

(ख) समिति उपनियम (1) में उल्लिखित नोटिस पर विचार करेगी और नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसका जवाब निबन्धक के पास भेजेगी।

(ग) यदि समिति नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर जवाब न भेजे या भेजा गया जवाब सन्तोषजनक न हो तो निबन्धक समिति को समापित करने का आदेश दे सकता है।

271. धारा 72 के अधीन कोई आदेश जिसमें किसी सहकारी समिति समापित करने का निदेश हो और धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन किसी परिसमापक की नियुक्ति का आदेश और किसी परिसमापक का हटाने या इसमें परिवर्तन करने का आदेश गजट में अथवा निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रकार से प्रकाशित किया जायेगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निबन्धक द्वारा निश्चित किया जायः

(1) ऐसे समाचार–पत्र में जो समिति के कार्य–क्षेत्र में प्रचलित हो, प्रकाशित करके;

(2) समिति के निबद्ध पते पर आदेश की एक प्रति चिपकाकर;

(3) समिति के कार्य क्षेत्र में डुग्गी पीटकर घोषणा करके।

272. किसी परिसमापक को देय पारिश्रमिक धनराशि के समापन के व्यय में सम्मिलित की जायेगी। समापक का व्यय समिति की परिसम्पतियों में से, अन्य सभी दावों की पूर्वता में देय होगा।

273. (क) किसी परिसमापक के प्रभाव की सभी निधियां डाकघर बचत बैंक या किसी केंद्रीय सहकारी बैंक या किसी ऐसे बैंक में जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित किया जाय जमा की जायेगी।ऐसे सभी लेखे परिसमापक द्वारा चलाये जायेंगे।

(ख) सहकारी समिति के परिसमापन के दौरान में प्राप्त सभी धनराशियां उपनियम (1) में उल्लिखित लेखों में जमा की जायेगी।

(ग) उपयुक्त लेखों से सभी भुगतान परिसमापक द्वारा किये जायेंगे।

(घ) सभी प्राप्तियां तथा भुगतान परिसमापक द्वारा इस प्रयोजन के लिए रक्खे गये अभिलेखों में लेखांकित किये जायेंगे।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

274. परिसमापक, ज्योंही किसी सहकारी समिति के समापन का आदेश प्रभावी हो इस प्रकार से जैसा वह उचित समझे, एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें सहकारी समिति के प्रति जो समापित की जा रही हो, सभी दावों को नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। सहकारी समिति की बहियों में अभिलिखित सभी दायित्व इस नियम के अधीन इसे यथाविधि प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

275. तत्पश्चात् परिसमापक सहकारी समिति के दायित्व, जैसे कि वे समापन आदेश लिए जाने के दिनांक को रहे हों, अवधारित करने की कार्यवाही करेगा। तत्पश्चात् वह धारा 74 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करेगा।

276. (1) परिसमापक समिति की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का जैसा कि वे धारा 72 के अधीन आदेश दिये जाने के दिनांक को रहे हों, अवधारित करने के पश्चात धारा 74 की, उपधारा (2) के खण्ड (य) और (च) के अधीन अंशदान आदेश बनाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।

(2) यदि आवश्यकता पड़े तो वह धारा 74 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (च) के अधीन इस सम्बन्ध में अनुवर्ती आदेश भी दे सकता है और ऐसे आदेश मूल आदेश की तरह ही प्रवर्तनीय होंगे,

277. परिसमापक, प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्व सदस्य की सम्पत्ति और मृत सदस्यों के सम्पदाओं की सूची के साथ अपना अंशदान आदेश या अनुवर्ती आदेश, अनुमोदन के लिए निबन्धक को भेजेगा, और निबन्धक, यदि वह उचित समझे, या तो आदेश में परिष्कार कर सकता है अथवा उसे और जांच के लिए अथवा अन्य कार्यवाही के लिए परिसमापक को वापस कर सकता है।

278. निबन्धक सामान्य अनुदेश जारी कर सकता है जिसमें वह ऐसे सिद्धान्त और रीति निर्धारित करेगा जिसके अनुसार अंशदान अवधारित किये जायेंगे और परिसमापक इन अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

279. परिसमापक ऐसी सभी धनराशियों और अन्य परिसम्पत्तियों की जिनके लिए सहकारी समिति हकदार हो और नियम 276 के अधीन उसके द्वारा बनाये गये तथा निबन्धक द्वारा अनुमोदित अंशदान, आदेशों और अनुवर्ती आदेशों की धनराशि की भी वसूली करेगा। परिसमापक लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी ओर से वसूली करने तथा वैध रसीदें देने का अधिकार दे सकता है।

280, यदि आवश्यक हो तो निबन्धक के अनुमोदन से, परिसमापक अपने आदेश की एक प्रति स्थानीय क्षेत्राधिकारयुक्त दीवानी न्यायालय में दायर कर सकता है जो उसी प्रकार लागू किया जायेगा मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

281. परिसमापक, किसी सहकारी समिति के समापन की कार्यवाही में अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य की एक संक्षिप्त और अपने द्वारा गृहीत लेख्यों की एक सूची रखेगा।

282. परिसमापक को किसी भी समय समिति के, जो समापित की जा रही हो, सदस्य या सदस्यों अथवा अन्तिम प्रथम कमेटी के या समान्य निकाय के सदस्यों की बैठक अथवा ऋणदाताओं की बैठक या ऋणदाताओं और सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक ऐसी रीति से बुलाई जायेगी तथा आयोजित और संचालित की जायेगी जैसा कि परिसमापक उचित समझे।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

283. परिसमापक ऐसी बहियाँ तथा लेखे रखेगा और निबन्धक को ऐसी नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो निबन्धक द्वारा समय–समय पर नियत की जायें।

284. सभी दायित्वों का (जिसके अन्तर्गत अंश पूंजी भी है) भुगतान कर दिये जाने के पश्चात् निबन्धक सहकारी समिति के समापन के आदेश के दिनांक को अंशधारियों द्वारा धृत अंशों पर उनको देय अंशों के, यदि कोई हो, सम्बन्ध लाभांश के वितरण की अनुज्ञा दे सकता है।

285. परिसमापक कार्यवाहियों की समाप्ति पर, परिसमापक समिति के सामान्य निकाय के सदस्यों की एक बैठक बुलायेगा जिसमें परिसमापक अपनी कार्यवाहियों का एक संक्षिप्त ब्योरा देगा जो समिति की असफलता के कारणों को इंगित करेगा और इस बात को बतायेगा कि समिति के सभी दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् कितनी धनराशि, यदि कोई हो, शेष है। उस शेष धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध में वह सभी सदस्यों की इच्छाओं को सुनिश्चित करेगा।

286.(क) किसी सहकारी समिति की समापन कार्यवाहियां, समापन आदेशों के प्रभावी होने के दिनांक से साधारणतया तीन वर्ष के भीतर समाप्त कर दी जायेंगी जब तक कि निबन्धक द्वारा अवधि बढ़ायी न जायः

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए उक्त अवधि नहीं बढ़ायेगा और इस प्रकार बढ़ाई गई कुल अवधि राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना चार वर्ष से अधिक न होगी।

(ब) ज्यों ही समापन सम्बन्धी कार्यवाहियां पूरी हो जायें, निबंधक सहकारी समिति का निबन्धन रद्द करने का आदेश देगा।

287. सहकारी समिति का निबन्धन रद्द किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समिति की बहियाँ तथा अभिलेख निबन्धक के पर्यवेक्षण में नष्ट किये जा सकते है।

288. यदि किसी सहकारी समिति को धारा 72 के अधीन समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाय और कोई भी परिसमापक नियुक्त न किया जाय तो उस समिति का/के, जिसे परिसमापित किया जाना हो, अधिकारी आदेश की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर बहियों तथा अभिलेखों को निबन्धक या इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजेगा/भेजेंगे और शेष धनराशि को, यदि कोई हो, इस क्षेत्र के केंद्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष सहकारी बैंक में जमा करेगा/करेंगे और इसकी सूचना निबन्धक को देगा/देंगे।

289. निबन्धक उन समितियों के जिनके निबन्धन रद्द किये गये हों, परिसमापकों या अधिकारी अथवा अधिकारियों से प्राप्त सभी अतिरेक धनराशि का, यदि कोई हो, लेखा रखेगा।

290. किसी सहकारी समिति की उपविधियों या धारा 121 अथवा धारा 122 के अधीन बनाये गये विनियमों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी ऐसी सहकारी समिति के जिसे समापित किये जाने का आदेश दिया गया हो, सभी कर्मचारियों की सेवायें, समापन आदेश के अन्तिम होने के दिनांक से समाप्त हुई समझी जायेगी। परिसमापक ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर और ऐसी

अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, निबन्धक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, समिति के किसी कर्मचारी को पुनः नियुक्त कर सकता है।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 21

सहकारी कृषि समितियां

291. धारा 78 के खण्ड (क) तथा (ख) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और किसी समिति के निबन्धन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं के अतिरिक्त सहकारी कृषि समिति के निबंधन के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित होंगेः

(क) अधिकार–अभिलेख के उद्धरण जिसमें प्रत्येक ऐसे प्रार्थी जो धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भूमि समुच्चय करना चाहता हो, द्वारा समस्त धृत भूमि की अभिलिखित गाटा संख्याएं तथा कुल क्षेत्रफल दिया गया हो;

(ख) समिति के निबन्धन के सम्बन्ध में प्रपत्र सं० कृ० 1 में तीन प्रतिलिपियों में संसूचना जिसमें धारा 7 को उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन समुच्चय की जाने वाली भूमि का ब्यौरा दिया गया हो;

(ग) प्रस्तावित समिति के प्रक्षेत्र (फार्म) के नक्शे की दो प्रतिलिपियां जिनमें गाटों (प्लाट्स) की खसरा संख्यायें तथा प्रक्षेत्र की सीमाएं निर्दिष्ट हो; तथा

(घ) निबन्धक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य लेख्य या विवरण।

292. यदि सहकारी कृषि समिति धारा 7 के अधीन निबद्ध हो तो निबन्धक, धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर को निबन्धन प्रमाण–पत्र की एक प्रतिलिपि प्रेषित करते समय निम्नलिखित भी भेजेगा–

(क) नियम 291 (ख) में अभिदिष्ट लेख्य की एक प्रतिलिपि; तथा

(ख) कोई भी अन्य सूचना, विवरण या लेख्य जिन्हें निबन्धक आवश्यक समझे।

293, नियम 292 के अधीन निबन्धक से निबन्धन प्रमाण–पत्र तथा अन्य लेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त

होने पर कलेक्टर–

(1) सम्बद्ध अभिलेख में इस आशय की कि सदस्यों द्वारा समिति को अंशदत्त भूमि सहकारी कृषि समिति के कब्जे, नियंत्रण तथा प्रबन्धन में है; तथा

(2) सहकारी कृषि समिति के रजिस्टर में प्रपत्र संख्या कृव 2 में प्रविष्ट करायेगा।

294. जब सहकारी कृषि समिति निबन्धन के पश्चात कोई नया सदस्य बनाये उक्त समिति के सम्बन्ध में

निबन्धक को–

(1) नियम 291 (क) के अधीन अपेक्षित विवरण; तथा

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) ऐसा सदस्य बनाये जाने के समिति के संकल्प को दो प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ, प्रपत्र सं० कृ. (1) (क) में विवरण–पत्र की तीन प्रतिलिपियां, भेजेगी।

निबन्धक, संकल्प की तथा इस नियम के उपखण्ड (2) में अभिदिष्ट सदस्य के विवरण–पत्र की एक प्रतिलिपि कलेक्टर को नियम 293 के अधीन यथाव्यवस्थित कार्यवाही के लिए भेजेगा।

295. अन्य नियमों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक सहकारी कृषि समिति, प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में निबन्धक को, यदि उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, निम्नलिखित प्रस्तुत करेगीः

(क) वर्ष में बनाये गये सदस्यों द्वारा अंशदत्त–भूमि तथा वर्ष में समिति द्वारा अन्यथा प्राप्त भूमि के ब्यौरे,

(घ) समिति द्वारा धृत भूमि का नवीनतम नक्शा ।

296. (क) सहकारी कृषि समिति, धारा 79 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन, किसी भूमिधर सदस्य को यहां नीचे उल्लिखित किसी भी एक या अधिक कारणों के आधार पर उसके द्वारा समिति को अंशदान की गई भूमि का, वसीयत से भिन कोई अन्य संक्रमण करने की अनुज्ञा दे सकता है–

(1) यदि यह अपनी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण भूमि न जोत सके,

(2) यदि उसे अपने ऐसे ऋण चुकाना हो, जिन्हें वह अन्यथा न चुका सकता हो और वह ऋण उसके द्वारा समिति को भूमि का अंशदान करने के पूर्व लिया गया हो,

(3) यदि वह समिति के प्रक्षेत्र के स्थान से बहुत दूर ऐसे स्थान पर रहना चाहता हो जहाँ से वह समिति के प्रक्षेत्र पर कृषि कार्यों में भाग न ले सकता हो,

(4) यदि वह कृषि से भिन्न कोई वृत्त करना चाहता हो, तथा

(5) समिति के दो–तिहाई सदस्यों की सहमति और निबन्धक के अनुमोदन से किसी अन्य कारण के आधार परः

प्रतिबन्ध यह है कि केवल तभी अनुज्ञा दी जायेगी जब प्रस्तावित संक्रामिती समिति का सदस्य होने के लिए अर्ह है और उसने ऐसी सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्र भी दे दिया है।

(ख) यदि सहकारी कृषि समिति स्वयं ऐसे भूमिधर सदस्य को भूमि क्रय करना चाहती हो जो अपनी भूमि उपनियम (क) के अधीन निस्तारित करना चाहता हो, तो समिति, उक्त भूमिधर सदस्य और समिति के बीच समस्त मूल्य पर ऐसा करने को हकदार होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी भूमि, उपनियम (ग) में निर्धारित रीति से गणना की गई धनराशि से अधिक मूल्य पर क्रय नहीं की जायेगी।

(ग) भूमिधर सदस्य की भूमि के मूल्य की गणना निम्नलिखित रीति से की जायेगी :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

यह (मूल्य) ऐसी भूमि को मौरूसी दरों के मूल्यांकन के पैतीस गुने के या देय भू–राजस्व के सत्तर गुने के, इसमें जो भी अधिक हो, बराबर होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भू–राजस्व मौरूसी दरों पर मूल्यांकन की धनराशि से कम हो तो भू–राजस्व और मूल्यांकन के बीच के अन्तर के दस गुने के बराबर धनराशि से मूल्य की धनराशि में बढ़ायी जायेगी।

297. (1) यदि कोई व्यक्ति सहकारी कृषि समिति का सदस्य न रह जाय, तो ऐसे बहिर्गामो सदस्य द्वारा अंशदान की गयी, भूमि धारा 82 में दिये गये कारणों से जो भूमि सदस्य को लौटाई न गयो हो भूमि का मूल्य, समिति की भूमि से भूमि के विनिमय अथवा उक्त बहिर्गामी सदस्य को प्रतिकर का भुगतान करने के प्रयोजनों के लिए, वह धनराशि होगी जो बहिर्गामी सदस्य तथा कृषि समिति के बीच तय हुई हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परस्पर धनराशि उपनियम (2) में निर्धारित रीति से गणना की गई धनराशि से अधिक हो, तो यथास्थिति, भूमि के विनिमय में नकद प्रतिकर के भुगतान के पूर्व निबन्धक की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए भूमिधरी भूमि का मूल्य ऐसी भूमि के सम्बन्ध में मौरूसी दरों पर मूल्यांकन की धनराशि का पैंतीस गुना या देय भू–राजस्व की धनराशि का सत्तर गुना, इसमें जो भी अधिक हो, और सीरदारी भूमि की दशा में, यह ऐसे मूल्यांकन की धनराशि का पन्द्रह गुना होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमिधरी या सीरदारी भूमि के सम्बन्ध में दिया जाने वाला भू–राजस्व मौरूसी दरों पर मूल्यांकन से कम हो तो भूमिधरी भूमि की दशा में मूल्यांकन और भू–राजस्व के बीच के अन्तर के दस गुने, तथा सीरदार भूमि की दशा में ऐसे अन्तर के पांच गुने के बराबर, धनराशि मूल्य में बढ़ायी जायेगी।

298. यदि सहकारी कृषि समिति, समिति के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से, समिति के प्रक्षेत्र से प्रासन्न कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहे तो वह उसे सम्बन्धित भूमिधर तथा समिति के बीच सम्मत मूल्य पर क्रय कर सकती हैः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त भूमिधर तथा समिति के बीच समस्त मूल्य नियम 297 के उपनियम (2) में व्यवस्थित रीति से गणना की गयी धनराशि से अधिक हो तो क्रय के पूर्व निबन्धक की स्वीकृति आवश्यक होगी।

299. धारा 84 की उपधारा (2) के अधीन कोई सहकारी कृषि समिति अपने द्वारा धारित भूमि की चकबन्दी के लिए प्रार्थना–पत्र प्रपत्र सं0 कृ0 3 में देगी।

300. नियम 299 के अधीन प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर, सहायक कलेक्टर ग्राम के शेष खातेदारों को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा की जायेगी कि क्यों न चकबन्दी जिसके लिए समिति द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया गया है, कर दी जाय। यदि आपत्तियों की, यदि कोई हो, सुनवाई करने के पश्चात् सहायक कलेक्टर यह समझे कि चकबन्दी इष्टकर नहीं है तो वह उसके कारणों को अभिलिखित करेगा और चकबन्दी

के प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर देगा। किन्तु यदि प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करने के लिए उचित कारण न हों, तो यह ग्राम की भूमि प्रबन्ध कमेटी को आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर भूमि को चकबन्दी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

301. लेखपाल और सम्बन्धित सहकारी कृषि समिति के अध्यक्ष की सहायता से भूमि प्रबन्धक कमेटी ऐसे सभी क्षेत्रों का जिनके विनिमय की सम्भावना हो, प्रथम मूल्यांकन खसरा प्रपत्र सं० कृ०.4 में तैयार करेगी। यदि उस भूमि पर जिसके विनिमय की सम्भावना हो, कोई वृक्ष हो, तो उनका मूल्य मूल्यांकन खसरा के "अभुक्ति " स्तम्भ में लिखा जायेगा।

302. भूमि प्रबन्धक कमेटी, नियम 301 के अधीन तैयार किये गये मूल्यांकन खसरा की सहायता से प्रपत्र सं० कृ० 5 में चकबन्दी प्रस्ताव ऐसी रीति से तैयार करेगी कि लगभग समान मूल्य की भूमि विनिमय की जाय।

303. चकबन्दी प्रस्ताव तीन प्रतियों में सहायक कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रस्तावों के साथ मूल्यांकन खसरा और भूमि के नक्शे की दो प्रतियां होंगी, जिसमें से एक नक्शे में सहकारी कृषि समिति का प्रक्षेत्र, जैसे वह चकबन्दी के पूर्व रहा हो, दिखाया जायेगा और दूसरे नक्शे में चकबन्दी प्रस्ताव के अनुसार स्थिति दिखाई जाएगी।

304. यदि भूमि प्रबन्धक समिति, नियम 303 में निर्दिष्ट समय के भीतर चकबन्दी प्रस्ताव प्रस्तुत न करे तो सहायक कलेक्टर सम्बन्धित तहसीलदार को यह निदेश देगा कि यह उक्त प्रस्ताव अपने पर्यवेक्षण में तैयार कराये और ऐसा निदेश उसे प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर सहायक कलेक्टर को प्रस्तुत करे। सम्बन्धित तहसीलदार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

305. नियम 303 या नियम 304 के अधीन चकबन्दी प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सहायक कलेक्टर एक उद्घोषणा जारी करेगा जिसमें वह उदघोषणा जारी किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर चकबन्दी प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित करेगा। प्रस्ताव को एक प्रति के साथ उद्घोषणा की एक प्रति सहायक कलेक्टर के न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जायेगी और इसी प्रकार दूसरी प्रति उस ग्राम में जहां पर सहकारी कृषि समिति का प्रक्षेत्र स्थित हो, किसी प्रमुख स्थान पर चिपकायी जायेगी। उद्घोषणा की एक प्रति कृषि समिति पर भी तामील की जायगी।

306. उद्घोषणा में निश्चित अवधि की समाप्ति पर, सहायक कलेक्टर आपत्तियों की, यदि कोई हो, सुनवाई करेगा और निर्णय देगा और धारा 84 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भूमि की चकबन्दी के लिए अन्तिम आदेश देगा।

307. चकबन्दी का आदेश, आदेश के ठीक बाद के फसली वर्ष के प्रारम्भ से लागू होगा। उन दशाओं में, जिनमें धारा 84 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाना हो, चकबन्दी के लिए सहायक कलेक्टर का आदेश तब तक प्रभावी न होगा जब तक प्रतिकर का भुगतान न कर दिया जाय।

308. ऐसी स्थिति में जब कोई ऋणभार विनिमय की जाने वाली भूमि से संलग्न हो तो सहायक कलेक्टर यह निदेश देगा कि उक्त ऋणभार उसे उन्मुक्त करने के लिए उत्तरदायी खातेदार द्वारा प्राप्त की जाने वाली भूमि से संलग्न होगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

309. नियम 15 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी सहकारी कृषि समिति की उपविधियों में निम्नलिखित की भी व्यवस्था की जायेगी।

(1) सदस्यों द्वारा भूमि, निधियों और अन्य सम्पत्ति का अंशदान, उनका मूल्यांकन और समायोजन;

(2) समिति के प्रक्षेत्र पर कार्य करने वाले सदस्यों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक और मजदूरी:

(3) समिति के प्रक्षेत्र सम्बन्धी व्ययों और अन्य व्ययों का भुगतान;

(4) समिति की उपज का विवरण; और

(5) समिति के प्रक्षेत्र के कार्यकलापों और कार्यों का संचालन।

310. कोई सहकारी कृषि समिति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, धारा 86 के अधीन भूमि का कब्जा दिये बिना बन्धक पर ऋण ले सकती है–

(1) जिस प्रयोजन के लिए ऋण लिया जाय वह ऐसा हो जिससे कि समिति और उनके सदस्यों को सम्मिलित रूप से लाभ हो, या उससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की अथवा मिट्टी के गुण का ह्रास या अपक्षय रोकने की बहुत सम्भावना हो अथवा बाद की रोक–थाम हो सकती हो,

(2) ऐसे ऋण का प्रस्ताव समिति के सामान्य निकाय द्वारा अंगीकृत और निबन्धक द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो, और

(3) बन्धक रखने के लिए जिन सदस्यों का प्राधिकार प्राप्त किया जाना हो वे खण्ड (2) में अभिदिष्ट प्रस्ताव के सम्बन्ध में और ऐसे प्रपत्र में जो निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, लिखित रूप से अलग–अलग सहमत हों। ऐसा प्राधिकार किसी राजपत्रित अधिकारी या सहकारी विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो वर्ग 2 के निरीक्षण की श्रेणी से नीचे का न हो, अभिप्रमाणित किया जायेगा और वह अपने हस्ताक्षर के नीचे मुहर लगायेगा।

311. नियम 162 के अधीन किसी सहकारी कृषि समिति के किसी सदस्य को देय बोनस नकदी में या वस्तु के रूप में अथवा आंशिक रूप से नकदी में और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में और एकमुश्त या किस्त में दिया जा सकता है और यदि कोई सदस्य समिति का ऋणी हो तो बोनस के प्रति समायोजित किया जा सकता है।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 22

अभिनिर्णयों, डिक्रियों, आदेशों तथा निर्णयों का निष्पादन

312. (क) प्रत्येक डिक्रीधारी जो धारा 92 के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन किसी अभिनिर्णय या आदेश के निष्पादन की अपेक्षा करे, उस प्रत्यादान अधिकारी को, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र पर हो जिसमें निर्णीत–ऋणी रहता हो, या उसकी सम्पत्ति हो, प्रार्थना–पत्र देगा और निष्पादन का सम्भाव्य व्यप, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाय, जमा करेगा।

(ख) प्रत्येक ऐसा प्रार्थना–पत्र निबन्क द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में दिया जाएगा और उस पर डिक्रीधारी हस्ताक्षर करेगा। डिक्रीधारी यह इंगित कर सकता है कि क्या वह उसके पास बंधक रक्खी गयी अचल सम्पत्ति, यदि कोई है या अन्य अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है अथवा चल सम्पत्ति की कुर्की चाहता है। यदि वह अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहे तो वह प्रार्थना–पत्र में ऐसी सम्पत्ति के ब्यौरे देगा जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हों। यदि ऐसी सम्पत्ति किसी अधिकार अभिलेख, बन्दोबस्त या सर्वेक्षण में दी हुई सीमाओं या संख्याओं से पहचानी जा सके तो ऐसी सीमाओं या संख्याओं को विशिष्ट और ऐसी सम्पत्ति में निर्णीत–ऋणी का अंश या हित प्रार्थना–पत्र में दिये जायेंगे।

(ग) ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, प्रत्यादान अधिकारी, निबन्धक के कार्यालय में अभिलेखों से, यदि कोई हो, प्रार्थना पत्र में दिये गये ब्योरों की शुद्धता की जांच करेगा और निबंधक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में, दो प्रतियों में मांग का नोटिस तैयार करेगा अथवा तैयार करायेगा जिसमें वह निर्णीत ऋणी का नाम और देय धनराशि लिखेगा और उसे विक्रय अधिकारी के पास भेज देगा। मांग के नोटिस में व्यय भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगा और यह भी अपेक्षा की जायगी कि भुगतान निर्दिष्ट दिनांक तक कर दिया जाय। ऐसा न करने पर उक्त अचल सम्पत्ति, यथास्थिति, कुर्क कर ली जायेगी और बेच दी जायेगी या कुर्क किये बिना बेच दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रत्यादान अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि निर्णीत–ऋणी अपने विरुद्ध निष्पादन कार्यवाहियों में विलम्ब करने या बाधा पहुंचने के अभिप्राय से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का निस्तारण करने वाला है अथवा उसे प्रत्यादान अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से हटाने वाला है तो निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति, मांग को नोटिस में दिये गये समय के होते हुए भी, तुरन्त कुर्क कर ली जायेगी।

313.निर्णीत–ऋणी की सम्पति के विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही की जायेगी, जैसा कि नियम 12 के अधीन डिक्रीधारी द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र में प्रार्थना की गयी हो और यदि उक्त आवेदन–पत्र में इसका उल्लेख न किया गया हो कि उक्त सम्पत्ति के विरुद्ध किस प्रकार कार्यवाही की जाय, तो साधारणतया निष्पादन निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिए–

(1) सबसे पहले निर्णीत–ऋणी की चल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, किन्तु साथ ही साथ उस दशा में जब कि चल सम्पत्ति से प्राप्त धनराशि डिक्रीधारी के कुल दावों को पूर्ण रूप से पूरा करने में पर्याप्त न होने की संभावना हो तो इससे अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

(2) यदि कोई अचल सम्पति हो या यदि कुर्क की गयी और बेची गयी चल सम्पत्ति या सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि डिक्रीधारी के दावे को पूर्णतः पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो तो डिक्रीधारी को बन्धक रक्खी गयी अचल सम्पति या निर्णीत–ऋणी के किसी अन्य अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

विशिष्ट चल सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत खेत की फसलें भी हैं की कुर्की और बिक्री

314. विक्रय अधिकारी, डिक्रीधारी, को पूर्व सूचना के पश्चात् यथास्थिति, उस स्थान पर जायेगा जहाँ पर निर्णीत–ऋणी रहता है या जहां पर कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति स्थित हो, जैसी स्थिति हो, और नियम 312 के उपनियम (ग) के अधीन जारी किये गये मांग–नोटिस को निर्णीत–ऋणी पर, यदि यह मिले, तामील करेगा। यदि मांग नोटिस निर्णीत– ऋणी पर तामील किया जा चुका हो और यह मांग–नोटिस की देय धनराशि का भुगतान न करे तो, विक्रय अधिकारी चल सम्पत्ति की कुर्की करेगा और निर्णीत–ऋणी को कुर्क की गयी सम्पति की सूची या तालिका तुरंत देगा और उस स्थान, दिनांक तथा समय को जहां और जब कुर्क की गयी सम्पति बेची जायेगी यदि देय धनराशि का भुगतान उस दिनांक से पूर्व न कर दिया जाय, सूचना देगा। यदि निर्णीत–ऋणी न मिले तो विक्रय अधिकारी उक्त मांग–नोटिस को उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर या निर्णीत–ऋणी के प्राधिकृत एजेंट पर तामील करेगा और जब मांग–नोटिस इस प्रकार तामील न की जा सके तो विक्रय अधिकारी उस मांग– नोटिस की एक प्रति निर्णीत–ऋणी के निवास स्थान के किसी ध्यानाकर्षी भाग पर चिपका देगा। वह तब कुर्की की कार्यवाही करेगा और कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची तालिका उस स्थान पर चिपकायेगा जहां कि निर्णीत– ऋणी समान्यतया रहता हो और उस पर वह स्थान, जहां सम्पत्ति जमा की जाय या रक्खी जाय और वह स्थान, दिनांक और समय भी लिखेगा जहाँ और जब बिक्री की जायेगी।

315. कुर्की कर लेने के पश्चात् विक्रय अधिकारी, कुर्क सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए डिक्रीधारी के साथ या अन्यथा प्रबन्ध कर सकता है। यदि कुर्क सम्पत्ति पशुधन हो तो यह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में पशुधन रखा गया हो उसके लिए उत्तरदायी होगा तथा ऐसे भरण–पोषण के व्यय निर्णीत–ऋणी पर भारणीय होंगे। विक्रय अधिकारी, निर्णीत–ऋणी या ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर जो ऐसी सम्पत्ति में हित का दावा उस (सम्पत्ति) को उसी गांव या स्थान में जहां यह कुर्क की गई हो, ऐसे निर्णीत–ऋणी या व्यक्ति के प्रभार में छोड़ देगा यदि वह निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में एक या अधिक प्रतिभुओं के साथ (जो पर्याप्त समझे जायें) मांगने पर सम्पत्ति प्रस्तुत करने के लिए जमानत दे।

316. नियम 314 या नियम 315 के अन्तर्गत कोई भी कुर्की सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात् नहीं की जायेगी।

317. अत्यधिक कुर्की नहीं की जायेगी, अर्थात् कुर्क की गई सम्पत्ति का मूल्य कुर्की और विक्रय के सभी प्रासंगिक व्ययों को मिलाकर निर्णीत–ऋणों द्वारा, ब्याज सहित देय धनराशि के सामान्यतया 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

318. यदि निर्णीत–ऋणी की भूमि की फसल, या इकट्ठा न की गयी उपज, कुर्क की जाये, तो विक्रय अधिकारी उसे उस समय बिकवा सकता है जब वह कटाई के या इकट्ठा करने के योग्य हो, या अपने

विकल्प पर निर्णीत–ऋणी के खर्च पर उचित मौसम में उसकी कटाई करा सकता है या इकट्ठा करा सकता है और बिक्री होने तक उसे उचित स्थान पर रखवा सकता है।

319. विक्रय अधिकारी के लिए, किसी अस्तबल, गौशाला, खत्ती, गोदाम, बहिरगृह (आउट हाउस) या अन्य भवन को जबरदस्ती खोलना वैध होगा और वह किसी ऐसे निवास गृह में भी प्रवेश कर सकता है जिसका बाहरी द्वार खुला हो, और यह ऐसे निवास गृह के किसी भी कमरे के द्वार को निर्णीत–ऋणी को उसमें रखी सम्पति को कुर्क करने के प्रयोजनार्थ, तोड़ सकता है:

प्रतिबन्ध सदैव यह है कि तत्पश्चात् की गयी व्यवस्था के सिवाय, उक्त अधिकारी द्वारा ऐसे निवास–गृह के जनाने कक्ष या महिलाओं द्वारा रहने के काम में लाये जाने वाले कक्ष को जबरदस्ती खोलना या उसमें प्रवेश करना वैध न होगा।

320. यदि विक्रय अधिकारी के पास यह मान लेने का कारण हो कि किसी निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति ऐसे निवास–गृह में हो जिसका बाहरी द्वार बन्द हो या महिलाओं के लिए निर्धारित किसी भी ऐसे कक्ष में रखी है, जो रूढ़ि या प्रथा से वैयक्तिक समझे जाते हैं, तो विक्रय अधिकारी इस तथ्य की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को देगा। ऐसी सूचना पर उक्त स्टेशन का प्रभारी अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी को उस स्थल पर भेजेगा जिसकी उपस्थिति में विक्रय अधिकारी ऐसे निवास–गृह के बाहरी द्वार को उसी रीति से जबरदस्ती खोल सकता है जिस प्रकार वह गृह के भीतर, जनाने कक्ष से भिन्न, किसी भी कमरे के द्वार को तोड़ सकता है। विक्रय अधिकारी जनाने कक्ष के भीतर ही महिलाओं को हटने का यथाविधि नोटिस देने के पश्चात् और उचित रीति से उनके हटने के साधन प्रस्तुत करने के पश्चात यदि ये ऐसी महिलायें हों जो रूढ़ि या प्रथा के अनुसार पर्दे से बाहर न आती हों, जनाने कक्षों में, निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति कुर्क करने के प्रयोजनार्थ, यदि कोई वहां रक्खी गयी हो, किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है, किन्तु यदि ऐसी सम्पत्ति पायी जाय, तो वह तुरन्त ऐसे कक्षों से हटायी जायेगी और उसके बाद उन कक्षों को पहले की तरह इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया जायेगा।

321. विक्रय अधिकारी बिक्री की पूर्ववर्ती दिनांक तथा बिक्री के दिनांक को उस गांव में, जहां निर्णीत–ऋणी रहता है, तथा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, जिसमें प्रत्यादान अधिकारी बिक्री का उचित विज्ञापन करना आवश्यक समझे, की जाने वाली अभिप्रेत बिक्री के समय तथा स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवाकर करा सकता है। अभिप्रेत बिक्री का दिनांक, नियम 314 में निर्धारित रीति से विक्री नोटिस तामील करने या चिपकाये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन व्यतीत होने के पूर्व नहीं होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिगृहीत सम्पत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाली हो या उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो तो अपेक्षाकृत कोई ऐसा पहले का दिनांक निश्चित किया जा सकता है जब विक्रय अधिकारी धनराशि का उसके पूर्व भुगतान न किये जाने की दशा में बेच सकेगा।

322. नियम 321 के अधीन निश्चित समय पर सम्पत्ति एक या एक से अधिक ढेरियों में, जैसा विक्रय अधिकारी उचित समझे, रखी जायेगी और सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को बेची जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विक्रय अधिकारी, प्रस्तुत मूल्य अनावश्यक रूप से कम प्रतीत होने पर या अन्य कारणों से, उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा यदि सम्पत्ति देय धनराशि से अधिक मूल्य पर बिके तो ब्याज आदेशिका के व्यय तथा अन्य को काटकर ऐसी अधिक धनराशि, निर्णीत–ऋणी को भुगतान की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्यादान अधिकारी या विक्रय अधिकारी, स्वमति से, उसे किसी निर्दिष्ट दिनांक तथा समय के लिए स्थगित कर सकता है और ऐसे स्थगन के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। यदि ऐसी स्थगित बिक्री सात दिनों से अधिक अवधि के लिए हो तो नियम 321 के अनुसार नवीन घोषणा की जायेगी, जब तक कि निर्णीत–ऋणी उसको अधित्याग करने की सहमति न दे दे।

323. बिक्री के समय सम्पत्ति के लिए भुगतान नकदी में किया जाय और क्रेता को सम्पत्ति का कोई भी भाग ले जाने की अनुज्ञा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उसके लिए वह पूरा भुगतान न कर दे। यदि क्रेता क्रय की धनराशि का भुगतान करने में चूक करे तो सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी।

324. यदि इस नियमावली के अधीन कुर्क कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या गुप्त रूप से हटायी गयी हो तो विक्रय अधिकारी ऐसी सम्पत्ति की वापसी के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को प्रार्थना–पत्र दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट का प्रार्थना–पत्र में कथित तथ्यों को सत्यता के विषय में समाधान हो जाय तो वह विक्रय अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति लौटाये जाने का आदेश दे सकता है।

325. यदि बिक्री के पहले, निर्णीत–ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा कुर्क की गई सम्पत्ति में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, ब्याज सहित देय पूर्ण धनराशि का तथा सम्पत्ति कुर्क करने में उपगत अन्य व्ययों का भुगतान कर दे तो विक्रय अधिकारी तुरन्त कुर्की का आदेश निरस्त करेगा और सम्पत्ति को मुक्त कर देगा।

326. धारा 39 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए चल सम्पत्ति जो सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर), 1908 (1908 की संख्या 5) की धारा 60 के अधीन कुर्की किये जाने से मुक्त है, इस नियमावली के अधीन न तो कुर्क की जा सकेगी और न बेची जा सकेगी।

अन्य चल सम्पत्तियों की कुर्की

327. यदि कुर्क की जाने वाली चल सम्पत्ति, सरकार या रेलवे या किसी स्थानीय अधिकारी या किसी सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सेवक का वेतन या भत्ता या मजदूरी हो तो प्रत्यादान अधिकारी, विक्रय अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश दे सकता है कि धनराशि, सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर), 1908 (1908 की संख्या 5) की धारा 60 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे वेतन या भत्ते या मजदूरी में से या तो एक बार के भुगतान से या मासिक किस्तों में जैसा उक्त प्रत्यादान अधिकारी निदेश दे, रोक ली जाय और ऐसे आदेश या नोटिस मिलने पर ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसका कार्य ऐसे वेतन, भत्ता या मजदूरी का वितरण करना हो, उक्त

धनराशि रोक लेगा तथा विक्रय अधिकारी को,यथास्थिति, आदेश के अधीन देय धनराशि या मासिक किस्त भेज देगा।

328. यदि कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति निर्णीत–ऋणी का किसी ऐसी चल सम्पत्ति में अंश या हित हो जो निर्णीत– ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति के सहस्वामित्व में हो तो कुर्की, निर्णीत–ऋणी को अपने अंश या हित का संक्रमण करने या उसे भारित करने या किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन करने से निषिद्ध करने की नोटिस देकर की जायगी।

329. यदि कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कोई संक्राम्यकरण–पत्र हो, जो न तो किसी न्यायालय में जमा हो और न ही किसी लोक अधिकारी की अभिरक्षा में रखा गया हो, तो कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जायेगी और उक्त करण–पत्र कुर्की का आदेश देने वाले प्रत्यादान अधिकारी के कार्यालय में लाया जायेगा जहाँ वह उसके अगले आदेश दिये जाने के अधीन रखा जायेगा।

330. यदि कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में हो तो कुर्की, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को नोटिस देकर की जायेगी जिसमें यह प्रार्थना की जायेगी कि उक्त सम्पत्ति तथा कोई ब्याज या लाभांश को, जो उस पर देय हो गये हों, नोटिस जारी करने वाले प्रत्यादान अधिकारी के अगले आदेश दिये जाने के अधीन रहते हुए रोक लिया जायः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्पत्ति किसी अन्य जिले के न्यायालय या प्रत्यादान अधिकारी की अभिरक्षा में हो, तो डिक्रीधारी तथा निर्णीत– ऋणी से किसी भी अन्य व्यक्ति जो ऐसी सम्पत्ति में, अभ्यर्पण, कुर्की या अन्य किसी आधार पर दावा करता हो, के बीच आगम या पूर्वता के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्न का अवधारण यथास्थिति, ऐसे न्यायालय या प्रत्यादान अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

331. उस दशा में जब कि कोई सम्पत्ति किसी धनराशि के भुगतान या किसी बंधक अथवा प्रभार के आधार पर बिक्री के लिए दिये गये किसी अभिनिर्णय के निष्पादन में, अथवा ऐसे आदेश के निष्पादन में जब कि वह अभिनिर्णय हो या ऐसे आदेश के निष्पादन में जिसका उल्लेख धारा 92 में किया गया हो, कुर्क की जानी हो तो निबन्धक के आदेश से कुर्क की जायेगी।

332. यदि नियम 331 के अधीन कुर्की के लिए आदेश दिया गया हो, तो निबन्धक उस डिक्रीधारी के प्रार्थना पत्र पर जिसने अभिनिर्णय या आदेश सम्बन्धी कुर्की कराई हो, कुर्की सम्बन्धी अभिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के लिए आदेश देगा और निष्पादित किये जाने वाले अभिनिर्णय या आदेश की पूर्ति के लिए शुद्ध आय के उपयोग का भी आदेश देगा।

333. किसी ऐसे अभिनिर्णय या आदेश को, जिसे नियम 331 में निर्दिष्ट प्रकार के किसी दूसरे अभिनिर्णय या आदेश की कुर्की करके निष्पादित करना हो, धारण करने वाले व्यक्ति को कुर्क किये गये अभिनिर्णय या आदेश के धारक का प्रतिनिधि समझा जायेगा और वह कुर्क किये गये अभिनिर्णय या आदेश को ऐक्ट और नियमों में दी गई किसी रीति से निष्पादित करने का हकदार होगा।

334. यदि किसी अभिनिर्णय या आदेश के निष्पादन में कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति नियम 331 में अभिदिष्ट प्रकार के अभिनिर्णय या आदेश से भिन्न डिक्री हो तो कुर्की प्रत्यादान आधिकारी द्वारा ऐसे डिक्रीधारी को नोटिस जारी करके की जायेगी जिसमें उसे किसी भी प्रकार से उसका संक्रमण करने या उस पर कोई भार सृजन करने से निषिद्ध किया जायेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

335. नियम 331 से 334 के अधीन कुर्क किये गये अभिनिर्णय, आदेश या डिक्री का धारक, अभिनिर्णय, आदेश या डिक्री का निष्पादन करने वाले प्रत्यादान अधिकारी को ऐसी सूचना तथा सहायता देगा जो उचित रूप से अपेक्षित हो।

336. किसी ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के, जिसे दूसरे अभिनिर्णय, आदेश या डिक्री की कुर्की करके निष्पादित किया जाना हो, धारक के प्रार्थना–पत्र पर, निबन्धक या प्रत्यादान अधिकारी, यथास्थिति जो कुर्की का आदेश दे, उस निर्णीत–ऋणी को जो अधिनिर्णय, आदेश या कुर्क की गई डिक्री से बाध्य हो, ऐसे आदेश की नोटिस देगा और ऐसे नोटिस प्राप्ति के पश्चात् कुर्की के अभिनिर्णय, आदेश या डिक्री के सम्बन्ध में ऐसे आदेश का उल्लंघन करके निर्णीत–ऋणी द्वारा किया गया भुगतान या समायोजन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि कुर्की लागू रहे।

337. (1) यदि कुर्क की जाने वाली चल सम्पत्ति–

(क) निर्णीत–ऋणी को देय ऋण हो,

(ख) किसी निगम की पूंजी में अंश या उसमें विनियोजित निक्षेप हो, या

(ग) किसी दीवानी न्यायालय में जमा की गई अथवा उसकी अभिरक्षा में सम्पत्ति को छोड़कर, ऐसी चल सम्पत्ति को जो निर्णीत–ऋणी के कब्जे में न हो, तो कुर्की प्रत्यादान अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त लिखित आदेश से की जायेगी जिसमें–

> (1) किसी ऋण की दशा में ऋणदाता को ऋण की वसूली से और ऋणी को उसका भुगतान करने से;
>
> (2) किसी अंश या निक्षेप की दशा में, उस व्यक्ति को जिसके नाम से अंश या निक्षेप हो, अंश या निक्षेप का संक्रमण करने या उस पर कोई लाभांश या व्याज लेने से, और
>
> (3) उपर्युक्त को छोड़कर किसी अन्य चल सम्पत्ति की दशा में उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में हो, निर्णीत ऋणी को देने से, निषिद्ध किया जायगा।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति, ऋण की दशा में, ऋणी को, अंश या निक्षेप की दशा में निगम के सम्यक अधिकारी को किसी न्यायालय में निक्षिप्त या उसकी अभिरक्षित सम्पत्ति को छोड़कर अन्य चल सम्पत्ति की दशा में उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति हो, भेजी जायेगी।

(3) ज्यों ही उपनियम (1) के खण्ड (क) में अभिदिष्ट ऋण या उपनियम (1) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट निक्षेप की अवधि पूर्ण हो जाय, त्योंही प्रत्यादान अधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति को उसे धनराशि भुगतान करने का निदेश दे सकता है। यदि खण्ड (ख) में अभिदिष्ट अंश लौटाने योग्य न हो तो उक्त प्रत्यादान अधिकारी, दलाल के माध्यम से उसे बेचने का प्रबन्ध करेगा। यदि अंश लौटाने योग्य हो तो उसके मूल्य का भुगतान, ज्यों ही वह देय हो जाय, उक्त प्रत्यादान अधिकारी को किया जायेगा उपरिलिखित उपनियम (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट अन्य चल सम्पत्ति की दशा में उसे, ज्योंही वह निर्णीत–ऋणी को देय हो जाय, प्रत्यादान अधिकारी को सौंप दिया जायेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिससे प्रत्यादान अधिकारी को धनराशि देने या सम्पत्ति सौंपने की अपेक्षा की गयी हो, प्रत्यादान अधिकारी के आदेशों का अनुपालन करेगा और प्रत्यादान अधिकारी को धनराशि का भुगतान किये जाने या सम्पत्ति सौंपे जाने के फलस्वरूप, वह व्यक्ति प्रभावकारी रूप में उसी प्रकार मुक्त समझा जायेगा जैसे कि उसने उसे उसी पक्ष को भुगतान किया हो या सम्पत्ति सौंपी हो जो उसे प्राप्त करने का अधिकारी हो।

अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री

338. (क) किसी अभिनिर्णय या आदेश के निष्पादन में कोई अचल सम्पत्ति तब तक नहीं बेची जायेगी जब तक कि ऐसी सम्पत्ति पहले कुर्क न की गयी हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सम्पत्ति के बन्धक होने के आधार पर अभिनिर्णय या आदेश प्राप्त किया गया हो तो उसकी कुर्की करना आवश्यक न होगा।

(ख) अचल सम्पत्ति को इस आशय के एक आदेश द्वारा कुर्क किया जायेगा जिसमें निर्णीत–ऋणी की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने या भारित करने में और सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण या भारित किये जाने से कोई लाभ उठाने से रोक दिया जायेगा।

339. (क) विक्रय अधिकारी नियम 312 के उपनियम (ग) के अधीन जारी की गयी मांग–नोटिस की एक प्रति निर्णीत–ऋणी पर या, यदि वह उपलब्ध न हो तो उनके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट पर तामील करेगा या तामील करायेगा अथवा इस प्रकार तामील किया जाना संभव न हो तो उसकी एक प्रति अचल सम्पत्ति, जिसे यथास्थिति, कुर्क करना और बेचना हो अथवा कुर्क किये बिना बेचना हो, किसी ध्यानाकर्षी भाग पर चिपकायेगा।

(ख) यदि निर्णीत–ऋणी निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान, मांग–नोटिस की शर्तों के अनुसार न करे तो विक्रय अधिकारी मांग–नोटिस में निर्दिष्ट अचल सम्पत्ति को, यथास्थिति कुर्क करने और बेचने या कुर्क किये बिना बेचने की कार्यवाही करेगा।

(ग) कुर्की के आदेश को कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति पर या उसके आसन्न किसी स्थान पर और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर जो प्रत्यादान अधिकारी बिक्री का उचित विज्ञापन करने के लिए आवश्यक समझे, डुग्गी पीटकर या अन्य प्रचलित रीति से उद्घोषित किया जायेगा और आदेश की प्रतिलिपि अचल सम्पत्ति के किसी ध्यानाकर्षी भाग पर चिपकायी जायेगी।

(घ) कुर्की के आदेश की एक प्रतिलिपि निर्णीत ऋणी पर भी व्यक्तिगत रूप से तामील की जायेगी और यदि वह उपलब्ध न हो तो उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को या उसके प्राधिकृत एजेंट पर तामील की जायेगी और यदि इस प्रकार की तामील सम्भव न हो तो निर्णीत–ऋणी के अन्तिम ज्ञात निवास स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकायी जायेगी।

(ङ) बिक्री की उद्घोषणा, बिक्री के लिए निश्चित दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रत्यादान अधिकारी के कार्यालय और तहसील तथा खण्ड कार्यालय में नोटिस चिपकाकर की जायेगी। इसकी सूचना सम्बद्ध क्षेत्र में बिक्री से दो दिन पूर्व और बिक्री के दिन भी, बिक्री प्रारम्भ करने से पहले, दुग्गी पीटकर की जायेगी। यदि बिक्री के पूर्व कुर्की करना अपेक्षित हो तो ऐसी उद्घोषणा कुर्की हो

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

जाने के पश्चात् की जायेगी। डिक्रीधारी तथा निर्णीत–ऋणी को भी नोटिस दिया जायेगा। उद्घोषणा में बिक्री का समय और स्थान बताया जाएगा और उसमें निम्नलिखित के सम्बन्ध में यथासम्भव उचित रूप से और ठीक–ठीक उल्लिखित होगाः

(1) बेची जाने वाली सम्पत्ति;

(2) कोई भार जो सम्पत्ति पर हो;

(3) वह धनराशि जिसकी वसूली के लिए बिक्री का आदेश दिया गया हो, और

(4) प्रत्येक अन्य विषय जिसे विक्रय अधिकारी सम्पत्ति के प्रकार तथा मूल्य का क्रेता द्वारा अनुमान लगाने के लिए सारवान् समझे।

(च) जब कोई अचल सम्पत्ति इन नियगों के अधीन बेची जाय तो बिक्री उस सम्पत्ति पर, पूर्व भार के, यदि कोई हो, अधीन होगी। जब वह धनराशि जिसकी वसूली के लिए बिक्री की जाय, सौ रुपये से अधिक हो, तो डिक्रीधारी विक्रय अधिकारी को ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा या प्रत्यादान अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाय, बेची जाने वाली सम्पत्ति की कुर्की के दिनांक से या, नियम 338 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आने वाले मामलों की दशा में निष्पादन के प्रार्थना–पत्र के दिनांक से कम से कम बारह वर्ष पहले की अवधि की भारग्रस्तता का प्रमाण–पत्र निबन्धक विभाग से लेकर प्रस्तुत करेगा। भारग्रस्तता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने का समय, यथास्थिति, विक्रय अधिकारी या प्रत्यादान अधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध अभिलेखों के नष्ट कर दिये जाने के कारण भारग्रस्तता का प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता हो तो गांव के पटवारी (लेखपाल) का उन भारों के सम्बन्ध में जो उसे मालूम हो, एक शपथ–पत्र जिसके साथ निबन्धन विभाग का इस आशय का एक प्रमाण–पत्र होगा कि सम्बद्ध अभिलेखों के नष्ट कर दिये जाने के कारण भारग्रस्तता का प्रमाण–पत्र नहीं दिया सकता, भारग्रस्तता प्रमाण–पत्र के स्थान पर स्वीकार किया जायेगा।

(छ) बिक्री, सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को की जायेगी ; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी को यह अधिकार होगा कि सबसे ऊंची बोली को, इस कारण से कि दिया जाने वाला मूल्य अनावश्यक रूप से कम जान पड़ता है या अन्य किसी कारण से, अस्वीकार कर दे; और

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्यादान अधिकारी या विक्रय अधिकारी स्वविवेक से स्थगन के कारणों को अभिलिखित करते हुये, बिक्री को किसी निर्दिष्ट दिन और समय के लिए स्थगित कर सकता है। यदि बिक्री इस प्रकार सात दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित की जाय तो जब तक कि निर्णीत–ऋणी उद्घोषणा न करने के लिए लिखित सहमति न दे दे, खण्ड (ङ) के अधीन फिर से उद्घोषणा की जायेगी।

(ज) बिक्री उस दिनांक से, जब उदघोषणा की नोटिस प्रत्यादान अधिकारी के कार्यालय में चिपकायी जाय, कम से कम तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् की जायेगी। बिक्री का समय और स्थान प्रत्यादान अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा और बिक्री उस स्थान में जहां पर बेची जाने वाली

सम्पत्ति स्थित हो या ऐसे आसन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थान जिसे उक्त प्रत्यादान अधिकारी निश्चित करे, की जायेगी।

(झ) क्रेता उस मूल्य के जितने में नीलामी में अचल सम्पत्ति खरीदी जाय, पन्द्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि खरीदने के समय विक्रय अधिकारी को भुगतान करेगा और ऐसा न करने पर, सम्पति तुरन्त फिर से बेच दी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्रेता स्वयं डिक्रीधारी हो और उसे क्रय–धन मुजरा करने का हक हो, तो विक्रय अधिकारी उपर्युक्त नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर देगा।

(ञ) क्रय–धन को शेष धनराशि और विक्रय प्रमाण–पत्र के निमित्त सामान्य स्टाम्प के लिये आपेक्षित धनराशि का भुगतान बिक्री के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि स्टाम्प का मूल्य देने का समय उचित और पर्याप्त कारणों से प्रत्यादान अधिकारी के विवेक से बिक्री के दिनांक से तीस दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस खण्ड के अधीन भुगतान की जाने वालो धनराशि की गणना करने में क्रेता को उस मुजराई का लाभ मिलेगा जिसके लिए यह उपनियम (झ) के अधीन हकदार हो।

(ट) यदि उपनियम (ञ) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति तक क्रय धन की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तो–

(1) उपनियम (झ) के अधीन जमा धनराशि प्रत्यादान अधिकारी के विवेक से, बिक्री का व्यय देने के पश्चात् सरकार के प्रति जब्त कर ली जायेगी, और

(2) बाकीदार क्रेता का सम्पत्ति में अथवा धनराशि के किसी ऐसे भाग में जिसके लिए यह सम्पति बाद में बेची जाय, कोई दावा न होगा।

(ठ) खण्ड (ञ) में उल्लिखित धनराशि के भुगतान के लिए अनुमति अवधि के भीतर भुगतान न किये जाने पर, अचल सम्पत्ति को दुबारा बिक्री, इस नियम में बिक्री के लिए नियत रीति से और अवधि के लिए फिर से उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात् की जायेगी।

(ड) यदि डिक्रीधारी सम्पत्ति का क्रय करे तो क्रय–धन और अभिनिर्णय या आदेश के सम्बन्ध में देय धनराशि एक–दूसरे के प्रति और विक्रय अधिकारी तदनुसार पूर्ण रूप अथवा अभिनिर्णय या आदेश को आंशिक रूप से पूर्ति होना अभिलिखित करेगा।

340. (1) जब अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए आदेश दे दिये गये हों, यदि निर्णीत–ऋणी प्रत्यादान अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि यह विश्वास करने का कारण है कि बिक्री की धनराशि को बन्धक, या पट्टा या ऐसी सम्पत्ति के या उसके किसी भाग को, या निर्णीत–ऋणी को किसी अन्य अचल सम्पत्ति की बिक्री गैर सरकारी विक्रय द्वारा बढ़ायी जा सकती है तो प्रत्यादान अधिकारी निर्णीत–ऋणी द्वारा आवेदन–पत्र देने पर आदेश में उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय को ऐसी शर्तों पर

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

तथा ऐसी अवधि के लिए जिसे यह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ताकि निर्णीत ऋणी धनराशि में वृद्धि कर सके।

(2) ऐसी दशा में प्रत्यादान अधिकारी निर्णीत–ऋणी को उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर प्रस्तावित बन्धक, पट्टा या विक्रय को करने का प्राधिकार देने वाला एक प्रमाण– पत्र प्रदान करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि बन्धक, पट्टा या विक्रय के अधीन देय सभी धनराशियों का भुगतान निर्णीत–ऋणी को नहीं बल्कि प्रत्यादान अधिकारी को किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस नियम के अधीन कोई भी बन्धक, पट्टा या विक्रय पूर्ण न होगा जब तक कि प्रत्यादान अधिकारी ने इसकी पुष्टि न कर दी हो।

(3) इस नियम में दी गई कोई बात उस सम्पत्ति की बिक्री के लिए जिसे बन्धक, या प्रभार के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अभिनिर्णय या विक्रय आदेश के निष्पादन के लिए बेचने के आदेश हों, लागू नहीं समझी जायेगी।

341. यदि बिक्री के पूर्व, निर्णीत–ऋणी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति में जिसे बेची जानी हो, हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ब्याज सम्पूर्ण देय धनराशि, और सम्पत्ति को बेचने में हुए व्यय जिसके अन्तर्गत कुर्की का, यदि कोई हो, व्यय भी है, दे दे तो विक्रय अधिकारी, यदि सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी हो, तो कुर्की का आदेश रद्द करने के पश्चात् सम्पत्ति तुरन्त छोड़ देगा।

342. (1) यदि अचल सम्पत्ति बेच दी गयी हो तो कोई व्यक्ति जो या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी हो अथवा ऐसी बिक्री के पूर्व अर्जित किसी आगम के कारण उसमें हित रखता हो, प्रत्यादान अधिकारी के पास निम्नलिखित धनराशि जमा करके बिक्री को रद्द करने के लिए प्रार्थना–पत्र दे सकता हैः

(1) क्रेता को भुगतान करने के लिए, क्रय–धन के पांच प्रतिशत के बराबर धनराशि, और

(2) डिक्रीधारी को भुगतान करने के लिए, बिक्री की उद्घोषणा में निर्दिष्ट बकाया धनराशि जिसकी वसूली के लिए, बिक्री का आदेश दिया गया, और उस पर ब्याज और कुर्की का, यदि कोई हो, और बिक्री का व्यय तथा ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में अन्य व्यय, जिसमें से वह धनराशि कम कर दी जायेगी जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक के बाद डिक्रीधारी को प्राप्त हो जाय।

(2) यदि ऐसा निक्षेप और प्रार्थना–पत्र बिक्री के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जाय तो प्रत्यादान अधिकारी बिक्री को रद्द करने का आदेश देगा और क्रेता को अब तक जमा की गयी धनराशि और प्रार्थी द्वारा जमा की गयी पांच प्रतिशत धनराशि देगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने इस उपनियम के अधीन धनराशि जमा की हो और प्रार्थना–पत्र दिया हो तो सबसे पहले जमा करने वाले प्रत्यादान अधिकारी को दिया गया प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(3) जब किसी व्यक्ति ने अपनी अचल सम्पत्ति के विक्रय को रद्द करने के लिए नियम 343 के अधीन आवेदन–पत्र दिया हो तो उस नियम के अधीन आवेदन–पत्र देने का तब तक हकदार न होगा जब तक कि वह उक्त आवेदन–पत्र को वापस न ले ले।

(4) इस नियम की किसी बात से निर्णीत–ऋणी बिक्री के उद्घोषणा के अन्तर्गत न आने वाले मूल्य और ब्याज के दायित्व से मुक्त न होगा।

343. (क) किसी अचल सम्पत्ति के बिक्री के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी समय, डिक्रीधारी या कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में किसी अंश का हकदार हो या जिसके हितों पर बिक्री से प्रभाव पड़ता हो, बिक्री के सम्बन्ध में विज्ञापन या संचालन करने में किसी सारवान् अनियमितता या त्रुटि अथवा कपट के कारण उसे रद्द करने के लिए प्रत्यादान अधिकारी को प्रार्थना–पत्र दे सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी बिक्री अनियमितता या त्रुटि अथवा कपट के कारण तब तक रद्द न की।जायेगी जब तक कि प्रत्यादान अधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि प्रार्थी के हितों को ऐसी अनियमितता, त्रुटि या कपट के कारण पर्याप्त क्षति पहुंची है।

(ख) यदि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया जाय तो उक्त प्रत्यादान अधिकारी बिक्री रद्द कर देगा और वह फिर से बिक्री करने का निदेश दे सकेगा।

344. (क) यदि नियम 342 या नियम 343 के अधीन बिक्री को रद्द करने के लिए कोई प्रार्थना–पत्र न दिया गया हो अथवा यदि ऐसा प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, किन्तु वह अस्वीकार कर दिया गया हो तो बिक्री के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर उक्त प्रत्यादान अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने का आदेश देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसे ऐसा सोचने का कारण हो कि बिक्री, भले ही कोई ऐसा प्रार्थना–पत्र न दिया गया हो या किसी ऐसे प्रार्थना–पत्र में जो दिया गया हो, और अस्वीकार कर दिया गया हो, अभिकथित कारणों से भिन्न कारण दे, रद्द कर दी जानी चाहिए तो वह उन कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, बिक्री रद्द कर सकता है।

(च) जब कभी किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री पुष्ट न की जाय अथवा वह रद्द कर दी जाय तो, यथास्थिति, निक्षेप या क्रय धन क्रेता को वापस कर दिया जायेगा।

345. बिक्री की पुष्टि होने पर प्रत्यादान अधिकारी, क्रेता को अपनी मुहर लगाकर और हस्ताक्षर करके बिक्री का प्रमाण–पत्र देगा, तथा ऐसे प्रमाण–पत्र में बिकी हुई सम्पत्ति के ब्यौरे तथा क्रेता का नाम दिया होगा और वह ऐसे क्रेता को बिक्री दिये जाने के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा।

346. यदि नियमों के अधीन कोई कुर्की की गई हो तो कुर्क सम्पत्ति या उसमें किसी के हित का कोई भी व्यक्तिगत संक्रमण या निर्णीत–ऋणी को ऐसी कुर्की के विपरीत, किसी ऋण, लाभांश या अन्य धनराशि का भुगतान, कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय समस्त दावों के प्रति निष्प्रभावी होंगे।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय दावों के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का आनुपातिक रीति से वितरण भी है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

347. (क) यदि इस नियम के अधीन चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री के सम्बन्ध में या अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा डिक्री या कुर्की के बिना बिक्री के सम्बन्ध में उपगत व्यय तथा परिव्यय नियम 312 के उपनियम (क) के अधीन डिक्रीधारी द्वारा जमा की गयी लागत की धनराशि से अधिक हो तो ऐसी अधिक धनराशि, विक्रीत सम्पत्ति की धनराशि या निर्णीत–ऋणी द्वारा भुगतान की गयी धनराशि में से, जैसी भी दशा हो, कम की जायगी तथा शेष धनराशि डिक्रीधारी को उपलब्ध की जायगी।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति ऐसी देय धनराशि का, जिसकी वसूली के लिए इन नियमों के अधीन प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, प्रत्यादान अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भुगतान करने पर उक्त धनराशि के लिए, उक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद पाने का हकदार होगा, रसीद में भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम तथा उस विषय का जिसके सम्बन्ध में भुगतान किया गया हो, उल्लेख होगा।

348. (क) यदि इन नियमों के अधीन कुर्क सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत किया जाय या कुर्की के सम्बन्ध में इस आधार पर कोई आपत्ति की जाय कि ऐसी सम्पत्ति कुर्की करने योग्य नहीं है तो विक्रय अधिकारी उक्त दावे या आपत्ति की जाँच करेगा और इसका गुण–दोष के आधार पर निस्तारण करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय अधिकारी दावे की जाँच करने से इन्कार कर सकता है यदि वह यह समझे कि दावा सारहीन है अथवा वह बिक्री के लिये निश्चित दिनांक को या उसके पश्चात् दिया गया है।

(ख) यदि सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में दावा या आपत्ति हो, बिक्री के लिये विज्ञापित की गयी हो तो विक्रय अधिकारी, उक्त दावे या आपत्ति की जाँच होने तक बिक्री स्थगित कर सकता है।

(ग) यदि कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जाय, तो वह पक्ष जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया हो, विवादग्रस्त सम्पत्ति में अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए आदेश के दिनांक से, 6 महीने के भीतर वाद संस्थित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुए उक्त आदेश निश्चायक होगा।

349. (क) यदि क्रेता द्वारा चूक करने के कारण नियम 339 या 323 के खण्ड (झ) तथा (ठ) के अधीन की गयी पुनः बिक्री के कारण मूल्य में कोई कमी हो जाय तो ऐसी कमी, तथा ऐसी पुनः बिक्री से उत्पन्न समस्त व्यय, विक्रय अधिकारी द्वारा प्रत्यादान अधिकारी को प्रमाणित किये जायेंगे और बिक्रीधारी या निर्णीत–ऋणी के अनुरोध पर चूक करने वाले क्रेता से वसूल किये जा सकेंगे। ऐसी वसूली के प्रासंगिक व्यय भी, यदि कोई हों, चूक करने वाले क्रेता को वहन करने होंगे।

(ख) यदि पुनः बिक्री पर सम्पत्ति, पहली बिक्री के मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर बेची जाय तो पहली बिक्री में चूक करने वाले क्रेता को ऐसे मूल्यांतर या वृद्धि में कोई दावा नहीं होगा।

350. यदि किसी अभिनिर्णय या आदेश के निष्पादन में कोई सम्पत्ति कुर्क की गयी हो, किन्तु डिक्रीधारी की चूक के कारण विक्रय अधिकारी या प्रत्यादान अधिकारी निष्पादन के प्रार्थना–पत्र पर आगे कार्यवाही करने में असमर्थ हो, तो ऐसा अधिकारी या तो उक्त प्रार्थना पत्र को रद्द कर देगा

अथवा किसी पर्याप्त कारण से कार्यवाहियों को आगामी दिनांक के लिए स्थगित कर देगा। ऐसे प्रार्थना–पत्र के रद होने पर कुर्की समाप्त हो जायगी।

351. जब परिसम्पत्तियाँ विक्रय अधिकारी के पास हों तथा ऐसी परिस्पत्तियों के होने के पूर्व, किसी निर्णीत–ऋणी के विरुद्ध अन्य अभिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के लिए प्रार्थना–पत्र के अनुसरण में मांग की नोटिस एक से अधिक डिक्रीधारियों से प्राप्त हुई हों और डिक्रीधारियों की तुष्टि न हुई हो तो विक्रय अधिकारी द्वारा परिसम्पत्तियाँ, वसूली के व्ययों को काटकर, सिविल प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908) (ऐक्ट संख्या 5, 1908) की धारा 73 में व्यवस्थित रीति से समस्त ऐसे डिक्रीधारियों में आनुपातिक रीति से वितरित की जायेंगी।

352. (क) यदि किसी निर्णीत–ऋणी की अभिनिर्णय या आदेश की पूर्णतः तुष्टि के पूर्व मृत्यु हो जाय तो नियम 312 के उपनियम (क) के अधीन प्रार्थना– पत्र, मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध दिया या जारी रखा जा सकता है और तत्पश्चात् इस अध्याय के समस्त उपबन्ध, सिवाय इस नियम में की गई व्यवस्था के, उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा विधिक प्रतिनिधि ही निर्णीत ऋणी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादन आरम्भ करने के पूर्व उसे कारण बताने का नोटिस जारी किया जायगा और उसकी आपत्तियों की सुनवाई की जायगी।

(ख) जब ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध अभिनिर्णय या आदेश निष्पादित किया जाय तो उसका उत्तरदायित्व मृतक की सम्पत्ति में केवल उस सीमा तक होगा जो उसे प्राप्त हुई हो और यथाविधि निस्तारित न की गयी हो तथा ऐसा दायित्व सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अभिनर्णय या आदेश निष्पादित करने वाला प्रत्यादान अधिकारी, स्वतः अथवा डिक्रीधारी के प्रार्थना–पत्र पर ऐसे विधिक प्रतिनिधि को ऐसे ले खेप्रस्तुत करने को बाध्य कर सकता है जो वह उचित समझे।

353. (1) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार धारा 94 के अधीन सम्पत्ति की कुर्की का आदेश देने से पूर्व उन व्यक्तियों से जिनकी सम्पत्ति की कुर्की की जानी हो, ऐसी धनराशि की प्रतिभूति और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसका उल्लेख आदेश में किया गया हो।

(2) जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए इस बात का कारण बताने में असफल रहे कि उसे रजिस्ट्रार द्वारा नियत समय के भीतर प्रतिभूति क्यों जमा नहीं करनी चाहिए या प्रतिभूति जमा न करे तो रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकता है कि उस उपनियम (1) में उल्लिखित सम्पत्ति की कुर्की कर ली जाय।

(3) निबन्धक उपयुक्त उपनियम के अधीन जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत सम्पत्ति को सप्रतिबन्ध कुर्की करने का निदेश भी दे सकता है।

(4) धारा 94 के अधीन सम्पत्ति की कुर्की उपर्युक्त उपनियमों के अधीन उस रीति से की जायेगी जो नियम 314 से 348 तक में दी गयी है।

354. (1) यदि नियम 353 के अधीन कुर्क सम्पत्ति में कोई दावा प्रस्तुत किया जाय तो ऐसे दावे की जाँच नियम 348 में निर्दिष्ट रीति से प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 353 के अधीन की गई सम्पत्ति की कुर्की निम्नलिखित दशाओं में वापस ले ली जायगी :

(1) जब सम्बद्ध पक्ष अपेक्षित प्रतिभूत के साथ कुर्की के व्यय की प्रतिभूति प्रस्तुत करे, या

(2) जब धारा 74 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन परिसमापक (स्पुनपकंजवत) यह निश्चित करे कि सम्बद्ध पक्ष द्वारा कोई अंशदान देय नहीं है, या

(3) जब निबन्धक, धारा 68 के अधीन यह आदेश दे कि सम्बद्ध पक्ष को प्रतिकर के रूप में किसी धनराशि या सम्पत्ति की वापसी या प्रत्यास्थापन करना या समिति की परिसम्पत्ति में किसी धन का अंशदान करना आवश्यक नहीं है, या

(4) जब धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा उस पक्ष के विरुद्ध दिया गया अधिभार का आदेश, जिसकी सम्पत्ति कुर्क कर ली गई हो, धारा 98 के अधीन की गई अपील में खारिज कर दिया जाय, या

(5) जब धारा 71 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विवाद का निर्णय उस पक्ष के विरुद्ध हुआ हो, जिसके अनुरोध पर कुर्की की गई थी।

(3) नियम 353 के अधीन की गई कुर्की का ऐसे व्यक्तियों के, जो कुर्की से सम्बन्धित कार्यवाहियों में कोई पक्ष न हों, कुर्की के पूर्व विद्यमान अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

(4) यदि कोई सम्पत्ति, नियम 353 के उपबन्धों के आधार पर कुर्की के अधीन हो और बाद में उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसकी सम्पत्ति कुर्क हो, कोई अभिनिर्णय या आदेश दिया जाय, तो ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के लिए प्रार्थना–पत्र देना आवश्यक न होगा।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 23

शुल्क तथा व्यय

1{355. धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन किसी सहकारी समिति की जाँच के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित दर पर शुल्क देय होगा :

(1) किसी प्रारम्भिक कृषि सहकारी समिति की दशा में	25 रु0;
(2) जिला स्तर को केन्द्रीय सहकारी समिति की दशा में	100 रु0;
(3) शीर्ष स्तर की सहकारी समिति की दशा में	150 रु0;
(4) किसी अन्य सहकारी समिति की दशा में	50 रु0}

2{356. किसी सहकारी समिति के ऋणदाता द्वारा धारा 66 के अधीन निरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित दर पर शुल्क देय होगा :

(1) किसी प्रारम्भिक कृषि सहकारी समिति की दशा में	25 रु0;
(2) जिला स्तर की केन्द्रीय सहकारी समिति की दशा में	100 रु0;
(3) शीर्ष स्तर की सहकारी समिति की दशा में।	150 रु0;
(4) किसी अन्य सहकारी समिति की दशा में।	50 रु0}

3{357. किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो न तो सहकारी समिति का सदस्य हो और न उसका ऋणदाता हो, किसी सहकारी समिति का निरीक्षण करने या उसके कार्यों से सम्बद्ध मामलों की जाँच करने के लिए किसी प्रार्थना–पत्र पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायगी, जब तक कि ऐसे प्रार्थना–पत्र के साथ पांच सौ रुपये का शुल्क न दिया हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निरीक्षण या जांच करने पर, उक्त प्रार्थना–पत्र में लगाये गये आरोप ठीक पाये जायें, तो नियम 355 या 356 में निर्धारित शुल्कों को तालिका में दी गई धनराशि से अधिक वापस कर दी जायगी।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन के लिए पद "सदस्य" में सामान्य निकाय का एक सदस्य और समिति के प्रबन्ध कमेटी का एक सदस्य भी सम्मिलित होगा।}

4{358. किसी विवाद के निपटारे के लिए धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन किसी अभिदेश–

(क) के लिए रु० 25.00 शुल्क अपेक्षित होगा, जहां अभिदेश नियम 229 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता हो और सम्पत्ति का मूल्य या अभिदेश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि 2,500 रु० से अधिक न हो;

....

1,2, 3 एवं 4– अधिसूचना संख्या 3849/49–1–98–7 (11)–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) के साथ सम्पत्ति के मूल्य या अभिदेश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि के एक प्रतिशत की दर पर शुल्क देय होगा, जहां अभिदेश नियम 229 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ), के अन्तर्गत आता हो और सम्पत्ति का मूल्य या अभिदेश में अन्तर्ग्रस्त दावे की धनराशि 2,500 रु० से अधिक हो;

(ग) के साथ रु. 500.00 का शुल्क देय होगा, जहां अभिदेश नियम 229 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अन्तर्गत आता हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ वादी के अनुरोध पर धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन मध्यस्थ मण्डल संघटित किया जाय, वहाँ शुल्क की धनराशि वह होगी जो पूर्ववर्ती संगत खण्ड के अधीन देय हो और उसके अतिरिक्त उसका दस प्रतिशत या पचास रुपये, इसमें जो भी अधिक हो, देय होगा।}

1{359. अपील के ज्ञापन–पत्र–

(क) के लिए कोई शुल्क, अपेक्षित नहीं होगा, जहां अपील धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट निर्णय के विरुद्ध हो,

(ख) के साथ नियम 358 में विनिर्दिष्ट दर की दो गुनी दर पर शुल्क देय होगा, जहाँ अपील अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) या धारा 98 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में अभिदिष्ट अभिनिर्णय के विरुद्ध हो,

(ग) अन्य सभी मामलों में–

(1) जहाँ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सहकारी समितियों का निबन्धक या धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अपर निबन्धक या संयुक्त निबन्धक/उप निबन्धक अपीलीय प्राधिकारी हो, वहां निम्नलिखित दर पर शुल्क देय होगाः

(क) दावे की धनराशि का 2 प्रतिशत, यदि वह धनराशि या सम्पत्ति का दावा हो;

(ख) 200.00 रु० का शुल्क, यदि वह धनराशि या सम्पत्ति का दावा न हो;

(2) 300.00 रु० का शुल्क जहां राज्य सरकार अपीलीय प्राधिकारी हो,

(3) 300.00 रु० का शुल्क जहां सहकारी न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकारी हो;

(4) 150.00 रु० का शुल्क, जहां खण्ड (1) या खण्ड (2) या खण्ड (3) में उल्लिखित प्राधिकारी से भिन्न कोई प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी हो।}

360. धारा 99 के अधीन पुनर्विलोकन के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ नियम 359 में अपील के लिए निर्दिष्ट दर का आधा शुल्क देय होगा।

....

1– अधिसूचना संख्या 3849/49–1–98–7 (11)–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1{361. धारा 101 के अधीन किसी अपील के संक्रमण के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित दरों पर शुल्क देय होगाः

(क) दो सौ पचास रुपये का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिए प्रार्थना–पत्र, धारा 101 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आता हो;

(ख) दो सौ रुपये का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिए प्रार्थना–पत्र, धारा 101 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आता हो;

(ग) एक सौ पचास रुपये का शुल्क, यदि अपील के संक्रमण के लिए प्रार्थना–पत्र, धारा 101 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आता हो।}

2{362. निष्पादन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शुल्क लिया जायेगा :

(क) किसी अभिनिर्णय या आदेश के निष्पादन के निमित्त प्रार्थना–पत्र के लिए–

(1) यदि धनराशि जो वसूल की जानी हो, दो सौ पचास रुपये या उससे कम हो, 10.00 रु०;

(2) यदि धनराशि, जो वसूल की जानी हो, दो सौ पचास रुपये से अधिक हो, तो प्रति सौ रुपये या उसके भाग के लिए 10 पैसे की दर से अतिरिक्त शुल्क, किन्तु अधिक से अधिक पाँच सौ रुपया लिया जायेगा;

(ख) निष्पादन की कार्यवाहियों के अन्तर्गत प्रत्येक नोटिस के लिए 10.00 रु०;

(ग) प्रत्येक निर्णीत–ऋणी की चल सम्पत्ति की कुर्की के लिए 25.00 रु०;

(घ)प्रत्येक बिक्री के लिए बिक्री के पूर्व प्रतिदिन के विज्ञापन के निमित्त डुग्गी पीटने के लिए 20.00 रु०;

(ङ) प्रत्येक बिक्री के विक्रय–शुल्क 25.00 रु०;

(च)बिक्री के विरुद्ध प्रत्येक आपत्ति–याचिका के लिए शुल्क 25.00 रु०;

(छ)प्रत्येक निर्णीत–ऋणी की अचल सम्पत्ति की कुर्की के लिए शुल्क 50.00 रु०;

(ज) अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए शुल्क 50.00 रु०।}

363. अधिनियम या इन नियमों के अधीन शुल्क के रूप में या अन्यथा प्राप्त या वसूल की गई कोई भी धनराशि, राज्य सरकार या निबन्धक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी, निबन्धक शुल्कों तथा अन्य धनराशियों के प्राप्त या वसूल करने की और उन्हें कोषागार में जमा करने की रीति भी निर्दिष्ट कर सकता है।

---

1 एवं 2– अधिसूचना संख्या 3849/49–1–98–7 (11)–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 24

लेखा–पुस्तक अर्थात् रजिस्टर जो सहकारी समिति द्वारा रखे जायेंगे

364. (1) प्रत्येक सहकारी समिति ऐसे प्रपत्र में जिसे निबन्धक समय–समय पर निर्दिष्ट करे, समिति के व्यापार सम्बन्धी लेन–देन अभिलिखित करने के लिए निम्नलिखित लेखा–पुस्तकें तथा रजिस्टर अद्यावधिक रखेगाः

(क) समिति की सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी तथा किन्हीं अन्य समितियों या उपसमितियों की बैठकों की कार्यवाहियां अभिलिखित करने के लिए, कार्यवृत्ति पंजी या पंजियां;

(ख) समिति या सदस्यता के लिए प्रार्थना–पत्रों का रजिस्टर जिसमें प्रार्थी का नाम और पता, प्रार्थित अंशों की संख्या तथा अस्वीकृति की दशा में प्रार्थी को सदस्यता की अस्वीकृति का निर्णय, संसूचित करने का दिनांक दिया होगा;

(ग) सदस्यों का रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक का नाम और पता, सदस्य होने का दिनांक, लिये गये अंश तथा ऐसे अंशों के लिए सदस्य द्वारा भुगतान की गई धनराशि और उनकी सदस्यता समाप्त होने के दिनांक तथा सदस्यता समाप्ति के कारण दिखाये जायेंगे;

(घ) नाम–निर्देशनों का रजिस्टर (जो नियम 77 के अधीन सदस्यों द्वारा दिये गये हैं);

(ङ) सदस्यों के प्रतिनिधियों का रजिस्टर, यदि समिति की सामान्य निकाय प्रतिनिधियों द्वारा संघटित हों;

(च) रोकड़–बही जिसमें दैनिक प्राप्तियां और व्यय तथा अन्त में प्रतिदिन की शेष धनराशि दिखाई जायेगी;

(छ) रसीद–बही;

(ज) समिति के प्रत्येक सदस्य के लिए खाता–बही;

(झ) प्रमाण–पत्र (वाउचर) पत्रावली जिसमें समिति द्वारा किये गये व्यय के लिए समस्त प्रमाणक (वाउचर) क्रमवार संख्यांकित तथा कालानुसार नत्थी किये जायेंगे;

(ञ) सामान्य खाता बही जिसमें दिन–प्रति–दिन विभिन्न शीर्षकों (मदों) के अधीन प्राप्तियां तथा भुगतान और अदत्त धनराशियां दिखायी जायेंगी;

(ट) अधिकारियों तथा पदाधिकारियों का रजिस्टर, जिसमें नियुक्त किये गये प्रतिनिधि, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं;

(ठ) लाभांश का रजिस्टर, सिवाय उन समितियों के जिनके पास कोई अंश पूंजी न हो;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ङ) ऐसी अन्य पुस्तकें और रजिस्टर जो निबन्धक द्वारा समय–समय पर विशेष सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग द्वारा संचालित किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए निर्दिष्ट किये जायें:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सहकारी समिति–

(1) जो ऋण लेती हो या निक्षेप रखती हो, निम्नलिखित भी रखेगी:

(क) उधार–खाता जिसमें निक्षेप तथा अन्य सभी प्रकार के उधार दिखाये जायेंगे; तथा

(ख) अस्थिर साधनों का रजिस्टर;

(2) जो ऋण लेती हो या निक्षेप रखती हो तथा ऋण भी देती हो, निम्नलिखित भी रखेगी:

(क) ऋण–खाता बही, जिसमें ऋण वितरण की संख्या तथा दिनांक, प्रयोजन जिसके लिए ऋण दिया हो तथा दिनांक जिस पर या जिन पर मूलधन की वापसी तथा ब्याज देय हो तथा उसका प्रतिदान किया जाय, दिखाया जायेगा; तथा

(ख) दायित्व रजिस्टर, जिसमें प्रत्येक सदस्य की समिति के प्रति ऋणग्रस्तता दिखाई जायेगी, चाहे वह सीधे उसी के द्वारा लिए गये ऋणों के लिए हो या किसी ऋण का प्रतिभू होने के कारण हो;

(3) जो असीमित दायित्व वाली हो, वह ऐसा भी रजिस्टर रखेगी जिसमें सदस्यों के सम्पत्ति सम्बन्धी ऐसे विवरण– पत्र दिये जायेंगे जिनमें प्रत्येक सामान्य सदस्य की उसके सदस्य होने के दिनांक पर, परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का और भूमि के गाटों (प्लाट्स) की खसरा संख्या सहित, सम्पत्ति का पूर्ण विवरण दिया गया हो; ये विवरण–पत्र जब भी आवश्यक हों और तब और किसी भी दशा में, तीन सहकारी वर्षों में कम से कम एक बार यथाविधि सत्यापित किये जायेंगे।

(2) (क) कोई भी सहकारी समिति ऐसे किसी आगम विलेख, अनुबन्ध–पत्र या ठेके के विलेख, प्रमाणक (वाउचर), लेखा–पुस्तक या अन्य किसी ऐसे अभिलेख की छंटनी नहीं करेगी, जो संपरीक्षण, निरीक्षण या जांच के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो।

(ख) समिति की प्रबन्ध कमेटी उपखण्ड (क) में उल्लिखित अभिलेखों से भिन्न अन्य अभिलेखों की छंटनी, किसी संकल्प द्वारा, निबन्धक की पूर्व स्वीकृति को लेकर कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी अभिलेख की छंटनी नहीं की जायेगी, जो उस लेन–देन या व्यवहार से सम्बन्धित हो, जो अभिलेखों की छंटनी करने के लिए प्रबन्ध कमेटी द्वारा पारित किये गये संकल्प के दिनांक से पूर्व, पांच वर्ष के भीतर किये गये हों;

(ग) निबन्धक उप–खण्ड (ख) के अधीन अभिलेखों को छंटनी करने के लिए अपनी स्वीकृति देने से पूर्व, सम्बद्ध क्षेत्रीय सम्परीक्षा अधिकारी से यह सुनिश्चित कर लेगा कि उस अवधि के लिए जिसमें अभिलेख सम्बन्धित है, कोई संपरीक्षण सम्बन्धी अनुपालन शेष नहीं है।

365. निबन्धक, लिखित आदेश द्वारा किसी सहकारी समिति को किसी भी या सभी लेखा पुस्तकों तथा रजिस्टरों को, ऐसे दिनांक तक, प्रपत्र में तथा ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, पूरा करने का निदेश दे सकता है। समिति द्वारा ऐसा न कर सकने की चूक करने की दशा में, निबन्धक उक्त लेखा पुस्तकों तथा रजिस्टरों को पूरा कराने में समिति के सचिव की सहायता के लिए किसी भी व्यक्ति को तैनात कर सकता है।

366. यदि नियम 365 के अधीन निबन्धक द्वारा तैनात किये गये व्यक्ति की सहायता से लेखा पुस्तकें पूरी कराई जाये, तो उस दशा में निबन्धक उक्त कार्य में लगे समय और श्रम को देखते हुए ऐसे व्यय की धनराशि अवधारित करने के लिए सक्षम होगा, जिसका भुगतान सम्बद्ध समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त व्यय की धनराशि के भुगतान में चूक करने की दशा में, उसे मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा और समिति को यह धनराशि उस व्यक्ति से पाने का अधिकार होगा जिसका कर्तव्य ऐसे लेखों को रखना हो।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 25

सहकारी समितियों द्वारा जो विवरण—पत्र, प्रतिवेदन, विवरणियां तथा सूचना प्रस्तुत करना है

367. प्रत्येक सहकारी समिति, प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए निम्नलिखित तैयार करेगी :

(क) एक राजस्व—विवरण पत्र जिसमें वर्ष के दौरान में समिति की प्राप्तियां और संवितरण दिखाये जायेंगे;

(ख) रोकड़—पत्र, जिसमें समिति की परिसम्पत्तियां और दायित्व, जैसे ये 30 जून को हों, दिखाये जायेंगे;

(ग) लाभ—हानि का विवरण—पत्र जिसमें वर्ष के दौरान में समिति का लाभ तथा हानि दिखाया जायेगा;

(घ) पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ के निस्तारण के सम्बन्ध में विवरण—पत्र; और

(ङ) ऐसे अन्य विवरण—पत्र या विवरणियां जो निबन्धक द्वारा समय—समय पर निर्दिष्ट की जायें।

368. सहकारी समिति नियम 367 में उल्लिखित विवरण—पत्र तथा विवरणियां, उस सहकारी वर्ष की जिससे सम्बन्धित विवरण—पत्र तथा विवरणियां हों, समाप्ति से एक माह के भीतर तैयार करेगी।

369. प्रत्येक सहकारी समिति नियम 367 और 368 में उल्लिखित विवरण—पत्र तथा विवरणियों की, प्रतियां निबन्धक को ऐसे प्रपत्र और उतनी संख्या में तथा उस दिनांक तक जो निबन्धक द्वारा निश्चित किये जायें, प्रस्तुत करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रारम्भिक सहकारी समितियों की दशा में, जो केंद्रीय बैंक की सदस्य हो, उक्त विवरण—पत्रों तथा विवरणियों की प्रतियां केंद्रीय बैंक को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें निबन्धक द्वारा नियत प्रपत्र में समेकित करेगा और उक्त समेकन निबन्धक को प्रस्तुत करेगा।

370. पूर्ववर्ती नियमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए, निबन्धक को ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, ऐसी नकद धनराशि और स्टाक की (जैसे सहकारी वर्ष की समाप्ति पर हो) निबन्धक द्वारा निर्धारित रीति से, यदि कोई हो, की गई जांच का एक विवरण—पत्र प्रस्तुत करेगी।

371. सहकारी समिति निबन्धक या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जैसा निबन्धक समय—समय पर निदेश दे, ऐसे अन्य विवरण—पत्र, प्रतिवेदन या विवरणियां ऐसे प्रपत्र में और ऐसे दिनांक तक जो निबन्धक द्वारा निश्चित किये जायें, भी प्रस्तुत करेगी।

372. किसी सहकारी समिति द्वारा पूर्ववर्ती नियमों में निर्दिष्ट किसी विवरण—पत्र, प्रतिवेदन या विवरणी को उनको प्रस्तुत करने के लिए निश्चित समय के भीतर, प्रस्तुत न करने पर, निबन्धक आवश्यक विवरण—पत्र, प्रतिवेदन या विवरणियां तैयार करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार कर सकता है। ऐसी दशा में नियम 366 के उपबन्ध लागू होंगे।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 26

लेख्यों का निरीक्षण और उनकी प्रामाणिक प्रतियां देना

373. 1{(क) किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को, निबन्धक के कार्यालय में दाखिल किये किसी सार्वजनिक लेख्यों का जिसके अन्तर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123, 124, 129 और 131 के अधीन विशेषाधिकृत सार्वजनिक लेख्य नहीं है, निरीक्षण के प्रत्येक अवसर पर, तीस रुपये का शुल्क देने पर निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।}

(ख) उपनियम (क) के अधीन निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि ऐसा प्रार्थना–पत्र निबन्धक को न दिया गया हो जिसमें निरीक्षण किये जाने वाले लेख्य और निरीक्षण करने का प्रयोजन न दिया गया हो और निबन्धक का इस बात से समाधान न हो जाय कि निरीक्षण के लिए प्रार्थना–पत्र देने वाला व्यक्ति किसी मामले में किसी भी बात के निवारण के लिए या किसी अन्य वैध प्रयोजन के लिए निरीक्षण करना चाहता है, जिसमें उसका हित है।

2{374. (क) कोई भी व्यक्ति, उपनियम (घ) में निर्दिष्ट दर पर शुल्क का भुगतान करके निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक के कार्यालय में दाखिल किये गये किसी सार्वजनिक लेख्य की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। सार्वजनिक लेख्य के अन्तर्गत निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष अथवा अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक के निर्णय, आदेश या अभिनिर्णय भी होंगे।

(ख) उपनियम (क) के अधीन तब तक कोई प्रतिलिपि नहीं दी जायेगी जब तक कि यथास्थिति, निबन्धक, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक का यह समाधान न हो जाय कि ऐसी प्रतिलिपि के लिए प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति, उसे किसी ऐसे मामले में जिसमें उसका हित हो, किसी प्रकार के निवारण के लिए या किसी अन्य विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए अपेक्षा करता हो।

(ग) इस नियम के अधीन दी गयी प्रमाणित प्रतिलिपि पर यथास्थिति निबन्धक, मध्यस्थ, मध्यस्थ मण्डल के अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकारी या परिसमापक की मुहर होगी और हस्ताक्षर होगा।

3{(घ) इस नियम के अधीन लेख्य की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित दर से शुल्क लिया जायेगाः

(क) किसी सहकारी सामति के निबन्धन के लिए प्रार्थना–पत्र 25.00 रुपये;

(ख) किसी सहकारी समिति के निबन्धन के लिए प्रमाण–पत्र 25.00 रुपये;

(ग) किसी सहकारी समिति की निबद्ध उपविधियाँ 2.00 प्रति पृष्ठ किन्तु कम से कम पचीस रुपये;

....

1 एवं 3– अधिसूचना संख्या 3849/49–1–98–7(11)–97, दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

2– अधिसूचना संख्या 3723/ 12–सी०–1–81–7 (3)– 1977, दिनांक 7 नवम्बर, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) किसी सहकारी समिति की उपविधियों का संशोधन 2.00 रु० प्रति संशोधित उपविधि किन्तु कम से कम पच्चीस रुपये

(ङ) कोई अन्य लेख्य 5.00 रु० प्रति पृष्ठ किन्तु कम से कम पच्चीस रुपये}

375. धारा 115 के प्रयोजन के लिए, किसी सहकारी समिति की बहियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां यथाविधि प्रमाणित समझी जायेंगी, यदि समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य द्वारा या उसके निर्देशाधीन तैयार की जायें और उसके द्वारा तथा समिति के सभापति या उपसभापित या सचिव द्वारा ठीक प्रमाणित की जायें:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि पर समिति की मुहर अवश्य होगी। समिति ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपियां जारी करने के लिए, ऐसे शुल्क ले सकती है जो समिति की उपविधियों में निर्धारित हों।

376. किसी सहकारी समिति का कोई सदस्य, कार्यालय के घंटों में किसी समय समिति के सचिव को प्रार्थना—पत्र देकर और समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट दर पर समिति को शुल्क देकर, या तो स्वंय अथवा किसी एजेन्ट द्वारा जो समिति का सदस्य होगा और तदर्थ लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत होगा, समिति के लेखों तथा अभिलेखों का केवल उतना निरीक्षण कर सकता है, जहां तक उनका सम्बन्ध समिति के साथ प्रार्थी—सदस्य के व्यवहारों का हो।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 27

अवैतनिक आयोजकों तथा अवैतनिक प्रबन्धकों के कर्तव्य तथा कृत्य और भत्तों तथा मानदेय का भुगतान

377. अवैतनिक आयोजक किसी समिति के संघटन के दौरान में अपने द्वारा प्राप्त प्रत्येक धनराशि के लिए वैध रसीद देगा। वह आय तथा व्यय का उचित लेखा रखेगा और सभी प्रतियां निबन्धक के आदेशानुसार स्थानीय जिला या केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा करेगा। वह अपने द्वारा अपने आदेश के अधीन प्राप्त ऐसी धनराशि के लिये, जिसका उचित रूप में लेखा न रखा गया हो, जिम्मेदार होगा।

378. कोई अवैतनिक आयोजक किसी समिति के संघटन के दौरान से अपने द्वारा की गयी सेवाओं या अपने वैयक्तिक श्रम के लिये कोई धनराशि, सिवाय ऐसी धनराशि के जो समिति के निबन्धन के पश्चात् निर्मित प्रबन्ध कमेटी के निबन्धक के अनुमोदन से स्वीकृत करें, नहीं लेगा। संघटन के दौरान किया गया कोई व्यय तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह उपर्युक्त कमेटी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये।अवैतनिक आयोजक ऐसी व्यय की गई धनराशि को, जो उपर्युक्त प्रवन्ध कमेटी द्वारा न हो, वापस करने के लिये जिम्मेदार होगा।

379. कोई अवैतनिक आयोजक प्रस्तावित समिति की ओर से न तो कोईकारोबार करेगा और न समिति की ओर से कोई दायित्व लेगा।

380. कोई आयोजक, पूर्ववर्ती नियमों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(1) समिति के निबन्धन के लिए प्रार्थना पत्र का प्रपत्र और समिति द्वाराअंगीकार की जाने वाली उपविधियां प्राप्त करेगा;

(2) उन व्यक्तियों को जो समिति के सदस्य बनने के इच्छुक हों, प्रस्तावित समिति के उद्देश्य तथा उसकी योजना और सहकारिता के मुख्य सिद्धात स्पष्ट करेंगा;

(3) समिति की उपविधियों, उसकी कार्य योजना पर वाद—विवाद करने और उसे अंगीकार करने के लिए और निबन्धक के लिये प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने के निमित्त मुख्य प्रवर्तक तथा प्रथम हस्ताक्षरी को नियुक्त करने के लिये इच्छुक सदस्यों को संघटन सम्बन्धी बैठकें आयोजित करेगा;

(4) निबन्धन के लिए प्रार्थना पत्र भरेगा और संगठन प्रतिवेदन और अन्य विवरण पत्र उसके सम्बन्ध में तैयार करेगा जो समिति के निबन्धन के लिये आवश्यक हो;

(5) निबन्धन की ऐसी अन्य सूची प्रस्तुत करेगा जो संगठन प्रक्रिया के दौरान तथा विवरणियों में निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो;

(6) समिति के निबन्धन के पश्चात् निर्मित प्रबन्ध कमेटी की आय तथा व्यय के लेखे प्रस्तुत करेगा; और

(7 प्रस्तावित समिति के सभी पत्रादि तथा सम्पत्ति, यदि कोई हो, का भार नियम 5 में अभिदिष्ट प्रथम हस्ताक्षरी को सौपेंगा।

381. जब कोई व्यक्ति किसी सहकारी समिति का अवैतनिक प्रबन्धक नियुक्त किया जाये तो उसकी नियुक्ति की शर्ते नियुक्ति के आदेश में निर्दिष्ट होंगी। वह प्रबन्धक के लिए समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट या समिति के सामान्य निकाय अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित सभी कर्तव्यो का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन और समिति के सचिव के नियन्त्रण और अधीक्षक के अधीन कार्य करेगा।

382 कोई अवैतनिक प्रबन्धक समिति के लिए की गई अपनी सेवाओं के प्रति न तो कोई नियमित पारिश्रमिक लेगा और न स्वीकार करेगा किन्तु वह उस मानदेय का हकदार हो सकता है जो समिति के अधिकारियों को अधिनियम, इन नियमावली या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन ग्राहय हो। ऐसा अवैतनिक प्रबन्धक न तो समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होगा और न ही उसे समिति की सेवा में समझा जायेगा।

383. किसी समिति के सभापति, उपसभापति या प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य को कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

384. किसी सहकारी समिति के कर्मचारी अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की, सिवाय निबन्धक की सामान्य अथवा विशेष अनुज्ञा, समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

385. किसी सहकारी समिति का प्रतिनिधि उस केन्द्रीय सहकारी समिति के, जिसकी सदस्य उसकी समिति हो, सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी समिति से यात्रा भत्ता पायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि उसे यात्रा भत्ता तभी दिया जायेगा जब केन्द्रीय समिति द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाये कि वह सामान्य निकाय की उक्त बैठक में उपस्थित हुआ था।

386. कोई भी सहकारी समिति किसी सदस्य, प्रतिनिधि या अधिकारी को यात्रा भत्ता की जब तक अनुज्ञा न देगी जब तक कि यात्रा भत्ता बिल निबन्धक द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र में यथाविधि न प्रस्तुत किया जाये और जब तक कि उसके साथ आवश्यक प्रमाण पत्र न हों।

387.(क) यात्रा भत्ता के दावे में निम्नलिखित होगा–

(1) जिस श्रेणी में वास्तव में यात्रा की जाये उसका किराया, किन्तु उस श्रेणी से अधिक का नहीं जिसके लिए दावेदार उपनियम (ग) के अधीन हकदार हो।

(2) प्रासंगिक व्यय जो उस श्रेणी के जिसके लिए दावेदार (ग) के अधीन हकदार हो, किराये के आधे के बराबर धनराशि, यदि यात्रा हवाई जहाज द्वारा अथवा वातानुकूलित श्रेणी में रेल द्वारा न की जाये।

(3) दैनिक भत्ता जैसा नियम 388 में व्यवस्थित हो।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) उपनियम (क) के खण्ड (2) में की गयी प्रासंगिक व्यवस्था के कारण रेलवे/बस स्टेशन से कैम्प की ओर वहां से वापसी के लिए सड़क भत्ता के लिए कोई व्यय नहीं दिया जायेगा।

(ग) निबन्धक के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुये, कोई सहकारी समिति अपनी वित्तीय स्थिति और कार्यकारी पूंजी को ध्यान में रखकर ही उस श्रेणी का निश्चित करेगी जिसमें उसकी प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, प्रतिनिधि तथा अधिकारी सहकारी वर्ष के दौरान यात्रा करने के हकदार होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि वह श्रेणी निम्नलिखित से ऊंची न होगीः

(1) द्वितीय श्रेणी उस सहकारी समिति की दशा में, जिसकी कार्यकारी पूंजी पूर्ववर्ती 30 जून को पांच लाख रूपये से कम हो;

(2) प्रथम श्रेणी, किसी अन्य सहकारी समिति की दशा मेंः

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि नियम 388 के उपनियम (ख) के खण्ड (1) के अन्तर्गत अपने वाली सहकारी समिति अपने अधिकारियों को वातानुकूलित कोच द्वारा हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने की अनुज्ञा दे सकती है।

(घ) यदि यात्रा किसी ऐसी गाड़ी में जिसके लिए किराया या चालान व्यय दिया गया हो, सड़क से की गई हो तो व्यक्ति, उपनियम (क) के खण्ड (2) में उल्लिखित प्रासंगिक व्यय के अतिरिक्त किराये का जिसके लिए वह उपनियम (ग) के अधीन हकदार हो, हकदारहोगा।

(ङ) यात्रा भत्ता या तो उसके दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा वास्तव में की गयी यात्रा की दूरी या बैठक के स्थान और उसके निवास स्थान के बीच की दूरी, उसमें जो भी कम हो, के लिए दिया जायेगा।

(च) इस नियमावली में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी सदस्य को ऐसी समिति के, जिसका वह सदस्य हो, सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता ग्राह्रय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– शब्द "श्रेणी" का तात्पर्य उस श्रेणी से है, जिससे रेल/बस द्वारा यात्रा की जाये।

1{388 (क) किसी सहकारी समिति द्वारा प्रत्येक दिवस के कारबार के लिए दैनिक भत्ता उप नियम (ख) में विनिर्दिष्ट दर से अनधिकदर पर अनुज्ञात किया जा सकता है।

(ख) उपनियम (क) के प्रयोजन के लिये दैनिक भत्ता की दर निम्नलिखित अधिकतम सीमाओं के अध्यधीन होगीः

---

1. अधिसूचना संख्या–1427/49–1–2021–8(56)–13टी0सी0–बी दिनांक 03 दिसम्बर 2021{उ0प्र0 सहकारी समिति (अठावनवां संशोधन)नियमावली 2021} द्वारा संशोधित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(एक) शीर्ष सहकारी समिति और ऐसी अन्य समितियों की स्थिति में जैसा कि निबन्धक उसके वित्तीय तथा कारबार की दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किसी शीर्ष समिति के सममूल्य के अनुसार अधिसूचित करें, चार सौ पचास रूपये प्रतिदिनः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष समिति की स्थिति में कारबार के पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दिवस के लिये भी दैनिक भत्ता उक्त दर पर अनुज्ञेय होगाः

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कारबार दिवस, कारबार दिवस नहीं होगा;

(दो) केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में, दो सौ पच्चीस रूपये प्रतिदिन;

(तीन) प्रारम्भिक कृषि सहकारी समिति की स्थिति में नब्बे रूपये प्रतिदिन;

(चार) किसी अन्य सहकारी समिति की स्थिति में एक सौ अस्सी रूपये प्रतिदिन।

(ग)यात्रा भत्ता के प्रयोजनों के लिये किसी श्रेणी की समिति के सम्बन्ध में कोई संदेह होने की स्थिति में निबंधक की राय अंतिम होगी।

389.(क) किसीभी यात्रा के लिए एक से अधिक स्रोत से यात्रा भत्ता जिसमें दैनिक भत्ता सम्मिलित है अनुज्ञेय नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो किसी विशिष्ट सहकारी समिति से यात्रा भत्ता का दावा करे, यात्रा भत्ता बिल के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा

कि उसने उसी श्रेणी में यात्रा की है जिसके लिए बिल में चार्ज किया गया है और बिल में उल्लिखित यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का न तो दावा किया गया और न किसी अन्य स्रोत से लिया गया है।

(ख) कोई अन्य विषय जोयात्रा और दैनिक भत्तों से सम्बन्धित हो और इन नियमों के अन्तर्गत नआता हो. इस विषय पर संगत सहकारी नियमों से नियन्त्रित होगा।

389.क राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके धारा 122 के अधीन प्राधिकारी या प्राधिकारियों का संघटन कर सकती है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय 28

विविध

390. राज्य सरकार, राज्य की समस्त शीर्ष–स्तर की सहकारी समितियों के सभापतियों से परामर्श करने के पश्चात् धारा 123 के प्रयोजन के लिए गजट में विज्ञप्ति द्वारा–

(क) प्रत्येक ऐसी शीर्ष स्तर समिति को उन समितियों के सम्बन्ध में जो शीर्ष समिति से (या ऐसी समिति से सम्बन्धित हो जो शीर्ष समिति से सम्बद्ध हो) और जो राज्य सरकार की राय में उसी प्रकार का कारोबार या कार्य करती हो जैसा शीर्ष समिति का हो, सहकारी संघ प्राधिकारी के रूप में; या

(ख) (1) उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (यू० पी० सी० पू०) को समस्त कृषि ऋण समितियों (जिसके अन्तर्गत उनके केंद्रीय बैंक भी है) के लिए और ऐसी अन्य समितियों या समितियों के वर्ग के लिए भी, जो विज्ञप्ति में उल्लिखित की जाय, सहकारी संघ प्राधिकारी के रूप में, और

(2) एक या अधिक समुचित शीर्ष स्तर की समितियों को सहकारी संघ प्राधिकारी या प्राधिकारी के रूप में, मान्यता दे सकती है।

391 (क) निबंधक धारा 123 की उपधारा (2) के अधीन समितियों के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में व्यय के लिए सहकारी समितियों द्वारा दिया जाने वाला अंशदान निश्चित कर सकता है। यदि ऐसा अंशदान (जिसे आगे अंशदान शुल्क कहा गया है) किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध सहकारी समितियों द्वारा किया जाय तो निबन्धक केन्द्रीय बैंक को सम्बद्ध समितियों की ओर से पर्यवेक्षण शुल्क देने का आदेश दे सकता है। तदुपरान्त बैंक ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा।

(ख) यदि कोई केन्द्रीय सहकारी बैंक उपनियम (क) के अधीन ऐसे सहकारी समितियों की ओर से जो उससे सम्बद्ध हो, पर्यवेक्षण शुल्क दे तो ऐसा बैंक सम्बद्ध सहकारी समितियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उसे वसूल करने का हकदार होगाः

(1) किसी ऐसी समिति से, जिसकी पिछले 30 जून को स्वाधिकृत पूंजी अपनी चालू पूंजी के 60 प्रतिशत से कम हो, कोई भी पर्यवेक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि निबन्धक आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसी अवधि के लिए जैसा वह आदेश में निर्दिष्ट करे, ऐसी समितियों में पर्यवेक्षण शुल्क वसूल करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसकी स्वाधिकृत पूंजी अपनी कार्यवाहक पूंजी के 30 प्रतिशत से कम न हो;

(2) लिए जाने वाले पर्यवेक्षण शुल्क की दर, पिछले सहकारी वर्ष के दौरान ऐसी समिति द्वारा अर्जित ब्याज के बीसवें भाग से अधिक न होगी। और

(3) ली गयी धनराशि बैंक द्वारा दी गयी धनराशि से अधिक न होगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) निबन्धक, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग पर लगाये गये पर्यवेक्षण शुल्क का पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान करने से मुक्ति दे सकता है, तदुपरान्त बैंक मुक्त की गयी धनराशि वसूल नहीं करेगा।

392. (क) यदि कोई सहकारी समिति धारा 131 की उपधारा (7) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का पुनः संगठन न करे तो निबन्धक, समिति को उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी प्रबन्ध कमेटी का पुनः संगठन करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों में से जो नियमों तथा समिति की उपविधियों के अधीन प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए अर्ह हों, नाम–निर्देशन द्वारा समिति की प्रबन्ध कमेटी संघटित कर सकता है।

(ख) यदि प्रबन्ध कमेटी उपनियम (क) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट की जाय तो निबन्धक ऐसे नाम निर्देशन के छः माह के भीतर, समिति के लिए उतनी संख्या में सदस्यों के जितने समिति की उपविधियों के अधीन निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित हो, निर्वाचन के लिए समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलायेगा, इस प्रकार हुए निर्वाचन के परिणामस्वरूप पुनः संघटित प्रबन्ध कमेटी उपनियम (क) के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट कमेटी का स्थान लेगी।

(ग) उपनियम (क) के नाम निर्दिष्ट प्रबन्ध कमेटी नियम 437 में निर्धारित रीति से अपनी प्रथम बैठक में अपने में से समिति का एक सभापति तथा उप–सभापति निर्वाचित करेगी। इस प्रकार निर्वाचित सभापित तथा उप–सभापति का कार्यकाल उतना ही होगा जितना नाम निर्दिष्ट प्रबन्ध कमेटी का हो।

1{393. (1) किसी शीर्ष समिति से भिन्न कोई सहकारी समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी में उतने व्यक्ति रख सकती है, जितने के लिए उसकी उपविधियों में अधिकतम पन्द्रह व्यक्तियों के अध्यधीन व्यवस्था की गयी है। किसी शीर्ष समिति के मामले में अधिकतम संख्या सत्रह तक हो सकती है। समिति की कोई अन्य कमेटी या उप कमेटी उसकी प्रबन्ध कमेटी से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी कमेटी या उप कमेटी में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में चार स्थान आरक्षित होंगे, जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति के लिए और एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिए तथा दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा :

प्रतिबन्ध यह और है कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 9 से कम नहीं होगी।

(2) जहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई सहकारी समिति चाहे किन्हीं भी कारणों से प्रबन्ध कमेटी में उतनी संख्या में व्यक्तियों का निर्वाचन करने में विफल रहती है जिनके लिये स्थान आरक्षित है वहां राज्य सरकार द्वारा या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में ऐसे वर्गों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करके यथास्थिति, कमी को भरा जा सकता है या पूर्ति की जा सकती है।}

....

1. अधिसूचना संख्या 1605/49–1–2017–08 (56)–13, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 (3. प्र. सहकारी समि) नियमावली, 2017) द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1{393–क. (• • •)}

2{393–ख.(• • •)}

3{393–ग. (• • •)}

4{394. किसी सहकारी समिति की सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी द्वारा पारित कोई भी संकल्प, यथास्थिति, ऐसी सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी द्वारा उक्त संकल्प पारित होने के दिनांक से छः महीने के भीतर, निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना विखंडित, परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जायेगा।}

395. अधिनियम या नियमावली के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रत्येक नोटिस या आदेशिका लिखित होगी तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा या उक्त प्राधिकारी द्वारा यथाविधि तदर्थ प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और उसे जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर, यदि कोई हो, लगाकर प्रमाणित की जायेगी।

396. कोई भी सहकारी समिति, समिति के किसी भी भूगृहादि या उसके भाग को, जो समिति के कारोबार के लिए हो या ऐसे कारोबार या उससे सम्बद्ध कार्यों से भिन्न किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न तो प्रयुक्त करेगी और न प्रयुक्त करने की अनुमति देगी।

397. कोई भी सहकारी समिति निबन्धक की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी समिति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदारी नहीं करेगी। भागीदारी की शर्तें भी अनुबन्ध निष्पादित करने के पूर्व निबन्धक से अनुमोदित करानी होगी। निष्पादित भागीदारी अनुबन्ध की एक प्रतिलिपि निबन्धक को प्रस्तुत की जायेगी।

5{398. धारा 103 की उपधारा (1) के खण्ड (8) के अधीन, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि अधिनियम के अधीन यह एक अपराध होगा, यदि–

(क) किसी सहकारी समिति का कोई अधिकारी या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य किसी उपविधि के प्रस्तावित संशोधन पर नियम 28 के उपनियम (3) के उल्लंघन में कार्य करता है;

(ख) किसी सहकारी समिति द्वारा पता बदल दिये जाने की स्थिति में समिति का सचिव नियम 35 के उपनियम (क) या (ख) के अधीन यथा अपेक्षित कार्यवाही करने में विफल रहता है;

....

1 व 2. अधिसूचना संख्या 1605/49–1–2017–08 (56) – 13, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 (उ० प्र० सहकारी समिति तिरपनवाँ संशोधन नियमावली, 2017 द्वारा नियम 393–क एवं 393–ख निकाल दिए गए।

3. अधिसूचना संख्या 3815/सी–1–77–7(5)–1977, दिनांक 24 दिसम्बर,1977 द्वारा नियम 393–ग निकाल दिया गया।

4. अधिसूचना संख्या 196/सी–12सी० ए०–5 (1)–69–बी०, दिनांक 15 जून, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

5. अधिसूचना संख्या 1605/49–1–2017–08 (56) – 13, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 (उ० प्र० सहकारी समिति तिरपनवाँ संशोधन नियमावली, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) कोई व्यक्ति, नियम 337 के उपनियम (4) के अधीन वसूली अधिकारी के आदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है;

(घ) सहकारी समिति का सचिव/प्रबन्ध निदेशक या कोई अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014 के नियम 11 और नियम 26 के अधीन सूचना एवं अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(ङ)कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति का निर्वाचन लड़ना चाहे, कपट या दुर्व्यपदेशन से नामांकन पत्र दाखिल करता है;

(च) समिति का कोई अधिकारी, निर्वाचन के सम्बन्ध में उपगत व्ययों का भुगतान करने में विफल रहता है;

(छ) सचिव या प्रबन्ध निदेशक, निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथा निर्देशित विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित सूचियां तैयार कराने में विफल रहता है।}

399. किसी सहकारी ऋण–समिति का कोई सदस्य अथवा कोई व्यक्ति, जो किसी सहकारी ऋण समिति की सदस्यता के लिए प्रार्थी हो, ऐसी समिति को अपनी वित्तीय स्थिति की सूचना ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जो निबन्धक द्वारा नियत किया जाय और जब कभी वह अपनी अचल सम्पत्ति संक्रमित या हस्तान्तरित करे तो उसकी सूचना भी तुरन्त समिति को देगा।

400. कोई भी समिति अपने उद्देश्यों में या विचारार्थ अथवा विमर्श हेतु ऐसे विषय को सम्मिलित न करेगी जिससे समिति या उसके सदस्यों के बीच या समिति तथा सदस्यों के बीच कोई साम्प्रदायिक, धार्मिक या राजनैतिक विवाद उत्पन्न हो जाने की सम्भावना हो।

401. (1) कोई भी सहकारी समिति किसी भी कार्यवाही या वाद के, जिसमें वह स्वयं कोई पक्ष न हो, व्ययों को वहन न करेगी, और

(2) इस प्रकार की कार्यवाहियों और वाद स्वरूप समिति के हितों पर इनका प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

....

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 2

समितियों के सम्बन्ध में निर्वाचन नियम

1{ **नियम 420, 424, 425, 427 428 एवं 431** अधिसूचना संख्या–2700/49–1–94–7(1)/94 दिनांक 15 जुलाई 1994 द्वारा

तथा

नियम 407 से 419, नियम 421 से 423, 426, 429, 430 एवं 432–अधिसूचना संख्या–1605/49–1–2017–08(56)–13 दिनांक 08 सितम्बर 2017 उ0प्र0 सहकारी समिति (तिरपनवां संशोधन) नियमावली 2017 द्वारा निकाल दिए गए हैं।}

————————————————————

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 3

समामेलन, विभाजन, अवक्रान्ति तथा अन्य आकस्मिकताओं की दशा में प्रबन्ध कमेटी का संघटन

433. एक या अधिक सहकारी समितियों के किसी अन्य सहकारी समिति में विलयन की स्थिति में पश्चात्वर्ती समिति की प्रबन्ध कमेटी पद धारण किये रहेगी जब तक कि अधिनियम नियमावली और समिति की उपविधियों के अनुसार नयी समिति संगठित न हो जाये।

434. यदि दो या अधिक सहकारी समितियो के समामेलन से एक नयी सहकारी समिति बनाई जाये तो निबन्धक नई समिति और उसकी उपविधियों का निबन्धन करते समय, प्रबन्ध कमेटी के कर्तव्यो का पालन करने के लिए एक अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी भी नाम निर्दिष्ट करेगा जब तक नियमों और समिति के उपविधियों के अनुसार नियमित प्रबन्ध कमेटी संगठित न हो जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी इस प्रकार संगठित की जायेगी कि यथासम्भव समामेलित होने वाली समितियों का उसमें सम्यक् प्रतिनिधित्व हो सके।

435. जहाँ किसी सहकारी समिति का दो या दो से अधिक समितियों में विभाजन किया जाये, वहॉ निबन्धक, नई समितियों और उसकी उपविधियों का निबन्धन करते समय, ऐसी प्रत्येक समिति की अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी भी नाम निर्दिष्ट करेगा। किसी समिति की अन्तरिम कमेटी तब तक कार्य करेगी जब तक कि नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार नियमित प्रबन्ध कमेटी संगठित न हो जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी इस प्रकार संगठित की जायेगी कि जो व्यक्ति नव निबन्धित समिति के प्रवर्तन के क्षेत्र के भीतर स्थायी रूप से निवास करते हैं और विभाजित समिति की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्य हैं, उन्हे नव निबन्धित समिति की अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नव निबन्धित समिति कोई जिला सहकारी बैंक है तो जिला सहायक निबन्धक और उप निदेशक (कृषि प्रसार) और जिला विकास अधिकारी भी यथासंगठित उक्त नव निबन्धित समिति की अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी के पदेन सदस्य नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे।

436. जहाँ कोई कमेटी–

(1) धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त की गयी हो और सदस्यों की संख्या दो से अधिक हो, या

(2) नियम 434 या नियम 435 के अधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट की गयी हो,

वहां प्रत्येक ऐसी कमेटियों के यथास्थिति, नियुक्त या नाम निर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य, नियम 437 में दी गई रीति से अपने में से सभापति और उप–सभापति का निर्वाचन करेंगे।

437. नियम 436 के अधीन सभापति तथा उप–सभापति के निर्वाचन के लिए, उम्मीदवारों के नाम निर्देशन बैठक में ही आमन्त्रित किये जायेंगे। नाम वापस लेने के पश्चात् यदि कोई हो, निर्वाचन हाथ उठाकर होगा। बराबर–बराबर मत होने की दशा में मामले का निर्णय पर्ची डाल कर किया जायेगा। बैठक की अध्यक्षता कमेटी का कोई एक सदस्य करेगा जो इस प्रयोजन के लिए चुना जायेगा।

438. जहाँ किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी न रह जाये या कार्य करना बन्द कर दे या धारा 71 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 100 के अधीन समिति के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिए विवादकालीन आदेश पारित होने के फलस्वरूप अन्तरिम व्यवस्था करना अपेक्षित हो, और आदेश के अनुसरण में निबन्धक द्वारा कोई अन्तरिम कमेटी नियुक्त की गई हो, वहाँ ऐसी अन्तरिम कमेटी नियम 437 के उपबन्धों के अनुसार एक सभापति और उप–सभापति का निर्वाचन करेगी।

1{438. (क) जहॉ नियम 434 435 या 438 के अधीन कोई अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी नियुक्त की जाये, वहां उस अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी नियुक्ति की जाये वहाँ उस अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी या यह उत्तरदायित्वि होगा कि अपने नियुक्ति के छः माह के भीतर निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी का पुर्नगठन की व्यवस्था करे, और ऐसी निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी, अपने गठन पर तत्काल प्रबन्ध कमेटी का स्थान लेगी, परन्तु यह कि असाधारण परिस्थितियों के कारण यदि प्रबन्ध कमेटी के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं या उनका निर्वाचन आयोजित नहीं किया जाता है तो सहकारी समिति के प्रबन्धन के अनुसार निबन्धक का यह कर्तव्य होगा िकवह ऐसी कमेटी में अनधिक छः मास की अवधि तक के लिए एक नई अंतरिम प्रबन्ध कमेटी नियुक्त करे।

....

1.अधिसूचना संख्या–1428/49–1–2021–8(56)–13टी0सी0–बी दिनांक 03 दिसम्बर 2021{उ0प्र0 सहकारी समिति (अठावनवां संशोधन)नियमावली 2021} द्वारा संशोधित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग–4

सहकारी समितियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त निर्वाचन नियम

(अधिसूचना संख्या 1605/49–1–2017–08 (56)–13, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 उ.प्र. सहकारी समिति (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 10 द्वारा अध्याय 29 के भाग–4 के नियम 439 से 444 निकाल दिये गये।)

1[444 क. (1) (क) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की संख्या समिति के अधिनियम, उसकी नियमावली और उपविधियों के अनुसार अवधारित की जायेगी। कोई राहकारी समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी में उतनी संख्या में सदस्य निर्वाचित करेगी जितने के लिए अधिनियम, नियमावली या समिति की उपविधियों में उपबंध किया जाये।

(ख) किसी विशिष्ट क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग से प्रवन्ध कमेटी के लिए या समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि का निर्वाचन लड़ने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, उस क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र या सदस्यों के वर्ग के सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि क्रय–विक्रय समिति/जिला थोक उपभोक्ता स्टोर की स्थिति में समिति के अलग–अलग सदस्य और प्रतिनिधि प्रवन्ध कमेटी में अपने–अपने सदस्यों का निर्वाचन, पृथक–पृथक रुप से करेंगे।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रारम्भिक उपभोक्ता समिति की प्रवन्ध कमेटी के सदस्य, सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा संयुक्त रुप से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) (क) क्रय– –विक्रय/प्रक्रिया समिति की प्रवन्ध कमेटी में निम्नलिखित होंगेः

(एक) सदस्य समितियों से दस प्रतिनिधि,यदि कमेटी के अलग–अलग सदस्य के प्रतिनिधि तीन होंः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कमेटी में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाती है तो कमेटी में सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों की संख्या में उस सीमा तक वृद्धि की जायेगी जिस सीमा तक कमेटी में अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की कमी हो।

(दो) अलग–अलग सदस्यों से उतनी संख्या में प्रतिनिधि, जितने इस नियम के उपनियम (5) में दिए गए हैं, किन्तु तीन से अधिक न हों।

---

1. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08(56)–13, 8 सितम्बर, 2017 द्वारा नियम 444–क प्रतिस्थापिता (उ.प्र. सहकारी समिति (तिरपनयाँ संशोधन) नियमावली, 2017)।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(तीन) राज्य सरकार के दो नाम निर्देशिती, यदि राज्य सरकार अंश धारक हो। यदि राज्य सरकार अंश धारक न हो तो राज्य सरकार के नामनिर्देशितियों के लिये तात्पर्यित स्थानों का आवंटन निर्वाचित प्रतिनिधियों को कर दिया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह कि सदस्य समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्थिति में तीन स्थान और अलग–अलग सदस्य प्रतिनिधियों की स्थिति में एक स्थान,यदि अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधि एक से अधिक हों, नियम 393 के उपनियम (1) उपबंधों के अनुसार आरक्षित किये जाएंगेः

प्रतिबन्ध यह और कि सदस्य समितियों में से आरक्षित स्थानों की संख्या उस सीमा तक बढ़ जायेगी जिस सीमा तक अलग–अलग सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या में कमी होगी।

(ख) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में निम्नलिखित होंगेः

(एक) सदस्य समितियों से नौ प्रतिनिधि

(दो) अलग–अलग सदस्यों के दो प्रतिनिधि

प्रतिवन्ध यह है कि यदि अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या शून्य हा जाए या कम हो जाए तो कमेटी में सदस्य–समितियों के स्थानों में उस सीमा तक अलग–अलग सदस्यों हेतु तात्पर्यित स्थानों में कमी होगीः

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 393 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार कम से कम चार स्थान आरक्षित किये जायेंगे जिनमें से एक स्थान, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति के लिए, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिये और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे;

(तीन) धारा 29 की उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन सदस्य समितियों से तीन वृत्तिक व्यक्ति

(चार) राज्य सरकार का एक सरकारी सेवक नामनिर्देशिती, यदि राज्य सरकार अंश धारक हो। यदि सरकार अंशधारक न हो तो राज्य सरकार के नामनिर्देशितियों हेतु तात्पर्यित रथान, निवन्धक के निर्देश के अनुसार प्रवन्ध कमेटी को अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि को आवंटित कर दिया जायेगा।

(खख) जिला सहकारी फेडरेशन में निम्नलिखित होंगेः

(एक) सदस्य समितियों से ग्यारह प्रतिनिधि

(दो) अलग–अलग सदस्यों से दो प्रतिनिधि,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अलग–अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की संख्या शून्य हो जाय या कम हो जाय तो कमेटी में सदस्य समितियों के स्थान उस सीमा तक बढ़ जायेंगे जिस सीमा तक अलग–अलग सदस्यों के लिये तात्पर्यित स्थानों में कमी होगी;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 393 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार कम से कम चार स्थान आरक्षित किये जायेंगे जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों व्यक्ति के लिए, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिए और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(तीन) राज्य सरकार के दो नामनिर्देशितीगण, यदि राज्य सरकार अंश धारक हो। यदि राज्य सरकार अंश धारक न हो तो राज्य सरकार के नामनिर्देशितियों के लिये तात्पर्यित स्थान, निवन्धक के निर्देशों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिये जायेंगे;

(ग) जिला थोक विक्रय उपभोक्ता स्टोर में निम्नलिखित सदस्य होंगेः—

(एक) अलग—अलग सदस्यों से सात प्रतिनिधि

(दो) सदस्य समितियों से छः प्रतिनिधि,

(तीन) राज्य सरकार के दो नामनिर्देशितीगण, यदि राज्य सरकार अंश धारक हो। यदि राज्य सरकार अंश धारक न हो तो राज्य सरकार के नामनिर्देशितियों के लिये तात्पर्यित स्थान, निबंधक के निर्देशों के अनुसार कमेटी के अन्य प्रतिनिधियों को आवंटित कर दिये जायेंगे;

प्रतिबंध यह है कि नियम 393 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार कम से कम चार स्थान आरक्षित किये जायेंगे जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिए और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(4) (एक) क्रय—विक्रय समिति;

(दो) ब्लाक यूनियन;

(तीन) जिला सहकारी फेडरेशन और

(चार) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक के अलग—अलग सदस्य, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) को खण्ड (ख) के अधीन होंगे और अपनी—अपनी समितियों का प्रतिनिधित्व प्रवन्ध कमेटी में निम्नलिखित रुप में करेंगेः

(एक) एक प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 100 या उससे कम है;

(दो) दो प्रतिनिधि यदि सदस्यता 100 से अधिक किन्तु 500 से अधिक नहीं है।

(तीन) तीन प्रतिनिधि, यदि सदस्यता 500 से अधिक है।

प्रतिबन्ध है कि जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी फेडरेशन की प्रबन्ध कमेटी में अलग—अलग सदस्यों के प्रतिनिधियों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसी समितियों का, जो उपनियम (1) के अधीन न आती हों और जिनमें अलग—अलग सदस्य हों, प्रबन्ध कमेटी में प्रतिनिधित्व, समिति की उपविधियों के अनुसार या यदि समितियों की उपविधियों में

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध अन्तर्विष्ट न हो, तो उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार होगा।

(6) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक एवं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक से भिन्न किसी शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी में निम्नलिखित होंगेः

(क) सदस्य समितियों के चौदह प्रतिनिधि जिनमें से चार स्थान, नियम 393 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षित होंगे जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति के लिए, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिए और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे;

(ख) धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार के दो नामनिर्देशिती;

(ग) समिति को वित्तीय सहायता प्रदान कर हरे वित्तीय संस्थान का एक प्रतिनिधि।

(7) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की प्रवन्ध कमेटी में निम्नलिखित होंगेः

(क) अलग–अलग सदस्यों से चौदह प्रतिनिधि जिनमें से चार स्थान नियम 393 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षित किये जायेंगे जिनमें से एक स्थान अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति के लिए, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तिके लिए और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे;

(ख) धारा 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के दो नामनिर्देशितीः

(ग) सहकारी समिति को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे वित्तीय संस्था का एक प्रतिनिधि।

(8) उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की प्रवन्ध कमेटी में निम्नलिखित होंगेः

(क) सदस्य समितियों के बारह प्रतिनिधि, जिनमें रो चार स्थान नियम 393 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार आरक्षित किये जायेंगे जिनमें से एक रथान अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति के लिए, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिए, एक रथान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिए और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे;

(ख) धारा 34 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सरकारी सेवक;

(ग) धारा 29 की उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन सदस्य समितियों से तीन वृत्तिक व्यक्ति;

(घ) राष्ट्रीय बैंक का एक प्रतिनिधि

[1]{ 444–ख, 444–ग तथा 444–घ निकाल दिये गये।}

....

1, अधिसूचना क्रमांक 1605 / 49–1–2017 (उ.प्र.सहकारी समिति (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा नियम 444–ख, 444–ग एवं 414–घ निकाल दिया गया।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग–5

प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल

1{445. नियम 406, 433, 434 और 435 में अन्यथा उपवन्धित के सिवाय, किसी सहकारी समिति का प्रवन्ध कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष होगा, प्रवन्ध कमेटी के किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।}

446. प्रवन्ध कमेटी का कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब कि नाम–निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी की इच्छा हो।

2{447. प्रवन्ध कमेटी का कोई सहयोजित सदरय–

(एक) यदि समिति की उपविधियों के अनुसरण में सहयोजित किया जाय तो, उपविधियों में उपवन्धित अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(दो) यदि धारा 29 की उपधारा (6) के अधीन सहयोजित किया जाय तो प्रबन्ध कमेटी के अन्य सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने तक पद धारण करेगा;

(तीन) यदि नियम 450 के अधीन सहयोजित किया जाये तो उस व्यक्ति के, जिसकी रिक्ति में उसका सहयोजन किया जाये,शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।}

448. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध–कमेटी का कोई पदेन सदस्य (यदि कोई हो), प्रबन्ध–कमेटी में तब तक रहेगा, जब तक कि वह ऐसा पद धारण किए रहे जिनके कारण वह ऐरो सदरय के रुप में नियुक्त या नाम–निर्दिष्ट किया गया हो।

3{449.(1) कोई भी व्यक्ति, किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रुप में निर्वाचित या राहयोजित किये जाने के लिये पात्र न होगा, यदि उसने पूर्ण या आंशिक रुप से दो लगातार कार्यकाल तक समिति में पद धारण किया हो;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा नियम 404 या नियम 434 या नियम 435 या पारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन गठित प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रुप में धारित पदावधि की गणना इस नियम के अधीन अवधि की संगणना के लिये नहीं की जायेगी।

---

1. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08 (56)–13,8 सितम्बर, 2017 उ.प्र. सहकारी समिति (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा प्रतिस्थापन।

2. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08(56)–13, 8 सितम्बर, 2017(उ.प्र.सहकारी समिति (तिरपनवां संशोधन नियामवली, 2017) द्वारा अन्तः स्थापित ।

3. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08(56)–13, 8 सितम्बर, 2017(उ.प्र.सहकारी समिति (तिरपनवां संशोधन नियामवली, 2017) द्वारा अन्तः स्थापित ।

(2) कोई सदस्य से जो कम से कम पांच वर्षों के लिये निरन्तर पद पर न रहा हो, (अर्थात् वह किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न रहा हो) उस समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रुप में निर्वाचन या सहयोजन के लिये पुनः पात्र हो जायेगा।}

1{450. प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, प्रबन्ध कमेटी की किसी आकस्मिक रिक्ति को, उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिनके सम्बन्ध में आकस्मिक रिक्ति हुई हो, नाम–निर्देशन द्वारा भरा जा सकता है, यदि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल उसके मूल कार्यकाल के आधे से कम हो।}

451. यदि प्रबन्ध कमेटी नियम 450 के अधीन रिक्ति को आमेलन द्वारा न भरे, तो निबन्धक, समिति की ऐसी रिक्तियां 30 दिन के भीतर पूरी करने की नोटिस दे सकता है और यदि समिति ऐसा न करे तो निबन्धक कमेटी की सदस्यता के लिए अर्ह व्यक्तियों में से नाम–निर्देशन करके रिक्ति पूरी कर सकता है।

2{452. सभापति और उप–सभापति का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समान होगा।}

———————————

1. अधिसूचना क्रमांक 1605/49–1–2017–08 (56)–13, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 उ.प्र. सहकारी समिति (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 2017 द्वारा प्रतिस्थापन।

2. अधिसूचना क्रमांक 719–एम/49–1–95–7(10)–95, दिनांक 16 नवम्बर, 1995(उ.प्र.सहकारी समिति (तीसवां संशोधन नियामवली, 1995) द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग—6

प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए अनर्हता

453.(1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रवन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि—

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

1{(ग) वह विकृत चित्त हो;}

(घ) उसे, निबन्धक की राय में नैतिक पतन से समन्वित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि अपील में रद्द न की गयी हो;

(ङ) वह, या निवन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निवन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कारोबार करना शुरु करे या करता हो, जैसा समिति करती हो;

(च) यह अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे;

(छ) वह समिति के अधीन या किसी अन्य समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कार्यकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकारने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते हैं।

---

1. अधिसूचना संख्या—1437/49—1—2021—8(56)—13टी0सी0—बी दिनांक 03 दिसम्बर 2021{उ0प्र0 सहकारी समिति (साठवां संशोधन)नियमावली 2021} द्वारा संशोधित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1{ (ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो; या

किसी समिति के निर्वाचित प्रतिनिधि के रुप में वह पश्चातवर्ती समिति के प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने पर उस समिति के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित होने में विंफल हो जाय;

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्ध धारा 29 की उपधारा (6) एवं (8) के अधीन वृत्तिक व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू नहीं होंगे।}

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध_किया गया हो, जब तक कि दोषसिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो,

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिए गए ऋणों के सम्बन्ध में समिति का (कम से कम छः मास से) बाकीदार हो, या वह समिति का निर्णीत त्राणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक.एक केंद्रीय और एक शीर्ष समिति की प्रवन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रवन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा, ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रवन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्याग–पत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रवन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके, यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्याग–पत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जाएगा कि उसने एक शीर्ष समिति और एक केन्द्रीय समिति और एक प्राथमिक समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त समिति से त्याग–पत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

---

1. अधिसूचना संख्या–2018/49–1–2019–122(मिस)–2018 दिनांक 28 नवम्बर 2019{उ0प्र0 सहकारी समिति (सत्तावनवां संशोधन)नियमावली 2019} द्वारा संशोधित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ढ) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना–पत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रवन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो निवन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो कि समिति का निवन्धन कपटपूर्वक कराया गया और निवन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो।

(ण) वह अधिनियम या नियम या समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(त) यदि वह किसी ऋण समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की सदस्य है, का प्रतिनिधि है एवं वह समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है।

(थ) यदि कोई व्यक्ति प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा समिति में जमा धनराशि रुपये एक हजार से कम हो गयी हो।

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य,जो प्रबन्ध–कमेटी की तीन लगातार बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रवन्धक कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध, किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध–कमेटी के नाम–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होगे।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी राहकारी समिति की प्रबन्ध– –कमेटी की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े, किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाए, आमेलन या नाम–निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तो के अधीन लागू होगीः

(1) खण्ड (ज) में निर्धारित अनर्हताएं प्रबन्ध–कमेटी के किसी नाम– 1–निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर और प्रवन्ध कमेटी के ऐसे आमेलित सदस्यों पर, जिनके आमेलन के लिए सामान्य निकाय की सदस्यता समिति की उपविधियों के अधीन एक शर्त न रही हो, लागू न होगी;

(2) खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्धारित अनर्हता, दोषसिद्धि के अधीन, अर्थदण्ड देने या दोषसिद्धि होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति आदेश के, यथास्थिति पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायगी.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) खण्ड (ठ) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जिसको धारा 34 के अन्तर्गत सहकारी समिति की प्रबन्ध–कमेटी पर नामांकित किया गया हो।

453 क. कोई ऐसी सहकारी समिति जो किसी अन्य सहकारी समिति से सम्बद्ध हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पश्चात्वर्ती समिति के सामान्य निकाय में किसी सहकारी समिति का सदस्य हो या सदस्य रहा हो. नियुक्त नहीं करेगी, यदि–

(1) वह सामान्य निकाय या प्रवन्ध–कमेटी का सदस्य न रह जाय, या

(2) यह पश्चात्वर्ती समिति की प्रबन्ध–कमेटी का सदस्य होने के लिए कोई अनर्हता प्राप्त कर ले जैसा कि नियम 453 में निर्धारित है।

454 .किसी सहकारी समिति की प्रवन्ध कमेटी का यह देखना कर्तव्य होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार अनर्ह हो जाय, प्रबन्ध कमेटी के सदस्य का पदधारण न किये रहे, ज्यों ही यह तथ्य प्रबन्ध–कमेटी की जानकारी में आये कि कोई सदस्य किसी प्रकार अनर्ह हो गया है, चाहे वह सदस्य होने को पूर्व या उसके पश्चात् अनर्ह हुआ हो, कमेटी इस विषय पर एक बैठक में विचार करेगी जो इस प्रयोजन के लिए बुलायी जाएगी। ऐसी बैठक की कार्य–सूची की एक प्रति उस सदस्य को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रुप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अमिस्वीकृति) दी जायगी। यदि राम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अनर्हता के कारण कमेटी की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायगी और तदुपरान्त ऐरो सदस्य को किसी भी अन्य प्रकार से प्रबन्ध–कमेटी के सदस्य के रुप में प्रवन्ध–कमेटी की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो यह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन पंचनिर्णय करा सकता है।

———————————

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग–7

अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति या उप–सभापति का हटाया जाना

1{455. किसी सहकारी समिति के सभापति या उप–सभापति के रुप में निर्वाचित किसी व्यक्ति में अविश्वास प्रकट करने का संकल्प–

(क) इरा नियमावली में की गई व्यवस्था से अन्यथा, और

(ख) यथास्थित सभापति या उप–सभापति क निर्वाचन के दिनांक से तीस मास समाप्त होने के पूर्व नियम 646 में निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के विना प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।}

456. अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिस नियम 465 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को (जिसे आगे निर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है) सम्बोधित की जायेगी, जिसमें ऐसे प्रस्ताव को लाने के कारणों को स्पष्ट रुप से दिया जायेगा और उस पर प्रबन्ध कमेटी के कम से कम आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

457. प्रवन्ध कमेटी के कम से कम तीन सदस्य जो अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें, स्वयं निर्दिष्ट प्राधिकारी को नोटिस प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक शपथ–पत्र होगा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर जो हरताक्षर हैं, वे हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा नोटिस की अन्तर्वस्तुओं को सुनने या पढ़ने के पश्चात् किये गये है।

458 (1) अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिरा प्राप्त होने पर जैसा नियम 456 और 457 में व्यवस्था है, निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रस्तावित अविश्वास के प्रस्ताव को विचारार्थ बैठक बुलाने के लिये ऐसा समय, दिनाक और स्थान निर्धारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त होने के पैंतीस दिन के भीतर होगीः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक बुलाने के लिए कम से कम इक्कीस दिन की नोटिस दी जायेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन बैठक बुलाने के नोटिस में यह भी व्यवस्था की जायेगी कि अविश्वास प्रस्ताव के राम्यक रुप से पास हो जाने की दशा में यथास्थिति, नये सभापति या उप–सभापति का निर्वाचन भी इसी बैठक में किया जायेगा।

459. (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी उस बैठक के, जिसमें अविश्वास के संकल्प पर विचार किया जाय,

---

2. अधिसूचना संख्या–1515 / 49–01–2019–08(56)–13टी0सी0–बी दिनांक 03 सितम्बर 2019{उ0प्र0 सहकारी समिति (छप्पनवां संशोधन)नियमावली 2019} द्वारा संशोधित

पीठासीन अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए किसी राजपत्रित सरकारी सेवक को (जो सम्बद्ध समिति के पर्यवेक्षण और प्रशासन से सम्बन्धित विभाग का अधिकारी न हो) नाम–निर्दिष्ट करेगा।

(2) प्रबन्ध कमेटी की ऐसी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।

460. अविश्वास प्रस्ताव के लिए संकल्प, यदि प्रबन्ध समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो–तिहाई के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, अग्रनीत समझा जाएगा।

461. जब अविश्वास का संकल्प स्वीकार हो जाय तब सभापति और उप–सभापति, जिसके विरुद्ध वह स्वीकार किया जाय, तुरन्त उक्त पद से हट जायेंगे और उनका स्थान उनका उतराधिकारी लेगा, जो उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप–सभापति को सभापति निर्वाचित किया जाता है तो उप–सभापति उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

462. नियम 461 के अधीन, यथास्थिति नये सभापति या उप–सभापति का निर्वाचन (अध्याय 29 के उपबन्धों के होते हुए भी) नियम 459 में उल्लिखित पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक में निम्नलिखित रीति से किया जायेगाः

(क) यथास्थिति, सभापति या उप–सभापति प्रबन्ध सीमित के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा;

(ख) अभ्यर्थियों का नामांकन और अनुमोदन इसी बैठक में किया जायगा, नाम–वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्वाचन हाथ उठाकर किया जाएगाः

(ग) निर्वाचन–दैठक में उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा किया जायेगा। समान मत पड़ने की दशा में निर्वाचन का निर्णय पर्ची डालकर किया जायेगा;

(घ) बैठक की कार्यवाही पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा।

463. नियम 461 के अधीन निर्वाचित नया सभापति या उप–सभापति अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाये गये समापति या उप–सभापति के केवल शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

464. यदि अविश्वास का प्रस्ताव गणपूर्ति न होने अथवा बैठक में अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो तो अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कोई अनुवर्ती बैठक, पिछली बैठक के दिनांक से छः माह के भीतर नहीं बुलायी जायेगी।

465. इस भाग के नियमों में अभिदिष्ट निर्दिष्ट प्राधिकारी उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट होगा जहाँ रामिति का मुख्यालय स्थित हो।

———————————

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 8

{अधिसूचना संख्या 1322–49–1–2013–8(56)–13, दिनांक 01 अगस्त, 2013 उ0प्र0 सहकारी समिति उनचासवां संशोधन नियमावली 2013 द्वारा अन्तःस्थापित जो उत्तर प्रदेश असाधारण गजट भाग–4,खण्ड(ख) में दिनांक 01, अगस्त, 2013 को प्रकाशित।}

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग

1{466. निर्वाचन आयोग का गठन–राज्य सरकार द्वारा गठित किये जाने वाले निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित पद होंगे:

(1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो राज्य सरकार के सचिव या उससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) दो निर्वाचन आयुक्त, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जा राकेंगे, जिसमें से एक राहकारिता विभाग का ऐसा रोवानिवृत्त अधिकारी होगा जो कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक का पद धारण कर चुका हो तथा दूरारा ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी होगा जो उस विभाग, जिसे राज्य सरकार द्वारा निवन्धक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों, में कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक अपर आयुक्त या अपर निदेशक का पद धारण कर चुका हो।

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे अधिकारी जो उस विभाग, जिसे राज्य सरकार द्वारा निबन्धक की शक्तियाँ प्रत्योजित की गयी हों, में कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक अपर आयुक्त या अपर निदेशक पद धारण कर चुका हो, की अनुपलब्धता के कारण किसी उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति करना कठिन है, तो वह उपर्युक्त खण्ड (2) में पहले से उल्लिखित समान अर्हता रखने वाले सहकारिता विभाग के किसी उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।}

467. निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के वेतन और भते – आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतनमान तथा भते ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायें:

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के रुप में नियुक्त किसी व्यक्ति, जो राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा से निवृत्त हुआ हो, का वेतन ऐसी सेवानिवृत्ति के समय उसे भुगतान किये गये या देय वेतन से कम नहीं होगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति जो पेंशन

---

1. अधिसूचना सं0–47/49–1–2014–8(56)–13 टी०सी०, दिनांक 10 जनवरी, 2014 उ0प्र0 सहकारी समिति (पचासवां संशोधन नियमावली 2014) द्वारा प्रतिस्थापित

के रुप में किन्हीं सेवानिवृत्ति लाभों को प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो गया हो, के ऊपरिलिखित वेतन को पेंशन की कुल धनराशि के, जिसमें पेंशन का राशिकरण भाग यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के बराबर कम कर दिया जायेगा।

1{468—(1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, अपना पद धारण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगेः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) खण्ड (1) के उपबन्ध, ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा निर्वाचन आयुक्त के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व इस रुप में पद धारण किया हो।}

469. निर्वाचन आयोग के स्टाफ और अन्य व्यय — सहकारी निर्वाचन आयोग के कार्यालय, स्टाफ, बजट, वित्तीय एवं अन्य कार्यालयी व्यय आदि के सम्बन्ध में उपबन्ध ऐसे होंगे जैसा निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये।

470.निर्वाचन आयोग की नियम बनाने की शक्ति — निर्वाचन आयोग के कार्य सम्पादन के लिए निर्वाचन सम्बन्धी नियम अथवा विनियम और कारबार सम्बन्धी नियम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जायेंगे।

471. मुख्यालय — निर्वाचन आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाये।

....

1. अधिसूचना संख्या—1638/49—1—2018—08(56)—13टी0सी0 दिनांक 05 अक्टूबर 2018{उ0प्र0 सहकारी समिति (पचपनवां संशोधन)नियमावली 2018} द्वारा संशोधित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY